रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 156] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 24, 2017/वैशाख 4, 1939
No. 156] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 24, 2017/ VAISAKHA 4, 1939

कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय

(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

अधिसूचना

श्रीनगर, 19 अप्रैल, 2017

सं. क. के. वि.वि./प्रशासन/फाइल.सं.385/14/3522.—यह सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2009 की धारा 27 तथा 28 (क्रमानुसार) के अंतर्गत कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष ने विश्वविद्यालय के नियमों तथा कार्यकारिणी समीति (प्रथम अधिनियम के मामलों में), अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय के नियम10(5) तथा अध्यादेशों (अध्यादेश संख्या 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26 तथा 29) के ढांचों में संशोधन किए हैं। जैसा कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अधिनियम 2009 के अनुच्छेद 43 के तहत दिया गया है। उपरोक्त कथित अधिनियम तथा अध्यादेश एतद भारत के सरकारी राजपत्र में अधिसूचित है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अधिनियम, 2009 के नियम 10 (5) का प्रस्तावित संशोधन

नियम 10(5) के वर्तमान प्रावधान	संशोधन के बाद पढ़ने के लिए
कोर्ट की बैठक के लिए कोर्ट के ग्यारह सदस्य कोरम बनाएगे	(1). कोर्ट के निम्नलिखित सदस्य होंगे, यथा : (क). कुलाधिपति , पदेन (ख). कुलपति, पदेन (ग). सम कुलपति, पदेन (घ). कार्यकारिणी समिति द्वारा मनोनीत दो सदस्य (ड). कुलाध्यक्ष द्वारा मनोनीत पाँच सदस्य, जो जन जीवन में प्रतिष्ठत हो या जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखते हों या उन्होंने शिक्षा, समाज सेवा आदि में प्रतिष्ठित सेवाएँ प्रदान की हो । (च). क्रमावर्तन के आधार पर कुलाधिपति द्वारा मनोनीत पाँच व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों के संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/समन्वयक/ प्रधानाचार्य हो । (छ). क्रमावर्तन के आधार पर कुलाधिपति द्वारा दो व्यक्ति मनोनीत जो विश्वविद्यालय या कॉलेजों के अध्ययन विभागों के प्रोफेसर हों ।

	(ज). क्रमावर्तन के आधार पर कुलाधिपति द्वारा मनोनीत प्रोफेसरों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के दो अध्यापक । (झ). क्रमावर्तन के आधार पर प्रत्येक ग्रुप ए और ग्रुप बी/सी गैर शिक्षण स्टाफ से कुलपति द्वारा मनोनीत दो कर्मचारी । (ञ). कुलपति, जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पदेन (ट). कुलपति, कश्मीर विश्वविद्यालय, पदेन (ठ). कुलपति द्वारा मनोनीत उद्योग/ न्यायपालिका/सभ्य समाज से पाँच व्यक्ति । (ड). क्रमावर्तन के आधार पर कुलपति द्वारा मनोनीत छात्र समुदाय से तीन कक्षा प्रतिनिधित्व (ढ). कुलसचिव – सदस्य सचिव (2). कोर्ट के आधे सदस्य कोरम बनाएगे । (3). पदेन सदस्यों को छोड़कर कोर्ट के सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक कार्य संभालेंगें

अध्यादेश 3

अध्ययन विद्यापीठों को विभागों का आबंटन

(केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अधिनियम, 2009 के 15 (5) (क) के अन्तर्गत अनुबंधित)

(दिनांक 26-06-2010 को आयोजित कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित)

विद्यापीठ	विभाग
शिक्षा विद्यापीठ	1. शिक्षा विभाग 2. शारीरिक शिक्षा विभाग 3. विशेष शिक्षा विभाग 4. इस तरह् का अन्य विभाग स्थापित और समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाएगा ।
भाषा विद्यापीठ	1. अंग्रेजी विभाग 2. उर्दू विभाग 3. हिन्दी विभाग 4. कश्मीरी विभाग 5. अरबी विभाग 6. संस्कृत विभाग 7. पंजाबी विभाग 8. भाषा-विज्ञान विभाग 9. विदेशी भाषा विभाग 10. इस तरह् का अन्य विभाग स्थापित और समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाएगा।
समाज शास्त्र विद्यापीठ	1. अर्थशास्त्र विभाग 2. राजनीति एवं शासन विभाग 3. इतिहास विभाग 4. समाज कार्य विभाग 5. मानवशास्त्र विभाग 6. बोध अध्ययन विभाग

	7. धर्म अध्ययन विभाग 8. और इस तरह् का अन्य विभाग स्थापित और समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाएगा।
भौतिक तथा रसायन शास्त्र विद्यापीठ	1. भौतिकी विभाग 2. रसायन विज्ञान विभाग 3. गणित विभाग 4. नैनौ-विज्ञान विभाग और 5. इस तरह् का अन्य विभाग स्थापित और समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाएगा।
जैविक विज्ञान विद्यापीठ	1. वनस्पति विज्ञान विभाग 2. जन्तु विज्ञान विभाग 3. जैव प्रौद्योगिकी विभाग 4. सूक्ष्मजीव विभाग, और 5. इस तरह् का अन्य विभाग स्थापित और समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाएगा।
पर्यावरण विज्ञान विद्यापीठ	1. पर्यावरण विज्ञान विभाग, और 2. इस तरह् का अन्य विभाग स्थापित और समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाएगा।
व्यापार अध्ययन विद्यापीठ	1. प्रबंधन अध्ययन विभाग 2. वाणिज्य विभाग 3. पर्यटन अध्ययन विभाग, और 4. इस तरह् का अन्य विभाग स्थापित और समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाएगा।
कानून अध्ययन विद्यापीठ	1. कानून विभाग, और 2. इस तरह् का अन्य विभाग स्थापित और समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाऐ गा।
प्रसार अध्ययन विद्यापीठ	1. संसृत पत्रकारिता विभाग, और 2. इस तरह् का अन्य विभाग स्थापित और समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाएगा।
प्रदर्शन कलाविद्यापीठ	1. संगीत एवं ललित कला विभाग, और 2. इस तरह् का अन्य विभाग स्थापित और समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाएगा।
अभ्यांत्रिकी एवं प्रौद्यौगिकी विद्यापीठ	1. सूचना प्रौद्यौगिकी विभाग, और 2. इस तरह् का अन्य विभाग स्थापित और समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाएगा।
चिकित्सा विज्ञान विद्यापीठ	1. औषध विभाग 2. दन्त चिकित्सा विभाग 3. दवासाजी विभाग 4. भौतिक चिकित्सा विभाग 5. उपचर्या विभाग 6. मानव आनुवंशिकी विभाग 7. चिकित्सा तकनीक विभाग, और 8. इस तरह् का अन्य विभाग स्थापित और समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाएगा।

एम.एच.आर.ढी की पत्र स.एफ.स 19-6/2014-सी.यू ।।। तिथि 20-03-15 के हवाले से मा. कुलाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित

अध्यादेश 4

विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का दाखिला

{केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 28 की उप-धारा (1) (ए) }

(कार्यकारी परिषद की दिनांक 26.06.2010 को आयोजित द्वितीय बैठक में अनुमोदित)

1. शीर्षक एवं आरम्भ

1.1 इस अध्यादेश को विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के दाखिला हेतु अध्यादेश कहा जाएगा और यह सभी शैक्षणिक प्रोग्रामों पर लागू होगा जब तक कुछ अन्यथा न कहा गया हो।

1.2 विद्या(एकेडेमिक) परिषद के सम्पूर्ण नियंत्रण के अधीन विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के दाखिला संबंधित स्कूल बोर्ड द्वारा प्रशासित किए जाएंगे।

1.3 यह अध्यादेश शैक्षणिक सत्र 2010-2011 से लागू होगा ।

2. दाखिला हेतु पात्रता

2.1 अधिनियम के प्रावधानों और संविधियों, और विश्वविद्यालय के अन्य नियमों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई भी विद्यार्थी विश्वविद्यालय में अध्ययन के किसी भी प्रोग्राम में दाखिला/प्रवेश हेतु तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वह संबंधित प्रोग्राम में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा अथवा परीक्षाएं उत्तीर्ण न की हो।

2.2 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों(ओबीसी) से संबंधित उम्मीदवारों और विकलांग उम्मीदवारों हेतु सीटों के आरक्षण के संबंध में भारत सरकार की नीति और यू.जी.सी. के दिशा-निर्देशों का कार्यान्वियन किया जाएगा।

2.3 भारत अथवा विदेश में रहने वाले विदेशी नागरिकों अथवा विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को समय-समय पर भारत सरकार/विश्वविद्यालय की सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित नीति के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रोग्राम में दाखिला दिया जा सकता है।

2.4 किसी भी प्रोग्राम में उम्मीदवार का दाखिला केवल इसके प्रथम सेमेस्टेर में किया जाएगा। प्रत्येक प्रोग्राम के लिए निर्धारित आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद आगामी सेमेस्टर में उसे प्रोन्नति किया जाएगा।

2.5 उम्मीदवार के लेटरल प्रवेश के असाधारण मामलों में संबंधित स्कूल बोर्ड की सिफारिशों पर किसी भी प्रोग्राम के बाद के सेमेस्टर में दाखिला हेतु विचार किया जाएगा।

2.6 किसी भी विद्यार्थी को आमतौर पर एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक अन्यथा प्रवेश प्रदान न किया गया हो।

2.7 किसी भी उम्मीदवार को किसी प्रोग्राम में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक वह यह वचन नहीं देगाकि प्रोग्राम हेतु निर्धारित न्यूनतम रेजीडेंसी अवधि के पूरा करने से पहले रोजगार नहीं करेगा।

2.8 अपने नियोक्ताओं द्वारा प्रयोजित सेवारत उम्मीदवारों का केवल उस प्रोग्राम में दाखिला हेतु विचार किया जाएगा जिसमें वे प्रोग्राम के लिए अपेक्षित रेजीडेंसी अवधि को पूरा करने के लिए अध्ययन छुट्टी ली हो।

2.9 यदि किसी प्रोग्राम में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को किसी भी चरण पर अस्वस्थ पाया जाता है तो उसका दाखिला नियम प्रक्रिया का पालन करने के बाद निरस्त कर दिया जाएगा।

2.10 यदि किसी भी समय यह पता चलता है कि उम्मीदवार ने दाखिला पाने के लिए असत्य अथवा गलत अथवा धोखाधड़ी की है तो उसका नाम विश्वविद्यालय के नामावली(रोल्स) से हटा दिया जाएगा।

3. दाखिला हेतु प्रक्रिया

3.1 प्रत्येक प्रोग्राम में दाखिला हेतु राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा और साथ ही साथ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी विज्ञापन अपलोड किया जाएगा।

3.2 विश्वविद्यालय में दाखिला के लिए आवेदन निर्धारित फार्म में संबंधित स्कूल के अधिष्ठाता को प्रत्येक प्रोग्राम के संबंध में नियत अंतिम तिथि के अंदर प्रस्तुत किए जाएंगे ।

3.3 ऐसे प्राप्त आवेदनों को अधिष्ठाता द्वारा संबंधित स्कूल/विभाग की दाखिला समिति को अग्रेषित किए जाएंगे। यह समिति कुलपति द्वारा गठित की जा सकती है।

3.4 प्रत्येक प्रोग्राम के संबंध में दाखिला करने की प्रक्रिया संबंधित निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दाखिला समिति द्वारा संपन्न की जाएगी और दाखिला हेतु संस्तुत उम्मीदवारों की सूची अनुमोदन हेतु कुलपति को अग्रेषित की जाएगी।

3.5 इस प्रयोजन हेतु अधिसूचित किए जाने वाले शेड्यूल के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा, अथवा विशेष प्रोग्राम की दाखिला नियमावली में दर्शाए गए ऐसे मानदंड के माध्यम अथवा विश्वविद्यालय के सांविधिक निकायों के निर्णय के आधार पर प्रत्येक प्रोग्राम में दाखिला किए जाएंगे। केंद्र हेतु विकल्प चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्णीत निर्धारित केंद्रों पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। उक्त हेतु पाठ्यविवरण आमतौर पर कुलपति द्वारा गठित की गई समिति द्वारा तैयार किया जाएगा और विशेषज्ञ/विशेषज्ञों द्वारा अपने क्षेत्र के प्रश्न-पत्र सेट किए जाएंगे।

3.6 मास्टर ऑफ फिलॉसॅफि (एम.फिल) की उपाधि और डॉक्टर ऑफ फिलॉसॅफि(पीएच. डी) के अग्रणी प्रोग्राम में दाखिला संबंधित अध्यादेश द्वारा शासित किए जाएंगे।

3.7 उम्मीदवार को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान करने के बाद उसके नामांकन के आधार पर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में प्रोग्राम में दाखिला दिया जाएगा।

4. अवधि

4.1 विश्वविद्यालय द्वारा कराए जा रहे प्रोग्रामों हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम अवधि को विद्या(एकेडेमिक) परिषद द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

4.2 ऐसे उम्मीदवारों के संबंध में जिन्होंने वैध कारण से अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी तथा स्कूल द्वारा उन्हें पुन: दाखिला दिया जाता है तो ऐसे उम्मीदवारों हेतु जिन्होंने अध्ययन छोड़ दिया था उनकी इस दौरान की अवधि को प्रोग्राम की अधिकतम अवधि की गणना करते समय नहीं गिना जाएगा।

4.3 जब विद्यार्थी प्रोग्राम में बीमारी अथवा चिकित्सालय में भर्ती अथवा संबंधित नियमों में निर्धारित अपेक्षाओं की पूर्ति के अधीन विदेशी छात्रवृत्ति/फेलोशिप को स्वीकार करने के कारण इस अवधि के दौरान लगातार अध्ययन नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में एक सेमेस्टर/वर्ष को शून्य सेमेस्टर/वर्ष घोषित किया जा सकता है। ऐसे शून्य सेमेस्टर/वर्ष को इस प्रकार के विद्यार्थी की स्थिति में प्रोग्राम की अवधि की गणना हेतु नहीं गिना जाएगा।

5. सीटों की संख्या

5.1 प्रत्येक स्नातकोत्तर(मास्टर्स) तथा स्नातक(बैचलर) उपाधि प्रोग्राम में सीटों की संख्या क्रमश: 30(तीस) एवं 50(पचास) अथवा समय-समय पर विद्या(एकेडेमिक) परिषद द्वारा अनुमोदन के अनुसार होगी।

5.2 मास्टर ऑफ फिलॉसॅफि (एम.फिल) तथा डॉक्टर ऑफ फिलॉसॅफि(पीएच. डी) प्रोग्रामों के संबंध में प्रत्येक विभाग/ केंद्र में विद्यार्थी का प्रवेश शोध पर्यवेक्षक की उपलब्धता के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

6. किसी भी कठिनाई को दूर करने की शक्ति(पॉवर)

अध्यादेश में क्या निहित है, के होते हुए भी रिकार्ड किए जाने वाले कारण, सीजीपीए आवश्यकताओं हेतु निर्धारित किए गए प्रावधानों को छोड़कर किसी भी प्रावधान की छूट, असाधारण परिस्थितियों में अथवा संबंधित स्कूल बोर्ड की सिफारिश पर अथवा उपयुक्त समिति के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के मामले की योग्यताओं पर विचार करने हेतु अध्यक्ष,विद्या(एकेडेमिक) परिषद/कार्यकारी(एक्जीक्यूटिव) परिषद में शक्ति निहित हो सकती है।

अध्यादेश 5

स्नातकोत्तर(मास्टर्स) उपाधि प्रोग्राम

[केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 28 की उप-धारा (1) (बी)]

(कार्यकारी परिषद की दिनांक 26.06.2010 को आयोजित द्वितीय बैठक में अंगीकृत)

1. शीर्षक एवं आरम्भ

1.1 इस अध्यादेश को स्नातकोत्तर उपाधि प्रोग्राम को अवार्ड प्रदान करने हेतु अध्यादेश कहा जाएगा, बाद में प्रोग्राम के रूप में संदर्भित किया जाएगा, तथा सभी स्नातकोत्तर उपाधि प्रोग्रामों पर तब तक लागू होगा जब तक अन्यथा न कहा जाए।

1.2 विद्या(एकेडेमिक) परिषद के सम्पूर्ण नियंत्रण के अधीन विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के दाखिला संबंधित स्कूल बोर्ड द्वारा प्रशासित किए जाएंगे।

1.3 यह अध्यादेश शैक्षणिक सत्र 2010-2011 से लागू होगा ।

2. दाखिला हेतु पात्रता

2.1 *जब तक अन्यथा एक स्नातकोत्तर प्रोग्राम शासी संविधियों(स्टेच्यूट्स) में प्रदान न किया जाए तब तक प्रत्येक स्नातकोत्तर उपाधि प्रोग्राम को पूरा करने हेतु न्यूनतम अवधि 04 सेमेस्टर(2 शैक्षणिक वर्ष) तथा अधिकतम अवधि 10 सेमेस्टर(5 शैक्षणिक वर्ष) होगी।

2.2 **ऐसे उम्मीदवारों के संबंध में जिन्होंने वैध कारण से अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी तथा स्कूल द्वारा उन्हें पुन: दाखिला दिया जाता है तो ऐसे उम्मीदवारों हेतु जिन्होंने अध्ययन छोड़ दिया था उनकी इस दौरान की अवधि को खंड(क्लॉज) 2.1 में निर्धारित पांच वर्ष की अवधि की गणना करते समय नहीं गिना जाएगा।

2.3 जब विद्यार्थी प्रोग्राम में बीमारी अथवा चिकित्सालय में भर्ती अथवा संबंधित नियमों में निर्धारित अपेक्षाओं की पूर्ति के अधीन विदेशी छात्रवृत्ति/फेलोशिप को स्वीकार करने के कारण इस अवधि के दौरान लगातार अध्ययन नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में एक सेमेस्टर/वर्ष को शून्य सेमेस्टर/वर्ष घोषित किया जा सकता है। ऐसे शून्य सेमेस्टर/वर्ष को इस प्रकार के विद्यार्थी की स्थिति में प्रोग्राम की अवधि की गणना हेतु नहीं गिना जाएगा।

3. सीटों की संख्या

**सीटों की संख्या समय-समय पर विश्वविद्यालय के सांविधिक निकायों द्वारा यथा अनुमोदित की जाएगी।

4. दाखिला मानदंड

4.1 प्रोग्राम में उम्मीदवार का दाखिला केवल इसके प्रथम सेमेस्टर में ही किया जाना चाहिए। खंड(क्लॉज) 8 के अधीन निर्धारण के अनुसार आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही प्रोग्राम के आगामी सेमेसटरों में उसे प्रोन्नति किया जाएगा।

4.2 भारत अथवा विदेश में रहने वाले विदेशी नागरिकों अथवा विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को समय-समय पर भारत सरकार/विश्वविद्यालय की सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित नीति के दिशा-निर्देशों के अनुसार इस प्रोग्राम में दाखिला दिया जा सकता है।

4.3 यदि कोई भी उम्मीदवार इस विश्वविद्यालय अथवा कोई अन्य विश्वविद्यालय/संस्था में पूर्णकालिक प्रोग्राम में पहले से ही पंजीकृत है तो वह प्रोग्राम में दाखिला हेतु पात्र नहीं होंगे।

4.4 किसी भी उम्मीदवार को किसी प्रोग्राम में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक यह वचन नहीं देंगे कि प्रोग्राम हेतु निर्धारित न्यूनतम रेजीडेंसी अवधि के पूरा करने से पहले रोजगार नहीं करेंगे अथवा अध्ययन हेतु कोई अन्य पाठ्यक्रम में दाखिला नहीं लेगा ।

4.5 विश्वविद्यालय एकीकृत स्नातक-पूर्व - स्नातकोत्तर प्रोग्राम को शुरू करने पर विचार कर सकता है।

5. दाखिला हेतु पात्रता

5.1 * उम्मीदवार किसी भी डिस्प्लीन में प्रोग्राम के लिए दाखिला हेतु पात्र होगा बशर्ते वह किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय अथवा सम्बद्ध विषय(विद्यालय बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए) अथवा इस प्रयोजन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा न्यूनतम 50% अंकों सहित अथवा संबंधित विश्वविद्यालय के ग्रेडिंग पैमाने पर इसके समतुल्य अथवा विश्वविद्यालय की सांविधिक निकायों द्वारा यथा अनुमोदित एक मान्य उपाधि में 10 +2 +3 पैटर्न के तहत स्नातक उपाधि पाने के लिए योग्य है।

5.2 अनुसूचित जाति(एस.सी)/अनुसूचित जनजाति(एस.टी), शारीरिक रूप से अक्षम एवं नेत्रहीन(विजुअली चेलेंज्ड) उम्मीदवारों को न्यूनतम पात्रता अंकों में 5 प्रतिशत अंकों की रियायत दी जाएगी।

5.3 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों(ओबीसी) से संबंधित उम्मीदवारों और विकलांग उम्मीदवारों हेतु सीटों के आरक्षण के संबंध में भारत सरकार की नीति और यू.जी.सी. के दिशा-निर्देशों का कार्यान्वियन किया जाएगा।

* कार्यकारी परिषद द्वारा दिनांक 06.01.2014 को आयोजित 12वीं बैठक में मद(आईटम) ई.सी.12.7 के अधीन संशोधित

** कार्यकारी परिषद द्वारा दिनांक 19.09.2015 को आयोजित 15वीं बैठक में मद(आईटम) ई.सी.15.24 के अधीन संशोधित

6. दाखिला हेतु प्रक्रिया

6.1 विश्वविद्यालय शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार शैक्षणिक कैलेंडर संबंधी विवरण, उपलब्ध सीटों की संख्या, पात्रता मानदंड, निर्धारित फीस इत्यादि का विवरण देते हुए प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रोग्राम में दाखिला हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

6.2 प्रोग्राम में दाखिला हेतु राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा और साथ ही साथ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी विज्ञापन अपलोड किया जाएगा।

6.3 इस प्रयोजन हेतु अधिसूचित किए जाने वाले शेड्यूल के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा, अथवा विशेष प्रोग्राम की दाखिला नियमावली में दर्शाए गए ऐसे मानदंड के माध्यम अथवा विश्वविद्यालय की सांविधिक निकायों के निर्णय के आधार पर प्रोग्राम में दाखिला किए जाएंगे। केंद्र हेतु विकल्प चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्णीत निर्धारित केंद्रों पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी।

6.4 चयनित उम्मीदवार निर्धारित समय के भीतर संबंधित विभाग को निर्धारित फीस एवं अन्य संगत दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

7. प्रोग्राम की सरंचना

7.1 विश्वविद्यालय अपने सभी स्नातकोत्तर(मास्टर्स) प्रोग्रामों में च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम(सीबीसीएस) का पालन करेगा। प्रोग्राम के दौरान विद्यार्थी को न्यूनतम 80 क्रेडिट्स के अधीन कोर, वैकल्पिक, सहायक(सॉफ्ट एवं लाइफ कौशल) और सामाजिक अभिविन्यास पाठ्यक्रम लेना होगा जब तक किसी विशेष प्रोग्राम के अध्यादेशों में अन्यथा न कहा गया हो। जबकि कोर एवं वैकल्पिक पाठ्यक्रम विभाग में प्रोग्राम करने के लिए प्रस्ताव देगा, सहायक एवं अभिविन्यास पाठ्यक्रम का प्रस्ताव या तो विश्वविद्यालय के उसी अथवा अन्य विभाग(गों) में दिया जा सकता है। विद्यार्थियों को वैकल्पिक, सहायक एवं सामाजिक अभिविन्यास पाठ्यक्रमों में विकल्प का प्रस्ताव दिया जा सकता हैं।

7.2 विद्या(एकेडेमिक) परिषद के अनुमोदन के अधीन, पाठ्यक्रम तथा कार्यप्रणाली और अनुदेशात्मक डिजाइन हेतु पाठ्यविवरण में उपयोग किया जाए, संबंधित विद्यालय बोर्ड द्वारा तैयार/निर्धारित तथा प्रकाशित किया जाएगा।

8. अगले सेमेस्टर के लिए पंजीकरण एवं प्रोन्नति

8.1 प्रोग्राम में प्रवेश पा चुके विद्यार्थी आवश्यक औपचारिकताएं को पूरा करके विभाग/विद्यालय में प्रोग्राम के प्रथम सेमेस्टर के आरंभ में पंजीकृत किया जाएगा।

8.2 एक विद्यार्थी अगले सेमेस्टर में प्रोन्नति किया जाएगा तथा पंजीकृत किया जाएगा बशर्ते वह :

I. लगातार आंतरिक मूल्यांकन/प्रोजेक्ट/प्रायोगिक कार्य की आवश्यकताओं को पूरा करता हो

II. संबंधित सेमेस्टर में पाठ्यक्रम को कम से कम 50% से उत्तीर्ण किया हो

III. खंड(क्लाज) 9.1 में उल्लेखानुसार प्रत्येक पाठ्यक्रम/सेमेस्टर में अपेक्षित उपस्थिति हो

8.3 विद्यार्थी को उपस्थिति की कमी के कारण प्रोग्राम के एक सेमेस्टर के अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र नहीं पाया जाता है अथवा जो किसी सेमेस्टर में निर्धारित पाठ्यक्रम के 50% से अधिक में अनुत्तीर्ण होते हैं तो उन्हें निम्नलिखित शैक्षणिक वर्ष* में प्रोग्राम के संबंधित सेमेस्टर में दोहराना तथा पुन: दाखिला लेना अपेक्षित होगा।

8.4 विद्यार्थी को प्रोग्राम के आगामी सेमेस्टर में स्वयं के पंजीकरण के लिए अनुमति तभी दी जाएगी जब तक वह तुरंत पहले सेमेस्टर के पंजीकृत विद्यार्थी न हो और उस सेमेस्टर में नियमित विद्यार्थी के रूप में पाठ्यक्रम न कर रहा हो।

8.5 सेमेस्टर की शुरूआत में प्रत्येक सेमेस्टर हेतु अंतिम तिथि नियत एवं अधिसूचित की जाएगी, जिसके बाद दाखिला/पुन: दाखिला/प्रोन्नति/पंजीकरण आमतौर नहीं किए जाएंगे।

8.6 विशेष परिस्थितियों के अधीन विद्यार्थियों को निर्धारित तिथि को इस प्रयोजन हेतु निर्धारित फीस के साथ नियत विलंब फीस का भुगतान करके विलंब से पंजीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है।

9. उपस्थिति

9.1 एक उम्मीदवार को पाठ्यक्रम की सतत आंतरिक मूल्यांकन/समाप्त सेमेस्टर परीक्षा में भाग लेने के लिए योग्य किया जाए अथवा एक पूरे सेमेस्टर में विनियमन में निर्धारित सभी अन्य संगत शर्तें संतोषजनक रूप में पूरी करने के अलावा उस पाठ्यक्रम/सेमेस्टर में न्यूनतम 75% उपस्थिति होनी चाहिए।

9.2 विद्यालय के अधिष्ठाता संबंधित विभागाध्यक्ष की सिफारिश पर अधिकतम 5% उपस्थिति की कमी को माफ करेंगे यदि दावा को समर्थित वैध दस्तावेज द्वारा औचित्यपूर्ण ठहराया जाता है।

> * पाठ्यक्रम के विषम संख्या के मामले में 50% को अगले सेमेस्टर के लिए प्रोन्नति हेतु अगले उच्च संख्या(अर्थात् 5 पाठ्यक्रम के मामले में 3, 7 पाठ्यक्रम के मामले में 4 तथा इसी प्रकार) के रूप में निर्वचन किया जाएगा।
>
> **- संदर्भ (मद) आईटम संख्या 2.8, विद्या (एकेडेमिक) परिषद की द्वितीय बैठक 20 जून, 2011 को आयोजित हुई**

9.3 विभागाध्यक्ष एवं संकाय के अधिष्ठाता की सिफारिश पर कुलपति 5% के अलावा उपस्थिति में कमी को माफ करेंगे और लेकिन केवल वैध कारण(समर्थन में प्रमाण के रूप में दस्तावेज संलग्न करें) हेतु 10% तक की उपस्थिति की कमी को माफ करेंगे ।

9.4 *तथापि, किसी भी विद्यार्थी को खंड(क्लॉज) 9.2 एवं 9.3 के अधीन प्रोग्राम के कुल सेमेस्टर के 50% से अधिक की छूट का लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

9.5 * पाठ्यक्रम हेतु पंजीकृत विद्यार्थियों की उपस्थिति के रिकार्ड हेतु संबंधित शिक्षक जिम्मेदार होगा।

10. निलंबन एवं प्रत्याहरण(विथड्रॉल)

*विद्यार्थी को किसी कारण, चाहे जो भी हो, अथवा चिकित्सा के आधार पर अथवा किसी अन्य ठोस कारण से एक सेमेस्टर/वर्ष से प्रत्याहर के कारण कक्षाओं में भाग लेने से निलंबन अथवा वंचित होने पर उसे अगले शैक्षणिक सत्र में नियमित विद्यार्थी के रूप में उपयुक्त सेमेस्टर में पुन: दाखिला प्राप्त करना होगा। ऐसे विद्यार्थियों से एक सेमेस्टर के प्रत्येक पाठ्यक्रम में 75% उपस्थिति की अपेक्षा होगी तथा विनियम में निर्धारित अधिकतम समय सीमा (निलंबन/निष्कासन की अवधि शामिल है) में प्रोग्राम को पूरा करना होगा।

11. भुगतान की जाने वाली फीस

आगामी सेमेस्टरों के दौरान दाखिला, पंजीकरण तथा परीक्षा के समय देय फीस के भुगतान की मात्रा एवं तरीका तथा विशेष परिस्थितियों के तहत फीस की वापसी इस संबंध में विश्वविद्यालय के संगत अध्यादेश द्वारा शासित किया जाएगा।

12. शिक्षा का माध्यम एवं परीक्षा

12.1 शिक्षा का माध्यम तथा परीक्षा हेतु भाषा अंग्रेजी होगी।

12.2 ऐसे मामलों में जहां प्रोग्राम अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा से संबंधित होते हैं तो शिक्षा का माध्यम एवं परीक्षा उसी भाषा में हो सकते हैं।

13. परीक्षा एवं मूल्यांकन

13.1 विद्यार्थी का एक पाठ्यक्रम में उसके शैक्षिक प्रदर्शन के लिए सतत आंतरिक मूल्यांकन(ट्यूटोरियल्स, प्रायोगिक, गृह-कार्य(असाइनमेंट), कक्षा-कार्य(असाइनमेंट), टर्म पेपर्स, फील्ड वर्क , सेमीनार, आवधिक टेस्ट्स) और पाठ्यक्रम की परीक्षा स्कीम में निर्धारण के अनुसार सेमेस्टर के अंत में संबंधित परीक्षा का निरंतर मूल्यांकन किया जाएगा और संबंधित प्राधिकारी द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जाएगा।

13.2 मूल्यांकन के प्रत्येक घटक हेतु वेटेज का वितरण संबंधित स्कूल द्वारा निर्धारित किया जाएगा और सेमेस्टर के आरंभ होने से पहले विभागाध्यक्ष द्वारा इसकी घोषणा की जाएगी।

13.3 जब तक प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु अंकों के वितरण को अन्यथा न किया जाए तब तक निम्नानुसार होंगे :

सेमेस्टर के अंत में परीक्षा(ई.एस.ई)	:	60 अंक
निरंतर आंतरिक मूल्यांकन(सी.आई.ए)	:	40 अंक

13.4 जब तक सतत आंतरिक मूल्यांकन के विच्छेद(ब्रेकअप) को अन्यथा न किया जाए तब तक निम्नानुसार होंगे :

3 टेस्टों में से सर्वश्रेष्ठ 2	:	20 अंक
उपस्थिति*	:	05 अंक
असाइनमेंट/टर्म पेपर	:	05 अंक
सेमीनारों/प्रस्तुतियां(प्रजेंटेशन)	:	10 अंक
		40 अंक

*उपस्थिति हेतु अंकों का विच्छेद(ब्रेकअप)

75% से कम	:	कोई अंक नहीं
76% से 80%	:	1 अंक
81% से 85%	:	2 अंक
86 % से 90%	:	3 अंक
91% से 95%	:	4 अंक
96% से 100%	:	5 अंक

13.5 सतत आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय के विभागाध्यक्ष तथा अधिष्ठाता के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन संबंधित शिक्षक द्वारा संचालित किया जाएगा। विभागाध्यक्ष अधिष्ठाता के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक को सभी पाठ्यक्रमों में दिए गए सी.आई.ए. की सूची की रिपोर्ट देगा।

* कार्यकारी परिषद द्वारा दिनांक 06.01.2014 को आयोजित 12वीं बैठक में मद(आईटम) ई.सी.12.7 के अधीन संशोधित

13.6 ऐसे मामलों में जहां विद्यार्थी चिकित्सा आधार अथवा असाधारण परिस्थितियों(समर्थन में प्रमाण के रूप में दस्तावेज संलग्नक करें) के कारण सी.आई.ए. के किसी घटक(कम्पोनेंट) में भाग नहीं ले सका हो तो सेमेस्टर के अंत में परीक्षा से पहले संबंधित विभाग द्वारा उस घटक में अलग से परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है।

13.7 परीक्षा नियंत्रक द्वारा सेमेस्टर के अंत में परीक्षा आयोजित की जाएगी साथ ही मूल्यांकन करने हेतु कुलपति द्वारा परीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।

13.8 अंतिम सेमेस्टर में चार परीक्षाएं होंगी, प्रथम शैक्षणिक वर्ष के मध्य में प्रथम सेमेस्टर परीक्षा तथा प्रथम शैक्षणिक वर्ष के अंत में द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा और इसी तरह तृतीय और चतुर्थ परीक्षाएं क्रमश: मध्य तथा द्वितीय शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति में आयोजित की जाएंगी

13.9 पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पूरे पाठ्यविवरण को निहित करते हुए प्रत्येक पाठ्यक्रम में 60% अंकों वाली 3 घंटे की एक अंतिम सेमेस्टर परीक्षा आयोजित की जाएगी।

13.10 अंतिम सेमेस्टर प्रायोगिक परीक्षाएं(जहां लागू हों) आमतौर पर थ्योरी परीक्षाओं से पहले आयोजित की जाएंगी।

13.11 विद्यार्थी को निर्धारित परीक्षा फार्म भरने, निर्धारित परीक्षा फीस का भुगतान करने, संतोषजनक अपेक्षित उपस्थिति और अन्य पात्रता मानदंड को पूरा करने के बाद परीक्षा के संचालन नियम के अनुसार अंत सेमेस्टर परीक्षा में भाग लेने के लिए अनुमति दी जाएगी।

13.12 पाठ्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में भाग लेने के लिए योग्य किए जाने वाले विद्यार्थी को न्यूनतम 50% अंकों सहित सी.आई.ए को उत्तीर्ण(क्लियर) करें।

13.13 अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के प्रश्नपत्र का पैटर्न संबंधित स्कूल द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

13.14 विद्यार्थी को तब तक सफलतापूर्वक अपना पाठ्यक्रम पूरा किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि उसने विनियम तथा विशेष प्रोग्राम की परीक्षा स्कीम में निर्धारित थ्योरी/प्रायोगिक पाठ्यक्रम के प्रत्येक में कम से कम 50% अंक और समेकित(आंतरिक मूल्यांकन तथा अंत सेमेस्टर मूल्यांकन) रूप में 50% अंक अथवा 'बी' ग्रेड प्राप्त न कर लिया हो, निम्नलिखित छह प्वाइंट स्केल* पर मापा गया:

अंक	ग्रेड प्वाइंट	अक्षर(लेटर) ग्रेड	कक्षा
75-100	4.50-6.00	ओ	उत्कृष्ट
65-<75	3.90-4.50	ए+	हाई फर्स्ट
60-<65	3.60-<3.90	ए	प्रथम (फर्स्ट)
55-<60	3.30-<3.60	बी+	हाई सेकेंड
50-<55	3.00-<3.30	बी	द्वितीय(सेकेंड)
00-<50	0.00-<3.00	एफ	अनुत्तीर्ण

सटीक ग्रेड प्वाइंट की गणना करने के लिए 0.06 के गुणाकारक घटक को प्रयुक्त किया जाएगा।

13.15 * यदि एक विद्यार्थी एक सेमेस्टर के निर्धारित पाठ्यक्रमों के 50% से कम में अनुत्तीर्ण होता है अथवा पाठ्यक्रम में उपस्थिति की कमी होती है तो उसे नियमित विद्यार्थियों के साथ इसी(कोरेस्पॉडिंग) सेमेस्टर के अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के दौरान पूर्व-विद्यार्थी के रूप में पाठ्यक्रम(पाठ्यक्रमों) में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे विद्यार्थियों हेतु कोई भी अलग से/अनुपूरक परीक्षा की व्यवस्था नहीं की जाएगी। तथापि, कुलपति ऐसे विद्यार्थियों के लिए विशेष परीक्षा(सी.आई.ए./ई.एस.ई.) प्राधिकृत कर सकता है जिनके अंतिम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम की घोषणा के बाद कुल बैकलॉग 4 तक हैं। तथापि, ऐसे मामलों में लागू आंतरिक मूल्यांकन के अंक अग्रेनीत किए जाएंगे।

13.16 विद्यार्थी एक सेमेस्टर में पाठ्यक्रम के 50% से अधिक में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे नियमित विद्यार्थी के रूप में उपयुक्त सेमेस्टर में पुन: दाखिला लेना होगा।

13.17 *विद्यार्थी बैकलॉग सहित बिना किसी अतिरिक्त उपस्थिति के आगामी नियमित अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं हेतु पहली उपस्थिति को छोड़कर अधिकतम तीन अवसरों हेतु पाठ्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं को दोबारा दे सकता है। विद्यार्थी को प्राप्त आंतरिक मूल्यांकन को परीक्षा परिणाम की घोषणा हेतु ले जाया जाएगा।

13.18 *विद्यार्थी अपने परीक्षा परिणाम की घोषणा के बाद निर्धारित प्रपत्र में 7 दिनों की अवधि के अंदर निर्धारित फीस का भुगतान करके अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की फोटो प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध कर सकता है।

* कार्यकारी परिषद द्वारा दिनांक 06.01.2014 को आयोजित 12वीं बैठक में मद(आईटम) ई.सी.12.7 के अधीन संशोधित

13.19* पुनर्मल्यांकन हेतु प्रावधान :

(क) यदि विद्यार्थी अंतिम सेमेस्टर के मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं है तो उस स्थिति में वह परीक्षा परिणाम की घोषणा के बाद 15 दिनों के भीतर निर्धारित फीस का भुगतान करके पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकता है।

(ख) पुनर्मूल्यांकन में दिए गए अंकों के प्राप्त होने के बाद मूल्यांकनकर्ता और पुनर्मल्यांकनकर्ता द्वारा दिए अंकों का औसत लिया जाएगा।

(ग) पहले मूल्यांकनकर्ता तथा दूसरे मूल्यांकनकर्ता द्वारा दिए गए अंकों का अंतर 20% से अधिक है तो उस स्थिति में उत्तर पुस्तिका(स्क्रिप्ट) को मूल्यांकन हेतु तीसरे मूल्यांकनकर्ता को भेजी जाएगी और सभी तीनों मूल्यांकनकर्ताओं के औसत अंक लेते हुए परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा।

14. सुधार हेतु संभावना

14.1 * जो विद्यार्थी थ्योरी पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण होते हैं तो उन्हें अपने अंकों में सुधार करने के क्रम में या तो विषम अथवा सम सेमेस्टरों में नियमित विद्यार्थियों के साथ प्रथम सेमेस्टर में उसके प्रवेश से 10 सेमेस्टरों की अधिकतम अवधि के भीतर केवल एक बार अधिकतम 4 पाठ्यकमों की दुबारा परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी।

14.2 ऐसे विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक महीने के भीतर समय-समय पर निर्धारित फीस का भुगतान करने के साथ निर्धारित फार्म में अंकों/श्रेणी में सुधार हेतु आवेदन करना होगा।

14.3 यदि विद्यार्थी के अंकों में सुधार होता है तब संशोधित अंक उसके संशोधित अवार्ड में लिए जाएंगे और उसे पहले जारी किए गए ग्रेड कार्ड को वापस जमा करने पर संशोधित ग्रेड कार्ड जारी किया जाएगा। ऐसे संशोधित अंकों को पुरस्कार/ मेडल, रैंक तथा विशिष्टता प्रदान करने हेतु नहीं गिना जाएगा। यदि विद्यार्थी के अंकों में कोई संशोधन नहीं होता है तो उसके पिछले अंकों को ही परीक्षा परिणाम हेतु लिया जाएगा।

14.4 किसी भी विद्यार्थी को प्रायोगिक, प्रोजेक्ट, मौखिक, फील्ड वर्क के अंकों में सुधार कराने की अनुमति नहीं होगी।

15. अंकपत्र(मार्कशीट) एवं उपाधि को प्रदान करना

15.1 प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने पर विद्यार्थी को उस सेमेस्टर हेतु अंक प्रदान किए जाएंगे साथ ही पिछले सेमेस्टर(रों) में प्राप्त अंकों भी दर्शाया जाएगा।

15.2 प्रोग्राम के अंतिम सेमेस्टर के अंकपत्र(मार्कशीट) में श्रेणी/कक्षा/लेटर ग्रेड, प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु अर्जित क्रेडिट्स, ग्रेड प्वाइंट औसत(जी.पी.ए), वेटेज औसत अंक(डब्ल्यु.ए.एम.), संचायी ग्रेड प्वाइंट औसत(सी.जी.पी.ए.) और एक सेमेस्टर के सभी पाठ्यक्रमों के समग्र वेटेज प्रतिशत अंक(ओ.डब्ल्यु.पी.एम.) सहित सभी सेमेस्टरों के समेकित अंक दर्शाये जाएंगे।

15.3 सफल विद्यार्थियों को अधिनियम एवं संविधियों के प्रावधानों के अनुसार संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि में दाखिला दिया जाएगा बशर्ते :

- उसने पंजीकृत कराया हो और निर्धारित समय के भीतर क्रेडिट्स की अपेक्षित न्यूनतम संख्या अर्जित की हो।

- उसने अपेक्षित उपस्थिति दर्ज की हो
- उसे विश्वविद्यालय, छात्रावास अथवा पुस्तकालय की कोई बकाया राशि देय न हो।
- उसके विरूद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्रवाई लंबित नहीं है
- वह नियमों के अधीन निर्धारित ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करता हो

15.4 ** निम्नलिखित शर्तों के अधीन रैंक प्रमाणपत्र/मेरिट प्रमाणपत्र को जारी करने हेतु विद्यार्थी पात्र होगा :

(i) विद्यार्थी बिना किसी ब्रेक के प्रोग्राम में सभी पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण होना चाहिए।

(ii) विद्यार्थी को पहले प्रयास में ही प्रत्येक पेपर में उत्तीर्ण होना चाहिए।

(iii) विद्यार्थी के विरूद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्रवाई शुरू न की गई हो।

16. किसी भी कठिनाई को दूर करने की शक्ति(पॉवर)

अध्यादेश में क्या निहित है, के होते हुए भी अध्यक्ष, विद्या(एकेडेमिक) परिषद/कार्यकारी परिषद असाधारण परिस्थितियों तथा संबंधित स्कूल बोर्ड की सिफारिशों पर अथवा प्रत्येक व्यक्ति के मामले में मेरिट्स पर उपयुक्त समिति, और रिकार्ड किए जाने हेतु कारणों, निर्धारित सी.जी.पी.ए अपेक्षाओं के प्रावधानों को छोड़कर किसी भी प्रावधानों में रियायत पर विचार कर सकती है।

* कार्यकारी परिषद द्वारा दिनांक 06.01.2014 को आयोजित 12वीं बैठक में मद(आईटम) ई.सी.12.7 के अधीन संशोधित

** कार्यकारी परिषद द्वारा दिनांक 19.09.2015 को आयोजित 15वीं बैठक में मद(आईटम) ई.सी.15.21 के अधीन संशोधित

17. **यदि विद्यार्थी किसी शैक्षणिक/व्यावसायिक संस्थान में प्रवेश पाने की मांग की है अथवा मांग करता है अथवा इस विश्वविद्यालय से उसके द्वारा ली गई परीक्षा के आधार पर राज्य में अथवा बाहर रोजगार की तलाश है तो आवेदक द्वारा निर्धारित फीस के भुगतान पर उक्त परीक्षा के परिणाम की घोषणा के पहले संस्थान के प्रमुख को गोपनीय रूप से परीक्षा नियंत्रक द्वारा उसका परीक्षा परिणाम सूचित किया जा सकता है। कुलपति द्वारा समय-समय पर निर्धारित उक्त फीस प्रत्येक परीक्षा परिणाम सूचित किए जाने वाले संस्थान/नियुक्ति प्राधिकारण हेतु अलग से आवेदक द्वारा देय होगी

** कार्यकारी परिषद द्वारा दिनांक 19.09.2015 को आयोजित 15वीं बैठक में मद(आईटम) ई.सी.15.30 के अधीन संशोधित

अध्यादेश 7

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा देय फीस

{केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 28 की उप-धारा (1) (ई)}

(कार्यकारी परिषद की दिनांक 26.06.2010 को आयोजित बैठक में अनुमोदित)

1. कार्यकारी परिषद शैक्षिक परिषद की सिफारिशों पर समय-समय पर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा फीस निर्धारित करेगी।**

2. अध्ययन के विभिन्न प्रोग्रामों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी निर्धारित फीस का भुगतान करेंगे।

3. **अंतिम तारीख और भुगतान का तरीका :**

3.1 विद्यार्थीसमय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस जमा करेंगे।

3.2 फीस का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तारीख तक या उससेपहले किया जाएगा।

3.3 फीस के भुगतान का तरीका (नकद/डीडी/चैक/आईपीओ/ई-भुगतान) समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगाऔर प्रवेश अधिसूचना में अधिसूचित किया जाएगा।

4. **भुगतान में विलंब या चूक :**

4.1 शैक्षिक कार्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर जिसमें फीस के भुगतान में विलंब की अनुमति नहीं दी जाएगी,फीस को विलंब से भुगतान करने पर निम्नानुसार जुर्माना (फाइन) लगाया जाएगा :

(i) अंतिम तारीख के बाद पहले 10 दिन फीस का 15%

(ii) उसके बाद के अगले 10 दिन फीस का 25%

(iii)उसके बाद के अगले 10 दिन फीस का 50%

4.2 कुलपति अथवा अन्य कोई अधिकारी जिन्हें यह शक्ति प्रदान की गई हैं, संबंधित स्कूल के अधिष्ठाता(डीन) की सिफारिशों पर विशेष मामलों में फीस के विलंब से भुगतान की किसी भी शर्त में छूट दे सकते हैं बशर्तें संबंधित विद्यार्थी फीस के देरीसे भुगतान किए जाने का कारण बताते हुए लिखित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करें। ऐसा प्रार्थना-पत्र निर्धारित तारीख से काफी पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि निर्णय लेकर संबंधित विद्यार्थी को समय पर संप्रेषित किया जा सके।

4.3 चूककर्ताओं का नाम मूल रूप से निर्धारित फीस के भुगतान की अंतिम तारीख से एक माह के समाप्त होने के बाद विश्वविद्यालय रोल से हटा दिया जाएगा।

4.4 एक विद्यार्थी को जिसका नाम विश्वविद्यालयरोल से काट दिया गया है संबंधित स्कूल केअधिष्ठाता(डीन)की सिफारिशों पर और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पुन:प्रवेश फीस के साथ में पूर्णत: बकाया फीस और अन्य देय राशि का भुगतान करने पर कुलपति द्वारा पुन: प्रवेश दिया जा सकता है ।

4.5 जब भी एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय छोड़ना चाहता है, वह अपने विश्वविद्यालय छोड़ने की तारीख सूचित करते हुए विभाग/केंद्र अध्यक्ष के माध्यम से संबंधित स्कूल अधिष्ठाता(डीन)को एक आवेदनपत्र प्रस्तुत करेगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो उसने जिस माह तक की फीस दे दी है उस माह के बाद अधिकतम एक माह की अवधि के लिए उसका नाम विश्वविद्यालय के रोल पर रहेगा। उसे वे सभी फीस/प्रभार का भुगतान भी करनाहोगा जो इस अवधि के दौरान देय हो।

5. **'गंभीर क्षति वाले नेत्रहीन विद्यार्थियों' को छूट :**

'गंभीर क्षति वाले नेत्रहीन विद्यार्थियों' को सभी प्रकार की ट्यूशन फीस के भुगतान से छूट होगी।

6. **फीस में छूट**

6.1 समिति जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति हो, की सिफारिशों पर स्कूल का अधिष्ठाता(डीन)विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिशत तक फ्री-शिप प्रदान करेगा।

(i) अधिष्ठाता(डीन)-अध्यक्ष

(ii) कुलपति द्वारा नामित तीन विभाग/केंद्र अध्यक्ष

(iii)कुलपति द्वारा नामित संबंधित विभाग/केंद्र के तीन विद्यार्थी

6.2 यदि फ्री-शिप के लिए आवेदकों की संख्या उपलब्ध फ्री-शिप की संख्यासे अधिक हो तो उप-खण्ड(1) में संदर्भित समिति कुछ आवेदकों को आधी फ्री-शिप की सिफारिश कर सकती है ताकि कुल फ्री-शिप निर्धारित फ्री-शिप प्रतिशत से अधिक न हो।

**कार्यकारी परिषद द्वारा दिनांक 02.07.2011को आयोजित चौथी बैठक में मद ईसी 4.12 के अधीन संशोधित

6.3 फीस में छूट के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में अधिष्ठाता(डीन) द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख तक विभाग/केंद्र अध्यक्ष के माध्यम से संबंधित स्कूलअधिष्ठाता(डीन)को प्रस्तुतकिया जाएगा। उस तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों पर सामान्यतया विचार नहीं किया जाएगा।

6.4 फ्री-शिप प्रदान करने के लिए विद्यार्थियों के आवेदनों पर सिफारिश करते समय निम्नलिखिततथ्यों का ध्यान रखा जाए :

(i) विद्यार्थी के शैक्षिक रिकार्ड

(ii) फ्री-शिप के नवीकरण के मामले में उसकी अध्ययन में प्रगति

(iii) उसकी वित्तीय स्थिति और

(iv) कोई अन्य तथ्य जिसे भी रिकार्ड किया गया हो।

6.5 शैक्षिक वर्ष/सेमेस्टर के दौरान प्रदान फ्री-शिप आगामी वर्ष/सेमेस्टर में स्वत: ही नवीकरण नहीं होगा। ऐसी छूट की आवश्यकता वाले विद्यार्थीप्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर में नए आवेदन प्रस्तुत करेंगे जिसे प्राप्त नए आवेदनों के साथ में विचार किया जाएगा।

6.6 विद्यार्थी को प्रदान फ्री-शिप को रद्द किया जा सकता है यदि उसका आचरणया अध्ययन में प्रगति असंतोषजनक पाई गई या यदि उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार आ जाता है और ऐसी छूट का औचित्यनहीं रह जाता।

6.7 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए फीस छूट भारत सरकार के निदेशों के अनुसार लागू होंगी।

7. फीस, जमानती जमा इत्यादि की वापसी :

7.1 विद्यार्थी के विश्वविद्यालय छोड़ने पर उससे प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर उसके संबंध में सभी देय राशि, जुर्माना और अन्य दावों को काटने के बाद जमानती जमा वापसी योग्य है।

7.2 यदि कोई विद्यार्थी विश्वविद्यालय छोड़ने के दो कलैण्डर वर्ष के अंदर अपने क्रेडिट की राशि की वापसीहेतु दावा नहींकरता, तो यह मान लिया जाएगा कि वह राशि उसके द्वारा विद्यार्थियों की सहायता निधि को दान कर दी गई है। दो वर्ष की अवधि की गणना विद्यार्थी द्वारा दी गई परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तारीख से की जाएगी या उस तारीख से की जाएगी जब उसका नाम विश्वविद्यालय रोल से काटा गया हो।

7.3 यदि फीस का भुगतान करने के बाद एक अभ्यर्थी अपना प्रवेश रद्द करना चाहता है तो उसे एक माह की ट्यूशन फीस और पूर्ण प्रवेश शुल्क (अधिकतम ₹1000/- की कटौती के अधीन) को छोड़कर सभी फीस और जमा वापस कर दिया जाएगा, बशर्ते कुलसचिव को प्रवेश छोड़ने संबंधी उसका आवेदन संबंधितशैक्षिक सत्र के आरंभ होने के पांच पूरे दिनोंतक या प्रवेश के पूरा होने के बाद पंद्रह पूरे दिनों के अंदर, जो भी बाद में हो, प्राप्तहो।***

7.4 यदि अपनी फीस का भुगतान करने के बाद एक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं लेता है, तो केवल खेलकूद फीस और जमानती जमा ही उसे वापस की जाएगी बशर्ते कुलसचिव को प्रवेश छोड़ने संबंधी उसका आवेदन कक्षाएं आरम्भ होने के बाद 30 पूरे दिनों तक प्राप्त हो जाए। **

7.5 शैक्षिक सत्र के आरम्भ होने से 30 दिन समाप्त होने के बाद, यदि प्रवेश छोड़ने संबंधी आवेदन प्राप्त होता है तो विद्यार्थी केवल जमानतीजमाकी वापसी के लिए ही हकदार होगा। ***

7.6 यदि एक विद्यार्थी, उसके कारण से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को हुई क्षति की वजह से विश्वविद्यालय को किसी राशि का देनदार है तो वह राशि बकाया ट्यूशन फीस और जुर्माना, यदि कोई है, के साथ में उसे देय जमानती जमा से काट ली जाएगी।

8. विद्यार्थियों को परीक्षा प्रवेश पत्र (हॉल टिकट) जारी नहीं किया जाएगा या उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहींदी जाएगी यदि वे उनको देय राशि क्लिअर नहीं कराते हैं और परीक्षा फीस का भुगतान नहीं करते हैं।

9. परीक्षा परिणाम की पुन: जॉंच हेतु फीस :

पुन: जांच के लिए फीस ₹ 50% प्रति उत्तर पुस्तिका ली जाएगी। यदि परीक्षा परिणाम की पुन: जॉंच में विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचितपरिणामों में कोई गलती या चूक पाई जाती है तो अभ्यर्थी को फीस लौटा दी जाएगी।

***कार्यकारी परिषद द्वारा दिनांक 22/4/2012 को आयोजित छठवीं बैठक में मद ईसी 6.5 के अधीन संशोधित

कार्यकारी परिषद द्वारा दिनांक 19/09/2015 को आयोजित 15वीं बैठक में मद ईसी 15.24 के अधीन संशोधित

****10. अंकों के विवरण(स्टेटमेंट्स ऑफ मार्क्स) की आपूर्ति के लिए फीस :**

10.1 प्रत्येक अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क के साथ, प्रत्येक परीक्षा के अंकों के कथन की आपूर्ति के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान करेगा।

10.2 अंकों का कथन संबंधित विभाग/केंद्र अध्यक्ष के माध्यम से अभ्यर्थियों को भेजे जाएंगे।

10.3 अंकों के कथन की डुप्लीकेट प्रतियों की आपूर्ति, प्रत्येक अंकों के कथन के लिए ₹100/- फीस के तौर पर भुगतान करने पर की जाएगी।

11. स्थानांतरण, अनंतिम और अन्य प्रमाणपत्रजारी करने के लिए फीस :

11.1 स्थानांतरण/अनंतिम और अन्य प्रमाणपत्र जारी करने के लिए और इसकी डुप्लीकेट प्रतियों के लिए निम्नलिखित फीस होगी :

क.	स्थानांतरण प्रमाणपत्र स्थानांतरण प्रमाणपत्र की डुप्लीकेट प्रति	₹ 100 ₹ 50
ख.	विश्वविद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अनंतिम प्रमाणपत्र उक्त की डुप्लीकेट प्रति	₹ 100 ₹ 50
ग.	उपाधि प्रमाणपत्र (स्वयं) उपाधि प्रमाणपत्र (अनुपस्थिति में) उपाधि की डुप्लीकेट प्रति	₹ 500 ₹ 200 ₹ 200
घ.	वास्तविक प्रमाणपत्र	₹ 50

11.2 यदि एक विद्यार्थी या अभ्यर्थी विश्वविद्यालय रजिस्टर में मूल रूप से रिकार्ड किए अपने नाम में जोड़ना या अपने नाम को बदलना चाहता है, तो उसे फीस ₹500/- का भुगतानकरना होगा । इस संबंध में निर्धारित आवश्यक औपचारिकताएं उसके द्वारा पूरी करने के बाद ही, विश्वविद्यालय नामांकनरजिस्टर में उपनाम के रूप में उसके नाम में जोड़ा या परिवर्तन किया जाएगा ।

11.3 यदि एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय रजिस्टर में प्रविष्टि की गई अपनी जन्म तिथि के रिकार्ड में परिवर्तन करने के लिए आवेदनकरताहै तो उसे ₹200/- का भुगतान करनाहोगा और विश्वविद्यालयद्वारा निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करना होगा ।

अध्यादेश 9

स्कूल बोर्ड का गठन, शक्तियाँ और कार्य इत्यादि

{केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की संविधि 15(3) एवं (4)}

(कार्यकारी परिषद द्वारा दिनांक 26.06.2010 को आयोजित द्वितीय बैठक में अनुमोदित)

स्कूल बोर्ड का गठन :

(1) प्रत्येक स्कूल बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

(i) स्कूलका डीन जो अध्यक्ष होगा (पदेन) ;

(ii) स्कूल में विभागों के अध्यक्ष (पदेन) ;

(iii) स्कूल में सभी प्रोफेसर ;

(iv) स्कूल में प्रत्येक विभाग से वरिष्ठता के अनुसार क्रमावर्ती(रोटेशन) द्वारा एक सह प्रोफेसर और एक सहायक प्रोफेसर ;

(v) स्कूल के प्रत्येक विभाग का एक विशेषज्ञ जो विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ न हो और जो विषय या विषयों का विशेष ज्ञान रखता हो तथा जिसे शैक्षिक परिषद द्वारा नामित किया गया हो बशर्ते इस उपखण्ड के अंतर्गत स्कूलों के एक विभाग के प्रत्येक अध्ययन स्कूल से नामित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या दो होगी ।

(vi) **दो तकनीकी/औद्योगिक विशेषज्ञ जहाँ भी लागू हो, जो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए न हो और जो डीनों की सिफारिशों पर सम कुलपति द्वारा नामित हो ।

(2) पदेन सदस्यों के अलावा सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा और वे पुन: नामित किए जाने के लिए पात्र होंगे ।

शक्तियाँ और कार्य :

(i) शिक्षणऔर अनुसंधान के स्टैण्डर्ड को बढ़ाने के लिए योजना पर विचार करना और शैक्षिक परिषद को ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत करना ;

(ii) अध्ययन प्रोग्राम की सिफारिश करना ;

(iii) शैक्षिक परिषद को परीक्षकों और निर्णायकों के नाम का समर्थन करना;

(iv) स्कूल में अभ्यर्थियों के एम.फिल./पीएचडी प्रोग्रामों पर विचार कर शैक्षिक परिषद को सिफारिश करना ;

(v) संबंधित स्कूल के विभाग/केंद्र की सिफारिशों पर एम.फिल./पीएचडी प्रोग्रामों के लिए नामित विद्यार्थियों के लिए सुपरवाइजरों का नियुक्त करना ;

(vi) एम.फिल./पीएचडी उपाधियों वाले अनुसंधान प्रोग्रामों में प्रवेश के लिए आवेदनों पर विचार करना ;

(vii) स्कूल के विभाग की समय-सारणी में समन्वयन करना ;

(viii) ऐसे विषयों या क्षेत्रों में शिक्षण और अनुसंधान कार्य कराने के लिए समितियाँ नियुक्त करना जो एक से अधिक विभाग या स्कूल की रूचि के हैं या जो किसी विभाग या स्कूल के दायरे में नहीं आते हैं और ऐसी समितियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना। ऐसी समितियों की बनावट, शक्तियाँ और कार्य विनियमों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे ;

(ix) लगातार आंतरिक कार्य मूल्यांकन के लिए सामान्य नियम/तरीके बनाना ;

(x) स्कूल के विद्यार्थियों के कल्याण के संबंध में प्रस्तावों पर विचार कर कार्रवाई करना ;

(xi) अनुसंधान उपाधियों के लिए अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत थीसिस के मूल्यांकन के लिए परीक्षकों के पैनल की शैक्षिक परिषद को सिफारिश करना ;

(xii) विश्वविद्यालय अनुसंधान छात्रवृत्तिप्रदान किए जाने के लिए सिफारिश करना ;

(xiii) शैक्षिक प्रयोजन हेतु किसी प्रकार की स्वीकार्य छुट्टी के लिए आवेदनों पर विचार कर सिफारिश करना ;

(xiv) स्कूल के विभाग/केंद्र से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के बाद शिक्षण पदों के सृजन एवं समाप्तकिए जाने के लिए शैक्षिक परिषद को सिफारिश करना ;

(xv) स्कूल के अंदर अनुसंधान को बढ़ावा देना और शैक्षिक परिषद को अनुसंधान संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करना ;

(xvi) कार्य क्षेत्र के संबंध में किसी मामले पर विचार करना और शैक्षिक परिषद को ऐसी सिफारिश करना ;

*कार्यकारी परिषद द्वारा दिनांक 06.01.2014 को आयोजित 12वीं बैठक में मद ईसी 12.7 के अधीन संशोधित

**कार्यकारी परिषद द्वारा दिनांक 19.09.2015 को आयोजित 15वीं बैठक में मद ईसी 15.25 के अधीन संशोधित

(xvii) डीन को ऐसी सामान्य या विशेष शक्तियां प्रत्यायोजित करना जिसका निर्णय समय-समय पर बोर्ड द्वारा लिया गया हो ;

(xviii) कार्य के क्षेत्र सेसंबंधित किसी मामले पर विचार करने के लिए समितियों का गठन करना ;

(xix) ऐसे अन्य सभी कार्य करना जो अधिनियम, संविधियों या अध्यादेशों द्वारा निर्धारितकिए गए हों और ऐसे सभी मामलों पर विचार करना जो शैक्षिक परिषद या सम कुलपति द्वारा संदर्भित किए गए हों।

बोर्ड की बैठक :

(i) स्कूल बोर्ड की बैठकें या तो सामान्य होगी या विशेष।

(ii) सामान्य बैठकें एक सेमेस्टर में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी।

(iii) विशेष बैठक स्कूल के डीन द्वारा स्वयं की पहल पर बुलाई जा सकती है या उप-कुलपति के सुझाव पर या बोर्ड के कम से कम 50% सदस्यों केलिखित अनुरोध पर बुलाई जाएगी। पहले से अधिसूचित मद के अलावा अन्य किसी भी मद पर विशेष बैठक में चर्चा नहीं की जाएगी। वे सभी सदस्य जिन्होंने विशेष बैठक के लिए अनुरोध किया है, बैठक में उपस्थित रहना होगा।

(iv) बोर्ड की बैठक का नोटिस विशेष बैठक के अलावा सामान्यतया बैठक के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम 10 दिन पहलेजारी किया जाएगा।

(v) बोर्ड की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 50% होगा।

(vi) बोर्ड की बैठकें आयोजित करने के नियम विनियमों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

अध्यादेश 12

विश्वविद्यालय के विभागों/केंद्रों के कर्तव्य

{केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 28(1)(ओ)}

(कार्यकारी परिषद द्वारा दिनांक 26.06.2010 को आयोजित द्वितीय बैठक में अनुमोदित)

1. अधिनियम की दूसरी अनुसूची में दी गई पहली संविधियों की संविधि 15(बी) के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक विभाग/केंद्र में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

(i) विभाग/केंद्र के शिक्षक

(ii) विभाग/केंद्र में अनुसंधान करवाने वाले व्यक्ति

(iii) स्कूल के अधिष्ठाता(डीन)

(iv) अवैतनिक प्रोफेसर यदि कोई विभाग/केंद्र से जुड़ा हुआ है और

(v) ऐसे अन्य व्यक्ति जो अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार विभाग/केंद्र के सदस्य हो ।

2. विभाग/केंद्र के कर्तव्य होंगे ;

(i) विभाग/केंद्र द्वारा डील किए जाने वाले विषयों के संबंधों में परीक्षकों और निर्णायकों के नाम संबंधित बोर्ड ऑफ स्कूल को सिफारिश करना ।

(ii) अभ्यर्थियों को सौंपे जाने वाले पाठ्यक्रमों के विवरण के साथ में अनुसंधान उपाधियों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के आवेदनों और पर्यवेक्षक(सुपरवाइजर) के रूप में नियुक्त किए जाने विभाग/केंद्र के शिक्षकों के नामों की सिफारिश करना ।

(iii) विभाग/केंद्र द्वारा प्रस्तावित प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए सेशनल मूल्यांकन के लिए पैटर्न और समय सारणी की सिफारिश करना ।

(iv) शिक्षकों को शिक्षण कार्य आबंटित करना और संबंधित स्कूल और विश्वविद्यालय के सामान्य टाइम टेबल के अनुसार टाइम टेबल बनाना ।

(v) व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से विभाग के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली परियोजनाओं के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को प्रस्ताव प्रस्तुत करना ।

(vi) अध्ययन कोर्स और पाठ्यक्रम संबंधित बोर्ड ऑफ स्टडीज को सिफारिश करना ।

(vii) अध्ययन कोर्सो के लिए पाठ्यपुस्तकों की सिफारिश करना।

(viii) संबंधित स्कूल द्वारा इसको सौंपे गए अन्य कार्य करना ।

अध्यादेश 13

विभागों/केंद्रों के अध्यक्षों की शक्तियाँ एवं कार्य

{केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 28(1)(ओ)}

(कार्यकारी परिषद द्वारा दिनांक 26.06.2010 को आयोजित द्वितीय बैठक में अनुमोदित)

1. विभाग/केंद्र अध्यक्ष की नियुक्ति कुलपति द्वारावरिष्ठता के क्रम में क्रमावर्ती(रोटेशन) द्वारा संबंधित विभाग/केंद्र के प्रोफेसरों में से की जाएगी । यदि विभाग/केंद्र में कोई प्रोफेसर नहीं है तो विभाग में प्रोफेसर की नियुक्ति होने तक अध्यक्ष की नियुक्ति, वरिष्ठता के क्रम में क्रमावर्ती(रोटेशन) द्वारा विभाग के सह प्रोफेसरों में से की जाएगी, बशर्तेयदि विभाग में कोई सह प्रोफेसर नहीं है तो कुलपति संबंधित स्कूल के अधिष्ठाता(डीन)अथवा स्कूल में विभागों के अध्यक्षों में से एक को विभाग अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए आदेश दे सकता है ।

2. विभाग/केंद्र के अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा अथवा सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने तक होगा, जो भी पहले हो और वे पुन: नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

3. विभाग/केंद्र अध्यक्ष को बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक "जैसे और जब भी आवश्यक हो" आधार पर बुलानेकीशक्ति होगी।

4. विभाग/केंद्र अध्यक्ष अधिष्ठाता(डीन)के सामान्य पर्यवेक्षण के अधीन होगा :

(i) विभाग/केंद्र में शिक्षण और अनुसंधान कार्य आयोजित करना ;

(ii) विभाग/केंद्र द्वारा बनाए गए शिक्षण कार्य के आबंटन के अनुसार टाइम टेबल बनाना ;

(iii) शिक्षकों के माध्यम से कक्षाओं और प्रयोगशालाओं में अनुशासन बनाए रखना ;

(iv) विभाग/केंद्र में शिक्षकों को ऐसी ड्यूटियां सौंपना जो विभाग/केंद्र के उचित कार्य के लिए आवश्यक हो ; और विभाग/केंद्र में शिक्षण कार्य न करने वाले स्टाफ को कार्य सौंपना और उन पर नियंत्रण रखना ; और

(v) अधिष्ठाता(डीन), संबंधित बोर्डऑफ स्कूल,विद्या(एकेडेमिक) परिषद और कुलपति द्वारा उन्हें सौंपे गए अन्य कार्य करना।

अध्यादेश 14

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना

{केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 6(1)(xii), 28(1) एफ और संविधि12 (2)(xvii)}

(कार्यकारी परिषद द्वारा दिनांक 11.12.2010 को आयोजित तृतीय बैठक में अनुमोदित)

1. विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को प्रदान किए जाने हेतु विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षिक प्रोग्राम में छात्रवृत्ति आरम्भ करेगा।

2. छात्रवृत्ति अध्ययन के पूर्व स्नातक/स्नातकोत्तर/अनुसंधान प्रोग्रामों में पंजीकृत विश्वविद्यालय के पूर्णकालीन नियमित विद्यार्थियों को प्रदान करने के लिए खुली होगी। छात्रवृत्ति, यूजी/पीजी प्रोग्राम के प्रत्येक सेमेस्टर में दो मेधावी विद्यार्थियों (सेमेस्टर के अंतिम परिणामके आधार पर निर्धारित किया जाए) तक सीमित रहेगी। पहले सेमेस्टर के लिए, दो मेधावी विद्यार्थियों का चयन प्रवेश परीक्षा में उनकी संपूर्ण परफॉरमेंस के आधार पर किया जाएगा। विश्वविद्यालय से पंजीकृत सभी शोध विद्यार्थी यूजीसी मानक के अनुसार छात्रवृत्तिके लिए पात्र होंगे।

3. एक छात्रवृत्ति, संबंधित अध्ययन प्रोग्राम की न्यूनतम निर्धारित अवधि के लिए समर्थनीय होगी जिसके लिए एक विद्यार्थी ने पंजीकरण किया है।

4. छात्रवृत्ति के मूल्य का निर्धारण समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

अध्यादेश 15

{अधिनियम की धारा 28(ओ); संविधि 2 (6)(iii)}

(कार्यकारी परिषद की दिनांक 11.12.2010 को आयोजित तृतीय बैठक में अनुमोदित)

कुलपति की सेवा की परिलब्धियाँ, निबंधन एवं शर्तें

कुलपति निम्नानुसार वेतन एवं अन्य लाभों के हकदार होंगे :

1. वेतन : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/केंद्रीय सरकार द्वारासमय-समय पर अधिसूचित।

2. महंगाई और अन्य भत्ते : मकान किराया भत्ते को छोड़कर केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित।

3. कुलपति ऐसे आवधिक लाभों और भत्तों के लिए हकदार होंगे जो समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हों।

4. समतुल्य पद के अधिकारियों की तरह कुलपति केंद्रीय सरकारद्वारा अधिसूचित छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार होंगे।

5. कुलपति विश्वविद्यालय में लागू नियमों के अनुसार स्वयं और उनके परिवार के सदस्यों के चिकित्सा उपचार पर हुए चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार होंगे।

6. कुलपति पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर और अपने कार्यकाल के समाप्त होने पर पद छोड़ने पर गृहनगर से विश्वविद्यालय परिसर(कैंपस) और विश्वविद्यालय परिसर से गृहनगर तक स्वयं/अपने परिवार के सदस्यों के लिए यात्राभत्ता/दैनिक भत्ता संबंधी खर्चे की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार होंगे ।

7. सम कुलपति केंद्रीय सरकार में उनके समतुल्य पदों के लिए लागू दरों से यात्रा भत्ता प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे ।

8. छुट्टी :

क) कुलपति अपनेपद के कार्यकाल के दौरान कलैण्डरवर्ष में 30 दिनों की दर पर पूर्ण वेतन छुट्टी के लिए हकदार होंगे । छुट्टी प्रत्येक वर्ष अग्रिम में जनवरी के पहले दिन और जुलाई के पहले दिन 15-15 दिन की दो अर्धवार्षिक किश्तों में उनके खाते में क्रेडिट की जाएगी।

बशर्ते यदि कुलपति छमाहीके चालू रहने के दौरान कुलपति के पद का कार्यभार ग्रहण करते हैं या छोड़ते हैं तो छुट्टी,सेवा के प्रत्येक पूरे माह के लिए 2 ½ दिनों की दर से यथानुपात क्रेडिट की जाएगी ।

ख) पिछलीछमाही के समाप्त होने पर कुलपति के क्रेडिट में छुट्टी को आगामी छमाही में इस शर्त के अधीन आगे ले जाया जाएगा कि इस तरह आगे ले जाई गई छुट्टी तथा नई छमाही में क्रेडिट छुट्टी मिलाकर 300 दिन की अधिकतम सीमा से ज्यादा न हो ।

ग) कुलपति अपने पद का कार्यभार छोड़ने पर अधिकतम 300 दिनों और अन्यत्र लिए गए नकदीकरण लाभ के अधीन पद का कार्यभार छोड़ते समय उन्हें देय पूर्ण वेतन छुट्टी के दिनों की संख्या के लिए स्वीकार्य छुट्टी वेतन के बराबर की राशि प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे ।

घ) कुलपति सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए 20 दिनों की दर से अर्ध वेतन छुट्टी के लिए भी हकदार होंगे । अर्धवेतन छुट्टी, चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर परिणत छुट्टी के रूप में भी ली जा सकती है बशर्तेजब ऐसी परिणत छुट्टी ली जाएगी तो देय अर्धवेतन छुट्टी में से अर्धवेतन छुट्टी की दुगुनी मात्रा की कटौती की जाएगी ।

ङ.) कुलपति पांचवर्ष के पूर्ण सत्र के दौरान चिकित्सा आधार पर या अन्य प्रकार से तीन माह की अधिकतम अवधि के लिए बिना वेतन के असाधारण छुट्टी लेने के भी हकदार होंगे ।

क) यदि कुलपति को अगले सत्र के लिए नियुक्त किया जाता है तो उपर्युक्त छुट्टी अवधि प्रत्येक सत्र में अलग से लागू होगी।

ख) ऐसी छुट्टी अवधि के दौरान, कुलपति समान वेतन, मानदेय और भत्ते एवं सेवा की अन्य सुविधाएं, जो प्रदान की गई हो, के लिए हकदार होगा ।

ग) कुलपति की केंद्रीयसरकार या राज्य सरकार द्वारा बुलाए जाने, सार्वजनिक सेवा या किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय की ओर से प्रतिनियुक्ति पर होने के कारण से अनुपस्थिति की स्थिति में, इस प्रकार व्यतीत अवधि को ड्यूटी पर व्यतीत अवधि माना जाएगा ।

घ) जब एक विश्वविद्यालय कर्मचारी को कुलपति के रुप में नियुक्त किया जाताहै तो उन्हें कुलपति के पद पर नियुक्ति से पहले की अपने क्रेडिट की छुट्टी लेने की अनुमति होगी । इसी प्रकार कुलपति के पद को छोड़ने पर और अपने पुराने पद पर पुन: कार्यभार ग्रहण करने पर उन्हें नए पद पर अपने क्रेडिट की छुट्टी वापस अपने खाते में लेने का हक होगा ।

उन्हें भविष्य निधि में अंशदान करने की अनुमति दी जाएगी जिनके वे सदस्य हैं और विश्वविद्यालय ऐसे व्यक्ति के संबंध में उस भविष्य निधि में उसी दर से अंशदान करेगा जिस दर से वह व्यक्ति सम कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति से ठीक पहले कर रहा था ।

9. यदि एक व्यक्ति दूसरे संस्थान में कार्यरत हैं और वे प्रतिनियुक्ति पर सम कुलपति के रूप में नियुक्त किए जाते हैं तो वे संस्थान के प्रतिनियुक्ति नियमों के अनुसार वेतन, भत्ते, छुट्टी और छुट्टी वेतन के हकदार होंगे जिसके लिए वे कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले हकदार थे और जब तक वे इस पर पुर्नग्रहणाधिकार रखना जारी रखते हैं । विश्वविद्यालय उस संस्थान को छुट्टी वेतन, भविष्य निधि, पेंशन अंशदान का नियमानुसार यथाग्राह्य, भुगतान भी करेंगे जहाँवे स्थायी रूप से कार्यरत है ।

10. **सुविधाएं :**

1) कुलपति जल,विद्युत और बिना किराए वाली सुसज्जित आवासीय व्यवस्था के हकदार होंगे जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित फर्नीचर हो । उनके रहने का परिसर विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित(मैनटेन) किया जाएगा ।

2) सम कुलपति नि:शुल्क कार्यालयीन कार की सुविधा के हकदार होंगे । वे अपने निवास पर नि:शुल्क टेलीफोन सेवा (एसटीडी और आईएसडी सहित) के भी हकदार होंगे ।

3) कुलपति अपने निवास पर एक रसोइया, एक परिचर(अटैण्डेंट) और एक बैरा (बेअरर) के भी हकदार होंगे ।

अध्यादेश 16

सम-कुलपति की सेवा की परिलब्धियाँ, निबंधनएवं शर्तें

{अधिनियम की धारा 28(ओ); संविधि 4 (3)}

(कार्यकारी परिषद की दिनांक 11.12.2010 को आयोजित तीसरी बैठक में अनुमोदित)

सम-कुलपति निम्नानुसार वेतन प्राप्त करेंगे :

1. वेतन : केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित

2. महंगाई एवं अन्य भत्ते : केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित

   जब विश्वविद्यालय या किसी अन्य संस्थान का एक कर्मचारी सम-कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाता है, उनका समान सेवानिवृत्त लाभ योजना [अर्थात सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि/पेंशन/उपदान (ग्रेच्यूटी)] द्वारा शासित होना जारी रहेगा जिसके लिए वे सम-कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले हकदार थे और जब तक वे उस पद पर पुनर्ग्रहणाधिकाररखना जारी रखते हैं।

3. सम-कुलपति विश्वविद्यालय में लागू नियमों के अनुसार स्वयं और उनके परिवार के सदस्यों के चिकित्सा उपचार पर हुए चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार होंगे।

4. सम-कुलपति पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर और अपने कार्यकाल के समाप्त होने पर पद छोड़ने पर गृहनगर से विश्वविद्यालय परिसर(कैंपस) और विश्वविद्यालय परिसर से गृहनगर तक स्वयं/अपने परिवार के सदस्यों के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता संबंधी खर्चें की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार होंगे।

5. सम-कुलपति केंद्रीय सरकार में उनके समतुल्य पदों के लिए लागू दरों से यात्रा भत्ता प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे।

6. सम-कुलपति जल, विद्युत और बिना किराए वाली सुसज्जित आवासीय व्यवस्था के हकदार होंगे। उनके रहने का परिसर विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित(मैनटेन) किया जाएगा।

7. सम-कुलपति कार्यालय और अपनेनिवास के बीच की गई यात्रा के लिए स्टाफ कार की सुविधा के हकदार होंगे। वे अपने निवास पर नि:शुल्क टेलीफोन सेवा (एसटीडी सेवा सहित) के भी हकदार होंगे।

8. सम-कुलपति अपने निवास पर एक रसोइया, एक परिचर(अटैण्डेंट) और एक बैरा(बीयरर) के भी हकदार होंगे।

9. **छुट्टी :**

   क) सम-कुलपति कैलेंडरवर्ष में 30 दिनों की दर पर पूर्ण वेतन छुट्टी के लिए हकदार होंगे। छुट्टी प्रत्येक वर्ष अग्रिम में जनवरी के पहले दिन और जुलाई के पहले दिन 15-15 दिन की दो अर्धवार्षिक किस्तों में उनके खाते में क्रेडिट की जाएगी।

   बशर्ते यदि सम-कुलपति छमाही के चालू रहने के दौरान सम-कुलपति के पद का कार्यभार ग्रहण करते हैं अथवा छोड़ते हैं तो छुट्टी,सेवा के प्रत्येक पूरे माह के लिए 2 ½ दिनों की दर से यथानुपात क्रेडिट की जाएगी।

   ख) पिछली छमाही के समाप्त होने पर सम-कुलपति के क्रेडिट में छुट्टी को आगामी छमाही में इस शर्त के अधीन आगे ले जाया जाएगा कि इस तरह आगे ले जाई गई छुट्टी तथा नई छमाही में क्रेडिट छुट्टी मिलाकर 300 दिन की अधिकतम सीमा से ज्यादा न हो।

   ग) सम-कुलपति अपने पद का कार्यभार छोड़ने पर अधिकतम 300 दिनों और अन्यत्र लिए गए नकदीकरण लाभ के अधीन पद का कार्यभार छोड़ते समय उन्हें देय पूर्ण वेतन छुट्टी के दिनों की संख्या के लिए स्वीकार्य छुट्टी वेतन के बराबर की राशि प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे।

   घ) सम-कुलपति सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए 20 दिनों की दर से अर्ध वेतन छुट्टी के लिए भी हकदार होंगे। अर्धवेतन छुट्टी, चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर परिणत छुट्टी के रूप में भी ली जा सकती है बशर्तेजब ऐसी परिणत छुट्टी ली जाएगी तो देय अर्धवेतन छुट्टी में से अर्धवेतन छुट्टी की दुगुनी मात्रा की कटौती की जाएगी।

   ड.) यदि सम-कुलपति को अगले सत्र के लिए नियुक्त किया जाता है तो उपर्युक्त छुट्टी अवधि प्रत्येक सत्र में अलग से लागू होगी।

   च) ऐसी छुट्टी अवधि के दौरान, कुलपति समान वेतन, मानदेय और भत्ते एवं सेवा की अन्य सुविधाएं, जो प्रदान की गई हो, के लिए हकदार होगा।

छ) सम-कुलपति की केंद्रीयसरकार या राज्य सरकार द्वारा बुलाए जाने, सार्वजनिक सेवा या किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय की ओर से प्रतिनियुक्ति पर होने के कारण से अनुपस्थिति की स्थिति में, इस प्रकार व्यतीत अवधि को ड्यूटी पर व्यतीत अवधि माना जाएगा।

ज) जब एक विश्वविद्यालय कर्मचारी को सम-कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाताहै तो उन्हें सम-कुलपति के पद पर नियुक्ति से पहले की अपने क्रेडिट की छुट्टी लेने की अनुमति होगी। इसी प्रकार सम-कुलपति के पद को छोड़ने पर और अपने पुराने पद पर पुन: कार्यभार ग्रहण करने पर उन्हें नए पद पर अपने क्रेडिट की छुट्टी वापस अपने खाते में लेने का हक होगा।

उन्हें भविष्य निधि में अंशदान करने की अनुमति दी जाएगी जिनके वे सदस्य हैं और विश्वविद्यालय ऐसे व्यक्ति के संबंध में उस भविष्य निधि में उसी दर से अंशदान करेगा जिस दर से वह व्यक्ति सम-कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति से ठीक पहले कर रहा था।

झ) यदि एक व्यक्ति दूसरे संस्थान में कार्यरत हैं और वे प्रतिनियुक्ति पर सम-कुलपति के रूप में नियुक्त किए जाते हैं तो वे संस्थान के प्रतिनियुक्ति नियमों के अनुसार वेतन, भत्ते, छुट्टी और छुट्टी वेतन के हकदार होंगे जिसके लिए वे सम-कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले हकदार थे और जब तक वे इस पर पुनर्ग्रहणाधिकार रखना जारी रखते हैं। विश्वविद्यालय उस संस्थान को छुट्टी वेतन, भविष्य निधि, पेंशन अंशदान का नियमानुसार यथाग्राह्य, भुगतान भी करेंगे जहाँवे स्थायी रूप से कार्यरत है।

अध्यादेश 17

कुलसचिव की सेवा की परिलब्धियाँ, निबंधनएवं शर्तें

{अधिनियम की धारा 28(ओ); संविधि 6(3)}

(कार्यकारी परिषद की दिनांक 11.12.2010 को आयोजित तृतीय बैठक में अनुमोदित)

1. कुलसचिव पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए सीधी भर्ती आधार पर नियुक्त किए जाएंगे जिसका कार्यकारीपरिषद द्वारा समान कार्यकाल के लिए नवीकरण किया जा सकता है और समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश और कार्यकारी परिषद द्वारा अपनाए अनुसार वेतनमान में रखे जाएंगे।

2. कुलसचिव की सेवा की निबंधनएवं शर्तें वैसी ही होगी जो विश्वविद्यालय के अन्य नॉन-वेकेशनल कर्मचारियों के लिए निर्धारित होती है।

3. यदि कुलसचिव की सेवाएं सरकार से अथवा किसी अन्य संगठन/संस्थान से गृहित की गई हो तो उनकी सेवा की निबंधन एवं शर्तें भारत सरकार के प्रतिनियुक्ति नियमों द्वारा अधिशासित होगी।

4. प्रतिनियुक्ति पर आए कुलसचिव को कुलपति की सिफारिशों पर कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित अवधि से पहले वापस भेजा जा सकता है।

5. कुलसचिव अपने निवास पर बिना किराए, नि:शुल्क जल,विद्युत वाले बिना सुसज्जित आवास और नि:शुल्क टेलीफोन सेवा (एसटीडी सुविधा सहित) के लिए हकदार होंगे। कुलसचिव अपने निवास में एक परिचर/बैरा(बेअरर) के भी हकदार होंगे।

6. कुलसचिव,नॉन-वेकेशनल स्टाफ के लिए समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित छुट्टी, भत्ते, भविष्य निधि और अन्य सेवांत हितलाभ (टर्मिनल बेनेफिट) के लिए भी हकदार होंगे।

7. कुलसचिवकार्यालय और अपने निवास के बीच स्टाफकार की सुविधा के हकदार होंगे।

अध्यादेश 18

वित्त अधिकारी की सेवा की परिलब्धियाँ, निबंधनएवं शर्तें

{अधिनियम की धारा 28(ओ); संविधि 7(3)}

(कार्यकारी परिषद द्वारा दिनांक 11.12.2010 को आयोजित तृतीय बैठक में अनुमोदित)

1. वित्त अधिकारी पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए सीधी भर्ती आधार पर नियुक्त किए जाएंगे जिसका कार्यकारी परिषद द्वारा समान कार्यकाल के लिए नवीकरण किया जा सकता है और समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश और कार्यकारी परिषद द्वारा अपनाए अनुसार वेतनमान में रखे जाएंगे।

2. वित्त अधिकारी की सेवा की निबंधनएवं शर्तें वैसी ही होगी जो विश्वविद्यालय के अन्य नॉन-वेकेशनल कर्मचारियों के लिए निर्धारित होती है।

3. यदि वित्त अधिकारी की सेवाएं सरकार से अथवा किसी अन्य संगठन/संस्थान से गृहित की गई हो तो उनकी सेवा की निबंधन एवं शर्तें भारत सरकार के प्रतिनियुक्ति नियमों द्वारा अधिशासित होगी।

4. प्रतिनियुक्ति पर आए वित्त अधिकारी को कुलपति की सिफारिशों पर कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित अवधि से पहले वापस भेजा जा सकता है।

5. वित्त अधिकारी अपने निवास पर बिना किराए, नि:शुल्क जल, विद्युत वाले बिना सुसज्जित आवास और नि:शुल्क टेलीफोन सेवा (एसटीडी सुविधा सहित) के लिए हकदार होंगे। वित्त अधिकारी अपने निवास में एक परिचर(अटैण्डेंट)/बैरा(बेअरर) के भी हकदार होंगे।

6. वित्त अधिकारी,नॉन-वेकेशनल स्टाफ के लिए समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित छुट्टी, भत्ते, भविष्य निधि और अन्य सेवांत हितलाभ (टर्मिनल बेनेफिट) के लिए भी हकदार होंगे।

7. वित्त अधिकारी कार्यालय और अपने निवास के बीच स्टाफ कार की सुविधा के हकदार होंगे।

अध्यादेश 20

पांच वर्षीय एकीकृत(इंटीग्रेटेड) बी.ए.एल.एल.बी. डिग्री कोर्स

{केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 28 की उपधारा (1) (बी)}

(कार्यकारी परिषद द्वारा दिनांक 02.07.2011 को आयोजित चतुर्थ बैठक में अनुमोदित)

1. शीर्षक एवं आरम्भ

(क) यह अध्यादेश पांच वर्षीय एकीकृत(इंटीग्रेटेड) बी.ए.एल.एल.बी. प्रोग्राम प्रदान करने संबंधी अध्यादेश कहा जाएगा।

(ख) शैक्षिक परिषद के संपूर्ण नियंत्रण के अधीन, प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों द्वारा अधिशासित होगा और संबंधित स्कूल बोर्डद्वारा प्रशासित होगा।

(ग) अध्यादेश शैक्षिक सत्र 2011 से लागू होगा।

2. अवधि

(क) विश्वविद्यालय के अधीन एकीकृत(इंटीग्रेटेड) बी.ए.एल.एल.बी. डिग्री प्रोग्राम पांच शैक्षिक वर्षों की अवधि में होने वाला पूर्णकालीन अध्ययन कोर्स होगा। प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में दो सेमेस्टर होंगे।

(ख) उक्त प्रोग्राम को पूर्ण करने के लिए न्यूनतम अवधि 10 सेमेस्टर (5 शैक्षिक वर्ष) होगी और अधिकतम अवधि 16 सेमेस्टर (8 शैक्षिक वर्ष)होगी।

(ग) एक सेमेस्टर अथवा एक वर्ष जीरो सेमेस्टर/वर्ष घोषित किया जा सकता है यदि एक विद्यार्थी संबंधित नियमों द्वारा निर्धारित आवश्यकताओंको पूरे करने के अधीन बीमारी अथवा चिकित्सालय में भर्ती होने के कारण या अन्य छात्रवृत्ति/फेलोशिप को स्वीकार करने केकारण उस अवधि के दौरान प्रोग्राम जारी नहीं रख सका। ऐसा सेमेस्टर/वर्ष अवधि की गणना के लिए गिना नहीं जाएगा।

3. पात्रता

**इस प्रोग्राम में प्रवेश पाने के लिए एक अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्तबोर्ड/विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में 10+2 की परीक्षा न्यूनतम 50% अंको से उत्तीर्ण होना चाहिए।

(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए 5% की छूट होगी)

4. प्रवेश

बी.ए.एल.एल.बी. डिग्री प्रोग्राम में प्रवेश निम्नलिखित प्रक्रिया के आधार पर प्रथम सेमेस्टर में ही किया जाएगा :

(i) विश्वविद्यालय के अधिनियम, संविधि और अध्यादेश में विनिर्दिष्ट अन्य सभी मानदण्डों के अधीनविश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष एक प्रवेश परीक्षा, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया में आयोजित की जाएगी और इस आधार पर मेरिट सूचीनिकाली जाएगी। प्रवेश मैरिटसूची के अनुसार किया जाएगा।

(ii) प्रवेश परीक्षा का स्टैण्डर्ड बोर्ड/सीबीएसईया इसके समान स्तर का कक्षा 12 (10+2 सिस्टम) का होगा।

(iii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए और अन्य प्रकार से योग्य अभ्यर्थियों के लिए सीटों का आरक्षण भारत सरकार नियमों और यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा।

5. सीटों की संख्या

सीटों की कुल संख्या 50 या विश्वविद्यालय के सांविधिक निकायों द्वारा अनुमोदन के अनुसार होगी।

6. प्रोग्राम ढांचा

(क) विश्वविद्यालय एकीकृत(इंटीग्रेटेड) बी.ए.एल.एल.बी. प्रोग्राम में चयन आधारित क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) को अपनाएगा। प्रोग्राम के दौरान, विद्यार्थी को कोर, इलेक्टिव, सपोर्टिव (सॉफ्ट स्कील/लाइफ स्कील) और सामाजिक रूप से ओरिएंटेड कोर्स करना होगा। जबकि कोर और इलेक्टिव कोर्स प्रोग्राम का प्रस्ताव देने वाले विभाग द्वारा प्रस्तावित किए जाएंगे, सपोर्टिव और सामाजिक रूप से ऑरिएन्टेशन कोर्स विश्वविद्यालय के उसी या अन्य विभाग (विभागों) में किए जाएं। विद्यार्थियों को इलेक्टिव, सपोर्टिव और सोशल ओरिएन्टेशन कोर्सों में चयन का प्रस्ताव दिया जाए।

*कार्यकारी परिषद द्वारा दिनांक 6.1.2014 को 12वीं बैठक में मद ईसी 12.7 के अधीन संशोधित

**कार्यकारी परिषद द्वारा दिनांक 19.9.2015 को 15वीं बैठक में मद ईसी 15.24 के अधीन संशोधित

(ख) शैक्षिक परिषद के अनुमोदन के अधीन कोर्स का पाठ्यक्रम और प्रयुक्त की जाने वाली प्रणाली और इन्स्ट्रक्शन डिजाइन संबंधित स्कूल बोर्ड द्वारा तैयार/निर्धारित और प्रकाशित की जाएगी।

7. उपस्थिति

(क) एक अभ्यर्थी को कोर्स या पूर्ण सेमेस्टर के आंतरिक(इन्टर्नल) मूल्यांकन/अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होने के लिए उस कोर्स/सेमेस्टर में न्यूनतम75% उपस्थिति देनी होगी, साथ ही विनियमों में निर्धारित अन्यसंबंधित सभी शर्तों को संतुष्ट करना होगा।

(ख) परंतु, अपवाद मामलों में, स्कूल का अधिष्ठाता(डीन) संबंधित विभागाध्यक्ष की सिफारिशों पर अधिकतम 5% की उपस्थिति में कमी माफ कर सकेंगे यदि दावा न्यायोचित हो और वैध दस्तावेज द्वारा समर्थित हो।

(ग) 5%से अधिक और 10% तक उपस्थिति में कमी को क्षमा करने के लिए स्कूल का डीन पूर्ण औचित्य के साथ कुलपति को सिफारिश कर सकता है जिसका निर्णय अंतिम होगा।

(घ) तथापि, किसी भी विद्यार्थी को खण्ड बी एवं सी के अधीन प्रोग्राम के कुल सेमेस्टर में से 50% से अधिक में छूट प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ड.) संबंधित शिक्षक कोर्स के लिए पंजीकृत विद्यार्थियों की उपस्थिति का रिकार्ड मैनटेन करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

8. परीक्षा एवं मूल्यांकन

(क) एक विद्यार्थी का कोर्स में शैक्षिक परफॉरमेन्स के लिए, संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित संबंधित कोर्स की परीक्षा योजना में दिए अनुसार निरंतर आंतरिक मूल्यांकन (सीआईए) [ट्यूटोरियल्स, प्रैक्टिकल्स, होम एसाइनमेंट्स, क्लास एसाइनमेंट्स, टर्म पेपर्स, फील्ड वर्क, सेमीनार, आवधिक परीक्षा इत्यादि] और अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के माध्यम से निरंतर मूल्यांकन किया जाएगा। क्लीनिकल कोर्सों और प्रोजेक्टवर्क जैसे विशेष पेपरों के लिए अंकों का वितरण संबंधित स्कूल बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(ख) मूल्यांकन के प्रत्येक घटक के लिए वेटेज के वितरण का निर्णय संबंधित स्कूल बोर्डद्वारा किया जाएगा और सेमेस्टर के आरम्भ होनेसे पहले विभागाध्यक्ष द्वारा घोषित किया जाएगा।

(ग) जब तक अन्यथा कुछ न दिया गया हो सैद्धांतिक कोर्सों के लिए अंकों का वितरण निम्नानुसार होगा –

3 परीक्षाओं में से 2 सर्वश्रेष्ठ परीक्षाएं/कानूनी एसाइनमेंट	:	20 अंक
एसाइनमेंट्स/टर्म पेपर	:	05 अंक
सेमीनार/प्रेजेन्टेशन/एक्सटर्नल वाइवा	:	10 अंक
		----------
		35 अंक

उपस्थिति के लिए अंकों का ब्रेकअप

75% तक	:	कोई अंक नहीं
76% से 80% तक	:	1 अंक
81% से 85% तक	:	2 अंक
86% से 90% तक	:	3 अंक
91% से 95% तक	:	4 अंक
96% से 100% तक	:	5 अंक

(घ) निरंतरआंतरिक मूल्यांकन संबंधित शिक्षक द्वारा विभागाध्यक्ष और स्कूल अधिष्ठाता(डीन) के पूर्ण पर्यवेक्षण में आयोजित किया जाएगा। विभागाध्यक्ष डीन के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक को सभी कोर्सों के संबंध में सीआईए की एवार्ड सूची की रिपोर्ट देगा।

(ड.) यदि कोई विद्यार्थी चिकित्सा कारणों या असाधारण परिस्थितियों (दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित) के कारण सीआईए के किसी घटक के लिए उपस्थित नहीं हो सका तो संबंधित विभाग द्वारा अंतिम सेमेस्टर परीक्षा से पहले उस घटक में एक पृथक परीक्षा करवाई जाएगी।

(च) कोर्स की अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में बैठने की पात्रता हेतु विद्यार्थी को सीआईए में न्यूनतम 50% अंक लाने होंगे। अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत भी 50%है।

(छ) कार्यकारी परिषद द्वारा दिनांक 06.01.2014 को आयोजित 12वीं बैठक में मद ईसी 12.7 के अधीन अनुमोदित

यदि एक विद्यार्थी सैद्धांतिक/प्रैक्टिकल कोर्स में प्रत्येक में कम से कम 50% अंक और कुल मिलाकर (आंतरिक मूल्यांकन और अंतिम सेमेस्टर मूल्यांकन) 50% अंक या निम्नलिखित 'छ:' बिन्दु स्केल पर मापा गया 'बी' ग्रेड प्राप्त कर लेता हैतो यह मान लिया जाएगा कि उसने सफलतापूर्वक कोर्स पूरा कर लिया है। *

अंक	ग्रेड बिन्दु	अक्षर ग्रेड	श्रेणी
75-100	4.50-6.00	ओ	श्रेष्ठ (आउटस्टैंडिंग)
65-<75	3.90-<4.50	ए+	उच्च प्रथम (हाई फर्स्ट)
60-<65	3.60-<3.90	ए	प्रथम (फर्स्ट)
55-<60	3.30-<3.60	बी+	उच्च द्वितीय (हाई सैकेंड)
50-<55	3.00-<3.30	बी	द्वितीय (सैकेंड)
00-<50	0.00-<3.00	एफ	अनुत्तीर्ण

(ज) 0.06 का मल्टीप्लीकेशन गुणांक सटीक ग्रेड बिन्दु की गणना करने के लिए लागू किया जाएगा।

(छ) पाठ्यक्रम के अनुसार दिए जाने वाले प्रैक्टिकल प्रशिक्षण (मूट कोर्ट इत्यादि) का विवरण और संबंधित तारीख समय-समय पर विभागाध्यक्ष द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

9. अगले सेमेस्टर में जाना

(क) एक विद्यार्थी को अगले सेमेस्टर में पहुंचने के लिए पात्र होने हेतु एक सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों में न्यूनतम 50% उत्तीर्ण करने होंगे बशर्ते किसी समय सभी पहले सेमेस्टर का कुल बैकलॉग 10 से अधिक न हो।

(ख) *यदि एक विद्यार्थी सेमेस्टर के निर्धारित पाठ्यक्रमों में से 50% से कम में अनुत्तीर्ण होता है या एक पाठ्यक्रम में कम उपस्थिति रखता है तो उसे नियमित विद्यार्थियों के साथ आगामी सेमेस्टर की अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के दौरान पूर्व-विद्यार्थी के रूप में उस पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) में बैठने के लिए अनुमति दी जाएगी। ऐसी विद्यार्थियों के लिए अलग से पूरक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। तथापि,सम कुलपति अंतिम सेमेस्टर परिणाम की घोषणा होने के बाद कुल 4 बैकलॉग रखने वाले विद्यार्थियों हेतु विशेष परीक्षा (सीआईए/ईएसई) प्राधिकृतकर सकते हैं। तथापि, ऐसे मामलों में सभी आंतरिक मूल्यांकन, यथालागू,के अंक, आगे ले जाए जाएंगे।

(ग) जो विद्यार्थी उपस्थिति कम होने के कारण प्रोग्राम की अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं पाए जाते या जो विद्यार्थी सेमेस्टर में निर्धारित पाठ्यक्रमों में से 50% से अधिक में अनुत्तीर्ण रहते हैं उन्हें पुन: सेमेस्टर करना होगा और आगामी शैक्षिक वर्षमें नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रोग्राम के संबंधित सेमेस्टर में पुन: प्रवेश लेना होगा।

*कार्यकारी परिषद द्वारा दिनांक 06/01/2014 को आयोजित 12वीं बैठक में मद ईसी 12.7 के अधीन संशोधित

(घ) ** विद्यार्थीद्वाराअपनापरीक्षापरिणामघोषितहोनेकेपश्चात7 दिनों के भीतर विहित फार्मेट में निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर अंतिमसेमेस्टर परीक्षाओंकी उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकापी प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध कियाजा सकता है।

(ई) *पुन:मूल्यांकन हेतु प्रावधान-:

(i) यदि विद्यार्थी अपने अंतिम सेमेस्टर मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं है तो वह परिणाम घोषित होने के 15 दिनों के भीतर निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर पुन: मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकता है।

(ii) पुन:मूल्यांकन का निर्णय प्राप्त होने के पश्चात, मूल्यांकक और पुन:मूल्यांकक द्वारा दिए गए स्कोर को औसत गणना हेतु लिया जाएगा।

(iii) यदि प्रथम मूल्यांकक और दूसरे मूल्यांकक द्वारा दिए गए अंकों का अंतर 20% से अधिक हो तो उत्तर पुस्तिका तीसरे मूल्यांकक को भेजी जाएगी और तीनों मूल्यांककों द्वारा दिए गए अंकों के औसत के आधार पर परिणाम तैयार लियाजाएगा।

10. उपस्थिति एवं सुधार

(क) *बैकलॉग वाला विद्यार्थी अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के पाठ्यक्रम को अधिकतमतीनबारदोहरासकताहैइसमेंअतिरिक्त उपस्थिति केबगैरउसकेबादकीनियमित अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं मेंपहलीबारभागलेनाशामिलनहींहै।परीक्षा परिणाम की घोषणा में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त आंतरिक मूल्यांकन के अंकों को शामिल किया जाएगा।

(ख) विद्यार्थी, जोसैद्धांतिक पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण हो चुके हैं, को नियमित विद्यार्थियों के साथ एकीकृत बी.ए, एल.एलबी. दो वर्षों के भीतर पूरा करने पर अधिकतम 10 पाठ्यक्रमों को दोहराने की अनुमति होगी। ऐसे विद्यार्थियों के लिए कोई अलग/अनुपूरक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।

(ग) यदि अभ्यर्थी को अंकों में सुधार हुआ है तो उनके सुधारित अंकों को संशोधित अवार्ड हेतु गणना में लिया जाएगा और पूर्व में जारी ग्रेड कार्ड को वापस करने पर संशोधित ग्रेड कार्ड जारी किया जाएगा।। ऐसे सुधारित अंकों को पुरस्कारों/मेडलों, रैंक तथा विशिष्टता प्रदान करने हेतु गणना में नहीं लिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी अंकों में सुधार को प्रदर्शित नहीं करता है तो उसके पूर्व अंकों को ही गणना में लिया जाएगा।

(घ) किसी भी अभ्यर्थी को नैदानिक पाठ्यक्रम, प्रायोगिक, प्रोजेक्ट, फील्ड वर्क के संबंध में मौखिक परीक्षा फील्ड वर्क में सुधार की अनुमति नहीं होगी।

11. डिग्री प्रदान करने हेतु पात्रता

(ए) अंक सूची और डिग्री को प्रदान किया जाना विश्वविद्यालय के संगत अध्यादेश द्वारा शासित होगा।

(बी) अभ्यर्थी को सभी निर्धारित पाठ्यक्रम, बीए, एलएलबी डिग्री प्राप्त करने हेतु प्रथम सेमेस्टर में लिए गए प्रवेश की तारीख से 7 वर्षों के भीतर पूरे करने होंगे।

* कार्यकारी परिषद द्वारा दिनांक 06.01.2014 को आयोजित 12वीं बैठक में मद ईसी 12.7 के अधीन संशोधित

अध्यादेश 22

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का अनुशासन

{केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की अनुसूची-II कीधारा 6 [1 (xxii), संविधि14(डी)]

(कार्यकारीपरिषदकी दिनांक 02.07.2011 कोआयोजितचतुर्थबैठकमेंअनुमोदित)

1. शीर्षक एवं आरम्भ

1.1 यह अध्यादेश विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के अनुशासन हेतु अध्यादेश कहलाएगा और विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों पर लागू होगा।

1.2 यह अध्यादेश, शैक्षिक सत्र 2011 से प्रभावी रूप से लागू होगा।

2. अनुशासन

2.1 अनुशासन के तहत विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा अच्छा आचरण और शालीन व्यवहार शामिल होगा।

2.2 विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर तैयार किए गए निम्नलिखित और ऐसे अन्य नियमों का विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाएगा।

(क) विश्वविद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी अनुशासन को बनाए रखेगा और सभी स्थानों पर शालीन व्यवहार करना अपनी ड्यूटी समझेगा

(ख) कोई भी विद्यार्थी, विद्यार्थियों के लिए घोषित “सीमा के बाहर” स्थान अथवा क्षेत्र में नहीं जाएगा।

(ग) प्रत्येक विद्यार्थी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र को साथ में रखेगा।

(घ) प्रत्येक विद्यार्थी जिसे पहचान पत्र जारी किया गया है, को जब विश्वविद्यालय यथा आवश्यकतानुसार पहचान पत्र प्रदर्शित करने अथवा सुपुर्द करने मांग करेगा तो उसे अपना पहचान पत्र प्रदर्शित करना होगा अथवा अथवा सुपुर्द करेगा।

(ड.) कोई विद्यार्थी यदि नकली विद्यार्थी अथवा जाली नाम से पाया जाता है तो उसके अनुशासन कार्रवाई की जाएगी।

3. अनुशासनहीनता

निम्नलिखित में से कोई भी कार्य अनुशासनहीनता माना जाएगा :

3.1 कक्षा, कार्यालय, पुस्तकालय, सभागार, खेल के मैदान में ऐसा कृत्य जिससे अशांति हो ।

3.2 शिक्षकों अथवा प्राधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना करना ।

3.3 छात्र संघ के चुनाव में अथवा विश्वविद्यालय की विषयेतर गतिविधियों के दौरान किसी भी प्रकार का कदाचार अथवा गलत व्यवहार।

3.4 परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार का कदाचार अथवा गलत व्यवहार।

3.5 विश्वविद्यालय के शिक्षक अथवा किसी कर्मचारी अथवा विश्वविद्यालय के किसी आगंतुक के प्रति किसी भी प्रकार का कदाचार अथवा गलत व्यवहार।

3.6 विश्वविद्यालय के संपत्ति/उपस्कर को नष्ट करना, खराब करना अथवा उसकी आकृति बिगाड़ना ।

3.7 उक्त किसी भी कार्य के लिए किसी अन्य व्यक्ति को भड़काना ।

3.8 विद्यार्थियों के बीच गलत लेखाजोखा एवं अफवाहें फैलाना और उसका प्रचार-प्रसार करना ।

3.9 हॉस्टेल के आवासियों द्वारा बदमाशी करना, गलत व्यवहार अथवा शोर मचाना ।

3.10 विद्यार्थियों के लिए घोषित "सीमा के बाहर" स्थान अथवा क्षेत्र में जाना ।

3.11 विश्वविद्यालय के कुलानुशासक अथवा स्टाफ द्वारा यथा आवश्यकतानुसार पहचान पत्र प्रदर्शित करने अथवा सुपुर्द करने पर ऐसा करने से मना करना ।

3.12 यौन उत्पीड़न का कोई कार्य ।

3.13 रेगिंग का कोई कार्य ।

3.14 जाति, वर्ग, आवास, धर्म अैर प्रजाति के आधार पर भेदभाव का कोई कार्य ।

3.15 गैरकानूनी गतिविधियों में सम्मिलित होना जिसमें सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना प्रतिबंधित संगठनों की सदस्यता लेना, बैठकें आयोजित करना और जुलूस में भाग लेना शामिल है ।

3.16 ऐसा कोई कार्य जो विद्यार्थियों के लिए अशोभनीय माना जाता है ।

4. अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की शक्ति

विश्वविद्यालय के किसी विद्यार्थी के संबंध में अनुशासन संबंधी और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने संबंधी सभी शक्तियां कुलपति को प्रदान की गई हैं । तथापि, कुलपति यदि उचित समझे तो अपनी इन शक्तियों को अनुशासन समिति अथवा किसी पदाधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकते हैं ।

5. अनुशासन समिति

5.1 कुलपति द्वारा एक अनुशासन समिति का गठन किया जाएगा जो समय-समय पर कुलपति द्वारा उसे दिए गए कार्यो और प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करेगी। जब तक की अन्यथा न कहा गया हो तो अनुशासन समिति में निम्नलिखित सदस्यों को शामिल किया जाएगा :

(i) कुलपति द्वारा नामित व्यक्ति

(ii) अधिष्ठाता (डीन)छात्र कल्याण

(iii) स्कूलों के अधिष्ठाता (डीन

(iv) वार्डन को तभी आमंत्रित किया जाएगा जब मामला आवास के हॉल से संबंधित हो और उसे समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो

(v) कुलानुशासक (सदस्य/सचिव)

5.2 उक्त समिति उचित समझती है कि अपने कार्या को दक्षतापूर्वक करने के लिए कोई नियम बनाने की आवश्यकता हो तो वह ऐसे नियम बनाएगी और बनाए गए ऐसे नियम और अन्य आदेश विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों पर लागू होंगे।

5.3 कुलपति के खिलाफ किसी भी अपील को केंद्रीय विश्वविदयालय अधिनियम, 2009 की धारा 34 के प्रावधान के तहत निपटाया जाएगा।

5.4 उक्त समिति के लिए गठित समिति के एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति(कोरम) मानी जाएगी।

5.5 यदि कोई विद्यार्थी विश्वविद्यालय के अनुशासन अधिकार क्षेत्र के में है और यदि वह खंड 3 में निर्धारित किए अनुसार किसी गतिविधियों में शामिल होता है तो उस पर विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुशासन अधिनियम में सूचीबद्ध नियत दंड लगाया जाएगा।

5.6 अनुशासन समिति निम्नलिखित दंड (दंडों को) लगा सकती है:

(i) निलंबन

(ii) निष्कासन

(iii) विशिष्ट अवधि के लिए अस्थायी रूप से निष्कासन

(iv) विश्वविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश देने से मना करना

(v) विश्वविद्यालय द्वारा रखरखाव किए जा रहे हॉस्टल में प्रवेश देने से मना करना

(vi) छात्रवृत्ति अथवा फ्री-शिप को वापस लेना

(vii) किसी मामले की दशा में उस मामले के संबंध में समुचित समझे जानेवाले आदेश द्वारा विशिष्ट राशि अथवा अन्य कोई राशि का दंड देना।

परन्तु अनुशासन समिति यह दंड तब तक नहीं लगाएगी जब तक कि विद्यार्थी(र्थियों) को अपनी बात रखने का समुचित अवसर प्रदान कर उसका पक्ष न सुना जाए अथवा विद्यार्थी(र्थियों) के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए किसी अभ्यावेदन पर विचार न किया जाए। तथापि, यह, गलती करने वाले विदयार्थियों की अनुशासन कार्यवाही लंबित होने के दौरान कुलपति द्वारा उसे निलंबित करने पर कोई बाधा नहीं डालेगा।

6.रेगिंग पर प्रतिबंध और रेगिंग करने पर दंड

6.1 इस अध्यादेश के अनुसार रेगिंग का अर्थ, सामान्यत: कोई भी ऐसा कार्य, आचरण एवं व्यवहार जिससे वरिष्ठ विद्यार्थियों द्वारा नए पंजीकृत विद्यार्थियों अथवा ऐसे विद्यार्थियों जिन्हें अन्य विद्यार्थियों द्वारा कनिष्ठ या तुच्छ समझा जाता है और इसमें वैयक्तिक अथवा सामूहिक कार्य अथवा व्यवहार भी शामिल है जैसे -

क) शारीरिक हमला अथवा शारीरिक बल का उपयोग कर धमकाना शामिल है;

ख) महिला विद्यार्थियों की सामाजिक स्थिति, मान-प्रतिष्ठा का उल्लंघन होता हो;

ग) अनुसूचित जाति वाले, अनुसूचित जनजाति वाले विद्यार्थियों की सामाजिक स्थिति, मान-प्रतिष्ठा का उल्लंघन होता हो;

घ) उपहास अथवा अवहेलना जिससे विद्यार्थियों की महत्वकांक्षा प्रभावित होती हो, द्वारा विद्यार्थियों को प्रकट करना;

ड.) मौखिक अपशब्द कहना और आक्रमकता, अशोभनीय भाव-भंगिमा और अश्लीन व्यवहार

6.2 किसी वैयक्तिक या सामूहिक कार्य अथवा व्यवहार द्वारा की गई रेगिंग, घोर अनुशासनहीनता मानी जाएगी उस रेगिंगकर्ता पर इस अध्यादेश के तहत कार्रवाई की जाएगी।

6.3 विश्वविद्यालय के परिसर में/विभाग में/हॉस्टेल में और विश्वविद्यालय के किसी हिस्से के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन में किसी भी प्रकार की रेगिंग बिल्कुल प्रतिबंधित है।

6.4 विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष अथवा विश्वविद्यालय हॉस्टेल के वार्डन/प्रभारी, रेगिंग होने की किसी भी सूचना अथवा घटना पर तत्काल कार्रवाई करेंगे और उस घटना की एक रिपोर्ट कुलपति को प्रस्तुत करेंगे।

6.5 खंड 6.4 में उल्लिखित संबंधित प्राधिकारी रेगिंग की किसी घटना की स्वमेव जांच भी कर सकते हैं एवं रेगिंग में लिप्त आरोपित की पहचान कर और घटना के स्वरूप के साथ कुलपति को रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं।

6.6यदि विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष अथवा विश्वविद्यालय हॉस्टेल के वार्डन/प्रभारी लिखित में कुछ कारण रिकार्ड कर इस बात पर संतुष्ट हो कि जांच करना समुचित रूप से व्यावहारिक नहीं है तो वह तद्नुसार कुलपति को इस संबंध में सलाह दे सकता है।

6.7 यदि कुलपति संतुष्ट हो कि यह व्यावहारिक नहीं होगा कि ऐसी जांच की जाए तो वह उपलब्ध वास्तविकता एवं परिस्थितियों के आधार पर निर्णय ले सकता है और उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा।

6.8 खंड 6.4 या खंड 6.5 के तहत रिपोर्ट प्राप्त होने अथवा खंड 6.1 में विवरणित रेगिंग घटनाओं को उजागर करने संबंधी खंड 6.6 के तहत संबंधित प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर कुलपति विद्यार्थी अथवा विद्यार्थियों को विशिष्ट वर्ष के सेमेस्टर /वर्ष के लिए अस्थायी निष्कासित करने का निदेश या आदेश दे सकता है।

6.9 कुलपति रेगिंग के अन्य मामलों में यह आदेश अथवा निदेश दे सकता है कि किसी विद्यार्थी या विद्यार्थियों को निष्कासित किया जाए अथवा एक या उससे अधिक वर्षों के लिए विभागीय परीक्षा के अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अवधि के लिए प्रवेश नहीं दिया जाए अथवा संबंधित विद्यार्थी(र्थियों) के परीक्षा जिसमें वह भाग ले चुका है को रद्द कर दिया जाए।

6.10 इस अध्यादेश के तहत कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय से डिग्री ले चुका कोई विद्यार्थी यदि किसी मामले में दोषी पाया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसकी डिग्री वापस लेने संबंधी समुचित कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

6.11 अध्यादेश के प्रयोजन के लिए, रेगिंग हेतु उकसाना, जिसमें कोई कार्य, व्यवहार अथवा रेगिंग के लिए भड़काना शामिल है को भी रेगिंग के रूप में माना जाएगा।

विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर तैयार किए गए अधिनियम और विनियमों में विहित कार्यपद्धति के अनुसार विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के संबंध में सभी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अध्यादेश 23

डिग्री प्रदान करने हेतु दीक्षांत समारोह

{ केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 28 1(ओ) }

(कार्यकारी परिषद की दिनांक 22.04.2012 को आयोजित छठवीं बैठक में अनुमोदित)

1. वार्षिक दीक्षांत समारोह

1.1 डिग्री प्रदान करने हेतु दीक्षांत समारोह का आयोजन आगंतुकों का पहले अनुमोदन प्राप्त करने के साथ कुलपति द्वारा तारीख एवं स्थान नियत किए जाने के पश्चात किया जाएगा।

1.2 दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के अनुषंगिक निकाय शामिल होंगे।

1.3 डिग्री प्रदान किए जानेवाले विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति अध्यक्षता करेंगे तथापि उनकी अनुपस्थिति में कुलपति दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे और डिग्री प्रदान करेंगे। *

2. विशेष दीक्षांत समारोह

विशेष दीक्षांत समारोह तब आयोजित किया जा सकता है जब कार्यपद्धति के अनुसार सम्मानार्थ डिग्री प्रदान करने हेतु कार्यकारी परिषद द्वारा निर्णय लिया जाता है अथवा शैक्षिक परिषद, विशिष्ट परिस्थितियों के तहत अन्य डिग्री प्रदान करने हेतु सिफारिश करती है।

3. सूचना

3.1 दीक्षांत समारोह के लिए संगत सांविधिक प्राधिकारियों के साथ बैठकें करने हेतु रजिस्ट्रार द्वारा चार सप्ताह से कम की सूचना नहीं दी जाएगी।

3.2 संबंधित अधिकारी कार्यक्रम कार्यपद्धति का पालन करने के साथ ही दीक्षांत समारोह हेतु प्रत्येक सदस्य को सूचना जारी करेगा।

4. दीक्षांत समारोह में प्रवेश

4.1 दीक्षांत समारोह में ऐसे अभ्यर्थी प्रवेश लेने हेतु पात्र होंगे जो अंतिम दीक्षांत समारोह के पश्चात हुई परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं।

4.2 यदि किसी वर्ष दीक्षांत समारोह आयोजित नहीं किया जा सका, कुलपति, अभ्यर्थी द्वारा विहित शुल्क का भुगतान किए जाने पर औपचारिक दीक्षांत समारोह की प्रतीक्षा किए बिना उस अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति देने हेतु सक्षम होंगे।

4.3 ऐसे डिग्री प्राप्तकर्ता को सामान्यत: इसका हस्ताक्षरित अनुरोध करना होगा जिसे सामान्यत:, आयोजित किए जाने वाले दीक्षांत समारोह हेतु प्रस्तुत करने आवश्यकता होती है।

4.4 परन्तु यह भी कि विशेष वर्ष में दीक्षांत समारोह आयोजित न किया गया हो तो कुलपति उन सभी पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिए समक्ष प्राधिकारी है जो दीक्षांत समारोह के माध्यम से डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे पात्र अभ्यर्थियों को अगले दीक्षांत समारोह में निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर संबंधित डिग्री प्रदान की जा सकती है।

4.5 परन्तु आगे यदि नियमित रूप से आयोजित किए जाने वाले दीक्षांत समारोह में अनुपस्थित होने पर डिग्री प्राप्त करना चाहते हो वे भी निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर ऐसा कर सकते हैं।

4.6 परन्तु आगे यदि कुलपति के पास विश्वसनीय आधार हो तो वह पात्र अभ्यर्थी(र्थियों) को औपचारिक दीक्षांत समारोह की प्रतीक्षा किए बगैर प्रवेश को प्राधिकृत कर सकता है और ऐसे अभ्यर्थियों को निर्धारित शुल्क का भुगतान कर डिग्री प्रदान की जा सकती है।

5. आवेदन

5.1 डिग्री प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी को निर्धारित तारीख पर या उससे पूर्व निर्धारित शुल्क का भुगतान कर दीक्षांत समारोह में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर डिग्री प्राप्त करने के अपने प्रयोजन के साथ परीक्षा नियंत्रक को अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

5.2 ऐसे अभ्यर्थी जो दीक्षांत समारोह के दौरान स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हो तो उन्हें आगंतुक/कुलपति द्वारा अनुपस्थिति में डिग्री हेतु प्रवेश दिया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन एवं निर्धारित शुल्क का भुगतान कर परीक्षा नियंत्रक द्वारा डिग्री प्रदान की जाएगी।

6. शुल्क

दीक्षांत समारोह में अथवा अनुपस्थित में डिग्री प्राप्त करने हेतु प्रवेश के लिए समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क निर्धारित किया जाएगा।

* कुलपति द्वाराएनपी3 एफ सं .सीयूकेएमआर/एकेड/मॉड-आर्ड/12/42 द्वारा संशोधित

7. सम्मानार्थ डिग्रियां

7.1 सम्मानार्थ डिग्री, दीक्षांत समारोह में/विशेष दीक्षांत समारोह में प्रदान की जाएगी और इसे व्यक्तिगत रूप से/अनुपस्थिति में लिया जा सकता है।

7.2 जिस व्यक्ति को सम्मानार्थ डिग्री प्रदान की जा रही है उसका दीक्षांत समारोह हेतु प्रस्तुतीकरण कुलपति द्वारा या उसके द्वारा नामित किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

8. शैक्षिक ड्रेस

विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री के निर्धारित किए अनुसार दीक्षांत समारोह में अभ्यर्थी को शैक्षिक ड्रेस(गाउन) पहननी होगी। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किए गए समुचित शैक्षिक ड्रेस के बगैर किसी भी अभ्यर्थी को दीक्षांत समारोह में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

9. दीक्षांत समारोह कार्यपद्धति

दीक्षांत समारोह कार्यपद्धति विनियमों में निर्धारित की जाएगी।

अध्यादेश 24

परीक्षा नियंत्रक की सेवा की परिलब्धियां और निबंधन एवं शर्ते

(अधिनियम की धारा 28(0); संविधि 8(3))

(कार्यकारीपरिषदकी दिनांक 09.11.2013कोआयोजितग्यारहवींबैठकमेंअनुमोदित)

1. परीक्षा नियंत्रक की नियुक्त सीधी भर्ती के आधार पर पाँच वर्ष की सेवा अवधि के लिए की जाएगी, जिसे उतनी ही अवधि के लिए कार्यकारी परिषद द्वारा बढ़ाया जा सकता है और उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्तुत और कार्यकारी परिषद द्वारा समय-समय पर अपनाए जानेवाले वेतनमान पर रखा जाएगा।

2. परीक्षा नियंत्रक की सेवा की निबंधन एवं शर्ते विश्वविद्यालय के अन्य अनावकाश कर्मचारियों हेतु निर्धारित किए अनुसार होंगी।

3. यदि परीक्षा नियंत्रक की सेवाएं किसी सरकार अथवा अन्य संगठन/संस्थान से ली जाती हैं तो उनकी निबंधन एवं शर्ते भारत सरकार के प्रतिनियुक्ति नियम द्वारा नियंत्रित होंगी।

4. प्रतिनियुक्त परीक्षा नियंत्रक को कुलपति की सिफारिश पर कार्यकारी परिषद द्वारा विहित अवधि के पूर्व प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

5. परीक्षा नियंत्रक गैर-सुसज्जित आवास प्राप्त करने का हकदार है जिसके लिए उसे दिए गए क्वार्टर/मकान की हेतु लागू निर्धारित लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा। आगे, वह अपने आवास पर नि:शुल्क टेलीफोन सेवा(एसटीडी सहित) प्राप्त करने का हकदार है।

6. परीक्षा नियंत्रक, अनावकाश कर्मचारियों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित जैसे छुट्टी, भत्ता, भविष्य निधि और अन्य, सेवांत लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा ।

7. परीक्षा नियंत्रक, कार्यालय और अपने आवास के बीच यात्रा के लिए स्टाफ कार सुविधा प्राप्त करने का हकदार है ।

8. अधिनियम के प्रावधान, संविधिऔर अध्यादेश के आधार पर परीक्षा नियंत्रक परीक्षा के संबंध में अपनी ड्यूटी का निर्वाह करेगा और वह ऐसी ड्यूटियों अथवा कार्यों को भी करेगा जो कार्यकारी परिषद अथवा कुलपति द्वारा समय-समय पर सौंपे गए हैं ।

अध्यादेश 26

पंचवर्षीय एकीकृत बी.ए-एम.ए एवं बी.एससी.-एम.एससी डिग्री कार्यक्रम

केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की { धारा 28 की उप-धारा (1) (बी) }

(कार्यकारी परिषद द्वारा दिनांक 19.09.2016 को आयोजित अपनी 15वीं बैठक में अपनाया गया)

(क) यह अध्यादेश पंचवर्षीय एकीकृत बी.ए-एम.ए एवं बी.एससी.-एम.एससी डिग्री कार्यक्रम प्रदान करने हेतु अध्यादेश कहलाएगा ।

(ख) यह अध्यादेश शैक्षिक सत्र 2015 से लागू होगा ।

1. अवधि

(क) एकीकृत बी.ए-एम.ए एवं बी.एससी.-एम.एससी डिग्री कार्यक्रमके तहत विश्वविद्यालय पाँच शैक्षिक वर्षों के अवधि के अध्ययन का पूर्णकालिक पाठ्यक्रम आयोजित करेगा । प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में दो सेमेस्टर शामिल होंगे ।

(ख) उपर्युक्त कार्यक्रम को पूरा करने हेतु न्यूनतम अवधि 10 सेमेस्टर (5 शैक्षिक वर्षों) की होगी और अधिकतम अवधि 16 सेमेस्टर (8 शैक्षिक वर्षों) की होगी

(ग) विद्यार्थी को यह विकल्प दिया जाएगा कि वह तीन वर्षों(6 सेमिस्टरों) के पश्चात इस कार्यक्रम को छोड सकता है और इस दशा में उसे संबंधित कार्यक्रम की बी.ए./बी.एस. डिग्री प्रदान की जाएगी । इस कार्यक्रम में एम.ए./एम.एससी. डिग्री प्रदान करने हेतु आगे बढने के लिए 7वें सेमेस्टर में पार्श्विक प्रवेश का भी विकल्प उपलब्ध होगा ।

(घ)यदि कोई विद्यार्थी बीमारी अथवा अस्पताल में भरती होने अथवा संगत नियमों में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने पर विदेशी छात्रवृत्ति/फेलोशिप के कारण उस अवधि के दौरान कार्यक्रम जारी नहीं रख सकता होतो ऐसे मामले में वह सेमेस्टर /वर्ष शून्य सेमेस्टर /वर्ष घोषित किया जाएगा । ऐसे विद्यार्थियों के मामले में शून्य सेमेस्टर /वर्ष को उक्त कार्यक्रम की अवधि की गणना में नहीं लिया जाएगा ।

2. पात्रता

2.1 ऐसा अभ्यर्थी जो पंचवर्षीय कार्यक्रम में प्रवेश लेना चाहता है उसे मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से किसी विषय में 10+2 की परीक्षा न्यूनतम 50% अंको के साथउत्तीर्ण होना आवश्यक है ।

(अजा/अजजा अभ्यर्थियों के लिए *5% की छूट रहेगी*).

2.2 पार्श्विक प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का न्यूनतम 50% अंको के साथ संबंधित विषय में स्नातक होना आवश्यक है ।

(अजा/अजजा अभ्यर्थियों के लिए *5% की छूट रहेगी*).

3. प्रवेश

3.1 निम्नलिखित कार्यप्रक्रिया के आधार पर ही बी.ए-एम.ए एवं बी.एससी.-एम.एससी डिग्री कार्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा :

(i) प्रवेश परीक्षा,निर्धारित तरीके से विश्वविद्यालय के अधिनियम, नियम और अध्यादेश में विर्निदिष्टानुसार अन्य सभी मानदंडों को पूरा करने पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष आयोजित की जाएगी और उक्त के आधार पर योग्यता सूची तैयार की जाएगी । योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा ।

(ii) बोर्ड/सीबीएसई की कक्षा 12वीं (10+2 प्रणाली) अथवा उसक समतुल्य, प्रवेश परीक्षा का मानदंड होगा ।

(iii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अपिव और विभिन्न प्रकार के विकलांग अभ्यर्थियों के लिए सीटें आरक्षित रखे जाने संबंधी भारत सरकार की नीति और यूजीसी के दिशानिर्देशों को लागू किया जाएगा ।

3.2 7वें सेमेस्टर में पार्श्वीय प्रवेश देने के लिए प्रवेश कार्यप्रक्रिया निम्नानुसार होगी :

(i) प्रवेश परीक्षा,निर्धारित तरीके से विश्वविद्यालय के अधिनियम, नियम और अध्यादेश में विर्निदिष्टानुसार अन्य सभी मानदंडों को पूरा करने पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष आयोजित की जाएगी और उक्त के आधार पर योग्यता सूची तैयार की जाएगी। योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।

(ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य, प्रवेश परीक्षा का मानदंड होगा।

(iii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अपिव और विभिन्न प्रकार के विकलांग अभ्यर्थियों के लिए सीटें आरक्षित रखे जाने संबंधी भारत सरकार की नीति और यूजीसी के दिशानिर्देशों को लागू किया जाएगा।

4. सीटों की संख्या

4.1 सीटों की संख्या समय-समय पर विश्वविद्यालय की सांविधिक निकाय द्वारा यथा अनुमोदित होगी।

4.2 कार्यक्रम की भर्ती क्षमता के अलावा अभ्यर्थी के सीट छोड़ने/निकल जाने के कारण जो सीटें उत्पन्न होती है उन सीटों को विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा अथवा निर्धारित अन्य मानदंड के आधार पर पार्श्वीय प्रवेश के माध्यम से भरा जाएगा।

5. कार्यक्रम की संरचना

(क)विश्वविद्यालय द्वारा एकीकृत बी.ए-एम.ए. एवं बी.एससी.-एम.एससी डिग्री कार्यक्रम में चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस) का अनुसरण किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान, विभागों/अन्य विभागों द्वारा प्रदान किए गए मुख्य, सामान्य वैकल्पिक, योग्यता वृद्धि वैकल्पिक, कौशल वृद्धि वैकल्पिक विषय लेना होगा।

6. उपस्थिति

(क) अभ्यर्थी पाठ्यक्रम की सतत आंतरिक मूल्यांकन/अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में भाग लेने अथवा सेमेस्टर को पूरा करने हेतु तभी पात्र होगा जब वह विनियमों में निर्धारित संगत शर्तों को पूरा करता हो और उसने उस पाठ्यक्रम/सेमेस्टर में न्यूनतम 75% उपस्थित दर्ज करवायी हो।

(ख) अपवादजनक स्थिति में, विभागाध्यक्ष की सिफारिश पर स्कूल के डीन दावा तर्कसंगत होने पर एवं वैध दस्तावेजों के समर्थन के साथ उपस्थिति में अधिकतम 5% की कमी को माफ कर सकते हैं।

(ग) स्कूल के डीन द्वारा कुलपति के समक्ष 5% से अधिक किन्तु अधिकतम 10% तक की कमी को माफ करने की सिफारिश पूरी तर्कसंगतता के साथ की जा सकती है और उनका निर्णय ही अंतिम माना जाएगा

(घ) तथापि, किसी भी विद्यार्थी को उपबंध बी और सी के तहत दिए गए कार्यक्रम के कुल सेमेस्टर के 50% से अधिक रियायत प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी।

(ड.) संबंधित शिक्षक, उक्त पाठ्यक्रम के पंजीकृत विद्यार्थी की उपस्थिति के रिकार्डके रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा।

7. परीक्षा एवं मूल्यांकन

(क)संबंधित प्राधिकारी द्वारा पाठ्यक्रम की परीक्षा स्कीम में नियतानुसार और विधिवत् अनुमोदन द्वारा विद्यार्थी का सतत आंतरिक मूल्यांकन (सीआईए) [शिक्षण, प्रायोगिक, गृह हेतु कार्य, कक्षा हेतु कार्य, अंतिम परीक्षा, फील्ड वर्क, संगोष्ठी, आवधिक परीक्षा] और अंतिम-सेमेस्टर परीक्षा के माध्यम से उसका शैक्षिक क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन के प्रत्येक घटक हेतु भार का वितरण संबंधित स्कूल, बोर्ड के निर्णयानुसार किया जाएगा और इसे सेमेस्टर प्रारंभ होने के पूर्व स्कूल के प्रमुख द्वारा उद्घोषित किया जाएगा।

(ख) यदि अन्यथा न कहा गया हो तो सैद्धांतिक पाठ्यक्रम के अंकों का वितरण निम्नानुसार होगा :

अंतिम सेमेस्टर परीक्षा (ईएसई)	**: 60 अंक**
सतत आंतरिक मूल्यांकन (सीआईए)	**: 35 अंक**
उपस्थिति	**: 05 अंक**

(ग) यदि कोई अन्यथा प्रदान न किया गया हो तो सतत आंतरिक मूल्यांकन(सीआईए) का ब्रेकअप निम्नानुसार होगा :

3 टेस्टों में बेहतर 2	:	20 अंक
असाइनमेंट/अंतिम प्रश्न	:	05 अंक
संगोष्ठी/प्रस्तुतीकरण/बाह्य मौखिक परीक्षा	:	10 अंक
		-------
		35 अंक

उपस्थिति हेतु अंकों का ब्रेकअप :

75%तक :कोई अंक नहीं

76% से 80% : 1 अंक

81% से 85% : 2 अंक

86% से 90% : 3 अंक

91% से 95% : 4 अंक

96%से 100% : 5 अंक

(घ) विभागाध्यक्ष एवं स्कूल के डीन के संपूर्ण पर्यवेक्षण के तहत संबंधित शिक्षक द्वारा सतत आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा । विभागाध्यक्ष, सीआईए की अवार्ड सूची की रिपोर्ट डीन के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक को देगा ।

(ड.) यदि कोई विद्यार्थी चिकित्सा कारणों अथवा अन्य असामान्य कारणों (दस्तावेज का साक्ष्य के समर्थन के साथ) से सीआईए के किसी घटकों में भाग नहीं ले सका हो तो डीन द्वारा अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के पूर्व स्कूल द्वारा उस घटक की अलग से परीक्षा आयोजित की जा सकती है ।

(च) विद्यार्थी को पाठ्यक्रम की अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में शामिल होने की पात्रता तभी होगी जब वह सीआईए में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करेगा। अंतिम सेमेस्टर परीक्षा हेतु न्यूनतम उत्तीर्ण होने का प्रतिशत भी 50% है ।

(छ) विद्यार्थी ने यदि प्रत्येक सैद्धांतिक/प्रायोगिक पाठ्यक्रम में कम से कम 50% अंक, औसत (आंतरिक एवं अंतिम सेमेस्टर मूल्यांकन में) 50% अथवा 'बी' ग्रेड प्राप्त किए हो अभ्यर्थी द्वारा वह पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया माना जाएगा जिसका निम्नलिखित छह प्वॉइंट स्केल* के आधार आंकलन किया जाएगा ।

प्राप्तांक	ग्रेड पॉइंट	लेटर ग्रेड	श्रेणी
75-100	4.50-6.00	O	उत्कृष्ट
65<75	3.90-<4.50	A+	उच्च प्रथम
60-<65	3.60-<3.90	A	प्रथम
55-<60	3.30-<3.60	B+	उच्च द्वितीय
50-<55	3.00-<3.30	B	द्वितीय
00-<50	0.00-<3.00	F	अनुत्तीर्ण

(ज) 0.06 का गुणक कारक सटीक ग्रेड पॉइंट की गणना हेतु लागू होगा ।

8. अगले सेमेस्टर में कक्षोन्नति

(क) एक विद्यार्थी को अगले सेमेस्टर में कक्षोन्नति हेतु पात्रता के लिए सेमेस्टर के कम से कम 50% पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना होगा बशर्ते किसी समय पूर्व के सेमिस्टरों के कुल बैकलाग्स की संख्या 10 से अधिक न हो ।

(ख)*यदि एक विद्यार्थी सेमेस्टर के निर्धारित पाठ्यक्रम के 50 % से कम में असफल होता है अथवा पाठ्यक्रम में कम उपस्थिति दर्ज करता है तो उसे नियमित अंतिम-सेमेस्टर परीक्षा के पत्राचार पाठ्यक्रम के दौरान पूर्व-विद्यार्थी के रूप में उस पाठ्यक्रम(मों) में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी । ऐसे विद्यार्थियों के लिए कोई अलग से/पूरक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी । तथापि, कुलपति ऐसे विद्यार्थियों, जो अंतिम सेमेस्टर परिणामों के परिणाम के पश्चात जिनके कुल 4 बैकलाग्स हों, के लिए विशेष परीक्षा(सीआईए/ईएसई) आयोजित कर सकता है । तथापि, यथालागू सभी आंतरिक मूल्यांकन के अंको को इन मामलों में आगे ले जाया जाएगा ।

(ग) यदि छात्र की उपस्थिति कम पायी जाती है तो वह सेमेस्टर की अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होगा अथवा यदि कोई विद्यार्थी सेमेस्टर के निर्धारित पाठ्यक्रम के 50% से अधिक पाठ्यक्रमों में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उस विद्यार्थी को वह पाठ्यक्रम दोहराना होगा और अगले शैक्षिक वर्ष के संबंधित सेमेस्टर में पुन:प्रवेश लेना होगा ।

(घ) कोई भी विद्यार्थी अपने सेमेस्टर के अंत में होने वाली परीक्षा का परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के अंदर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करते हुए, निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की फोटो कॉपी माँग सकता है।

(ङ.) पुनर्मूल्यांकन हेतु प्रावधान

(i) यदि कोई विद्यार्थी सेमेस्टर के अंत में होने वाली परीक्षा के परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो वह परिणाम घोषित होने के 15 दिनों की अवधि के भीतर निर्धारित शुल्क अदा करके पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकता है।

(ii) पुनर्मूल्यांकन के अंक मिलने पश्चात मूल्यांकनकर्ता तथा पुनर्मूल्यांकनकर्ता के अंकों का औसत लिया जाएगा।

(iii) यदि प्रथम मूल्यांकन कर्ता तथा द्वितीय मूल्यांकनकर्ता के अंकों में 20% से अधिक का अंतर है तो उत्तर पुस्तिका को तीसरे मूल्यांकन कर्ता के पास भेजा जाएगा तथा तीनों मूल्यांकन कर्ताओं द्वारा दिए गए अंकों का औसत निकाल कर परिणाम घोषित किया जाएगा।

9. सुधार हेतु परीक्षा देना

(क) बैकलॉग वाला कोई भी विद्यार्थी अगली नियमित सेमेस्टर परीक्षा में अतिरिक्त उपस्थिति दर्ज किए बिना किसी भी कोर्स के सेमेस्टर के अंत में होने वाली परीक्षा में अधिकतम तीन बार दोबारा बैठ सकता है, इसमें पहली बार शामिल होने को नहीं गिना जाएगा। विद्यार्थी के परिणाम की घोषणा करते समय विद्यार्थी द्वारा अर्जित आंतरिक मूल्यांकन अंक आगे स्थानांतरित कर दिए जाएँगे।

(ख) यदि विद्यार्थी के अंकों में सुधार होता है तो उसे उपाधि प्रदान करने के लिए उसके बढ़े हुए अंकों को लिया जाएगा तथा पुराने ग्रेड कार्ड को जमा करने पर उसे नया ग्रेड कार्ड जारी कर दिया जाएगा। पुरस्कार/मेडल, रैंक और डिस्टिंक्शन प्रदान करते समय इस प्रकार से बढ़े हुए अंकों पर विचार नहीं किया जाएगा, इनके लिए पुराने अंक ही मान्य होंगे।

10. डिग्री प्रदान करने हेतु योग्यता

(क) अंक तालिका एवं डिग्री प्रदान करने के संबंध में नियम विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश के तहत होंगे।

(ख) बी.ए.-एम.ए. और बी.एस.सी.-एम.एस.सी. की डिग्री प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की तिथि से 08 वर्षों के अंदर सभी निर्धारित पाठ्यक्रम पास करने होंगे।

अध्यादेश 29

शिक्षक शिक्षण कार्यक्रम

[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 28 की उप-धारा (1) (बी)]

(कार्यकारी परिषद की दिनांक 19.09.2015 को आयोजित पन्द्रहवीं बैठक में अपनाया गया)

1. शीर्षक एवं आरम्भ

1.1 इस अध्यादेश को अध्यापकों के लिए शिक्षण कार्यक्रम हेतु अध्यादेश के रूप में जाना जाएगा तथा इसके पश्चात इसे कार्यक्रम के रूप में उद्धरित किया जाएगा, तथा यह जब तक अन्यथा निर्दिष्ट हो तब तक सभी अध्यापक शिक्षण कार्यक्रमों पर लागू होगा।

1.2 यह कार्यक्रम शिक्षण विद्यालय के बोर्ड (सीयूके) द्वारा संचालित किया जाएगा जबकि इस पर अकादमिक परिषद का पूरा नियंत्रण होगा।

1.3 यह अध्यादेश अकादमिक सत्र 2015-2016 से प्रभावी होगा ।

2. अवधि

2.1 जब तक लागू अध्यादेश में अन्यथा ना किया जाए तब तक परा स्नातक कार्यक्रम (एम.एड.) कार्यक्रम को पूरा करने की न्यूनतम अवधि 04 सेमेस्टर (2 अकादमिक वर्ष) होगी तथा स्नातक कार्यक्रम (बी.एड.) को पूरा करने की न्यूनतम अवधि भी 04 सेमेस्टर (2 अकादमिक वर्ष) होगी। परा स्नातक कार्यक्रम (एम.एड.) कार्यक्रम को पूरा करने की अधिकतम अवधि 10 सेमेस्टर (5 अकादमिक वर्ष) होगी तथा स्नातक कार्यक्रम (बी.एड.) को पूरा करने की अधिकतम अवधि भी 10 सेमेस्टर (5 अकादमिक वर्ष) होगी।

2.2 जिन विद्यार्थियों ने किसी मान्य कारण से बीच में ही कार्यक्रम छोड़ दिया हो तथा बाद में इसमें पुनः प्रवेश लिया हो, उनके लिए वह अवधि गणना शामिल नहीं की जाएगी जिसके दौरान वे कार्यक्रम से बाहर रहे हों।

2.3 जो विद्यार्थी बीमारी तथा अस्पताल में भर्ती होने के कारण अथवा किसी विदेशी स्कॉलरशिप/फैलोशिप को स्वीकार करने के कारण इस कार्यक्रम को जारी नहीं कर पाए हों उनके लिए उस सेमेस्टर / वर्ष को शून्य सेमेस्टर / वर्ष घोषित किया जा सकता है बशर्ते वे संबंधित नियमों के तहत आवश्यकताओं को पूरा करते हों। इन विद्यार्थियों के मामले में इस प्रकार के शून्य सेमेस्टर / वर्ष को कार्यक्रम की अवधि की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

3. सीटों की संख्या

प्रत्येक अध्यापक शिक्षण कार्यक्रम के तहत सीटों की संख्या निम्नवत होगी :

•एम.एड.: 50 (एनसीटीई के मानकों के अनुसार)

• बी.एड.: 100 (एनसीटीई के मानकों के अनुसार)

• इनमें से 50% सीटें राज्य सरकार के विद्यालयों में सेवारत शिक्षकों के लिए आरक्षित रहेंगी, यदि सेवारत शिक्षक उपलब्ध नहीं होते हैं तो ये सीटें सेवा पूर्व अभ्यर्थियों को दे दी जाएँगी। तथापि नियामक निकाय के अनुमोदन द्वारा इस संख्या को बढ़ाया जा सकता है।

4. प्रवेश की प्रक्रिया

4.1 इस कार्यक्रम में किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश सिर्फ प्रथम सेमेस्टर में ही होगा। उपबंध 8 में निर्दिष्ट औपचारिकताओं को पूरा करने पर अभ्यर्थी को अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा।

4.2 विदेशी नागरिकों चाहे वे भारत में रह रहे हों अथवा विदेश में अथवा विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को भारत सरकार / विश्वविद्यालय के सांविधिक प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के तहत ही इस कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है।

4.3 किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को इस कार्यक्रम में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि उसने इस विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान के किसी अन्य पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में अपना पंजीकरण पहले से करवा रखा हो। तथापि जिन विद्यार्थियों ने इस विश्वविद्यालय में कोई भी पूर्णकालिक कार्यक्रम पूरा कर लिया हो तथा अपनी अन्यथा किसी अन्य विश्वविद्यालयीन परीक्षा में प्रवेश ले लिया हो वे इस विश्वविद्यालय के अध्यापक शिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश के पात्र होंगे।

4.4 इस कार्यक्रम के तहत प्रवेश लेने वाले कोई भी अभ्यर्थी न्यूनतम आवासीय अवधि पूरा करने से पूर्व किसी भी प्रकार का रोजगार अथवा कोई अन्य पाठ्यक्रम शुरू नहीं करेगा।

5. प्रवेश के लिए अर्हता

5.1 अध्यापक शिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता निम्नवत है;

एम.एड.:सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में अभ्यर्थी ने न्यूनतम 50% अंकों के साथ बी.एड.परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

बी.एड. : सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में अभ्यर्थी ने 10+2+3 पैटर्न पर किसी भी संकाय में स्नातक की परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो।

5.2 अजा/अजजा, शारीरिक रूप से विकलांग और दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को उपरोक्त 5.1 में उल्लिखित न्यूनतम अर्हता अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

5.3 अजा, अजजा, अपिव तथा विकलांग अभ्यर्थियों के लिए भी सीटों के आरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हेतु जारी दिशानिर्देश लागू होंगे।

6. प्रवेश की प्रक्रिया

6.1 विश्वविद्यालय एक अकादमिक कैलेण्डर के अनुसार प्रत्येक अकादमिक सत्र में अर्ह उम्मीदवारों से प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित करेगा जिसमें अकादमिक कैलेण्डर, उपलब्ध सीटों की संख़्या, अर्हता पद्धति, निर्धारित शुल्क आदि से संबंधित जानकारियाँ दी जाएँगी।

6.2 कार्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जाएँगे इन्हें विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाएगा।

6.3 इस कार्यक्रम में प्रवेश इस उद्देश्य हेतु नोटीफाई किए जाने वाले शेड्यूल के अनुसार अथवा विश्वविद्यालय द्वारा ली जाने वाली प्रवेश परीक्षा अथवा उस कार्यक्रम विशेष के प्रवेश नियमों में उल्लिखित ऐसे किसी भी अन्य मानदण्ड द्वारा अथवा विश्वविद्यालय के सांविधिक निकाय के निर्णय के आधार पर होगा।

प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालय के निर्णयानुसार निर्धारित केन्द्रों में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएगी, केन्द्र का निर्धारण उस केन्द्र का चयन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर किया जाएगा।

6.4 चयनित उम्मीदवार को निर्धारित शुल्क तथा अन्य संबंधित दस्तावेज निर्धारित अवधि में विभाग को जमा करने होंगे।

7. कार्यक्रम की संरचना

7.1 विश्वविद्यालय एक विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम का अनुसरण करेगा। जब तक किसी पाठ्यक्रम विशेष के अध्यादेश में अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किए गए हों, विद्यार्थी को कार्यक्रम के दौरान 96 क्रेडिटों तक मुख्य, वैकल्पिक, आधार अनिवार्य, आधार वैकल्पिक, खुले वैकल्पिक (कौशल विकास एवं योग्यता विकास पाठ्यक्रम), विषय लेने होंगे । मुख्य तथा वैकल्पिक पाठ्यक्रम कार्यक्रम करवाने वाले विभाग़ द्वारा करवाए जाएँगे जबकि कौशल विकास और योग्यता विकास के पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के उसी विभाग़ द्वारा या किसी अन्य विभाग़ द्वारा करवाए जा सकते हैं। विद्यार्थी को वैकल्पिक, कौशल विकास और योग्यता विकास पाठ्यक्रमों में विकल्प दिया जा सकता है।

7.2 अकादमिक परिषद का अनुमोदन प्राप्त होने पर कोर्स का पाठ्यक्रम तथा लागू की जाने वाली प्रक्रिया एवं अनुदेशों की रूपरेखा संबंधित विद्यालय के बोर्ड द्वारा तैयार/निर्धारित तथा प्रकाशित की जाएगी।

8. अगले सेमेस्टर में पंजीकरण एवं प्रोन्नति

8.1 कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने पर प्रथम सेमेस्टर की शुरुआत में विभाग/स्कूल में पंजीकृत किया जाएगा।

8.2 किसी भी विद्यार्थी को निम्नलिखित शर्तों के अधीन ही अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत एवं पंजीकृत किया जाएगा :

क. वह सतत आंतरिक मूल्यांकन/प्रोजेक्ट/प्रयोगात्मक कार्य को पूरा करने के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा करता/करती हो।

ख. संबंधित सेमेस्टर में कम से कम 50% पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण हो।

8.3 यदि कोई विद्यार्थी उपस्थिति की कमी के कारण, अथवा निर्धारित पाठ्यक्रम के 50% से अधिक में अनुत्तीर्ण होने के कारण कार्यक्रम के किसी सेमेस्टर के अंत में परीक्षा में शामिल होने के अयोग्य पाया जाता है तो उसे कार्यक्रम के उस सेमेस्टर को दोबारा पूरा करना पड़ेगा तथा कार्यक्रम के अगले अकादमिक वर्ष में उस सेमेस्टर में पुनः प्रवेश लेना होगा ।

8.4 किसी भी विद्यार्थी को अगले सेमेस्टर में तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक उसने स्वंय को ठीक पहले वाले सेमेस्टर में पंजीकृत नहीं कराया हो तथा उस पाठ्यक्रम में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन नहीं किया हो ;

8.5 प्रत्येक सेमेस्टर की शुरुआत में एक अंतिम तिथि निर्धारित एवं अधिसूचित की जाएगी इस तिथि के पश्चात सामान्य तौर पर प्रवेश/पुनःप्रवेश/प्रोन्नति/पंजीकरण की अनुमति नहीं होगी।

8.6 विशेष परिस्थितियों में विद्यार्थी को निर्धारित तिथि से विलंब पंजीकरण की अनुमति दी जा सकेगी जिसके लिए विद्यार्थी को इसके लिए निर्धारित शुल्क के साथ विलंब शुल्क भी अदा करना होगा ।

9. उपस्थिति

9.1 कोई भी अभ्यर्थी किसी भी पाठ्यक्रम के सतत आंतरिक मूल्यांकन/सेमेस्टर के अंत में होने वाली परीक्षा में बैठने का पात्र तभी होगा जबकि अभ्यर्थी द्वारा अधिनियमों में दी गई अन्य संबंधित शर्तों को पूरा करने के साथ-साथ उस पाठ्यक्रम में कम से कम 75% उपस्थिति दर्ज की गई हो।

9.2 संबंधित विभागाध्यक्ष की अनुशंसा के आधार पर विद्यालय के डीन उपस्थिति में कमी को 5% तक माफ कर सकते हैं यदि वह दावा न्यायोचित हो तथा उसके साथ मान्य दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हों।

विषम संख्या वाले पाठ्यक्रम के मामले में, अगले सेमेस्टर में प्रोन्नति के लिए 50% अंकों को अगले उच्च अंक के रूप में माना जाएगा (अर्थात 5 पाठ्यक्रमों के मामले में 3 को, 7 पाठ्यक्रमों के मामले में 4 को, तथा इसी प्रकार अन्य)। (संदर्भ. दिनांक 20 जून, 2011 को आयोजित अकादमिक परिषद की बैठक की मद संख़्या 2.8)

9.3 विभागाध्यक्ष और संकाय के डीन की अनुशंसा पर कुलपति उपस्थिति में कमी हेतु 5% से अधिक की छूट दे सकते हैं परंतु यह छूट किसी मान्य कारण के लिए अधिकतम 10% तक हो सकती है (इसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे)

9.4 तथापि किसी भी विद्यार्थी को अनुच्छेद 9.2 और 9.3 में दी गई छूट की अनुमति कार्यक्रम के कुल सेमेस्टर के 50% से अधिक में नहीं दी जाएगी।

9.5 पाठ्यक्रम में पंजीकृत विद्यार्थियों की उपस्थिति का रिकार्ड रखने का उत्तरदायित्व संबंधित शिक्षक का होगा ।

10. निलंबन / नाम वापस लेना

यदि किसी विद्यार्थी को किसी भी कारण से कक्षा से निलंबित किया जाता है अथवा कक्षा में बैठने से रोक दिया जाता है या वह स्वंय चिकित्सीय आधार पर या किसी भी अन्य ठोस कारण से सेमेस्टर / सत्र से अपना नाम वापस ले लेता है तो उसे अगले अकादमिक सत्र में उचित सेमेस्टर में नियमित विद्यार्थी के रूप में पुनः प्रवेश लेना होगा । इस प्रकार के विद्यार्थियों को प्रत्येक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 75% उपस्थिति की आवश्यकता को पूरा करना होगा तथा कार्यक्रम को अधिनियम में निर्धारित अधिकतम सीमा में पूरा करना होगा (निलंबन/निष्कासन की अवधि शामिल)

11. अदा किया जाने वाला शुल्क

अगले सेमेस्टरों के दौरान तथा परीक्षा के समय प्रवेश, पंजीकरण की राशि एवं विधि और विशेष परिस्थितियों में शुल्क की वापसी आदि विश्वविद्यालय के संबंधित अधिनियमों के तहत होंगे ।

12. शिक्षा एवं परीक्षा का माध्यम

12.1 शिक्षा एवं परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगी ।

12.2 यदि कार्यक्रम अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा से संबंधित है तो शिक्षा एवं परीक्षा का माध्यम वह भाषा होगी।

13. परीक्षा एवं मूल्यांकन

13.1 पाठ्यक्रम के दौरान सतत आंतरिक मूल्यांकन (ट्यूटोरियल, प्रैक्टिकल, गृह कार्य, कक्षा कार्य, सत्र परीक्षा, फील्ड कार्य, सेमीनार, आवधिक परीक्षा) तथा सेमेस्टर के अंत में परीक्षा के द्वारा और संबंधित पाठ्यक्रम में निर्धारित परीक्षा योजना और संबंधित प्राधिकारी के विधिवत अनुमोदन द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी का सतत मूल्यांकन किया जाएगा।

13.2 मूल्यांकन के प्रत्येक भाग के वेटेज का वितरण संबंधित विद्यालय के बोर्ड द्वारा किया जाएगा तथा सेमेस्टर प्रारंभ होने से पहले विभागाध्यक्ष द्वारा इसे घोषित किया जाएगा ।

13.3 जब तक अन्यथा ना दिया जाए तब तक प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अंकों का वितरण निम्नानुसार होगा;

सेमेस्टर के अंत में परीक्षा (ESE) : 60 अंक

सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIA) : 40 अंक

13.4 जब तक अन्यथा ना दिया जाए तब तक सतत आंतरिक मूल्यांकन का ब्रेकअप निम्नवत होगा:

• 2क्लास टैस्ट	: 20अंक
• सौंपे गए कार्य/ सत्र परीक्षा	: 05अंक
• सेमीनार/प्रेजेंटेशन	: 10अंक
• उपस्थिति	: 05अंक

	40अंक
	-------------

*उपस्थिति के लिए अंकों का ब्रेकअप

75 % से कम :कोई अंक नहीं

76% से 80% : 1 अंक

81% से 85% : 2 अंक

86% से 90% : 3 अंक

91% से 95% : 4 अंक

96% से 100% : 5 अंक

13.5 सतत आंतरिक मूल्यांकन संबंधित शिक्षक द्वारा विभागाध्यक्ष और विद्यालय के डीन की पूरी निगरानी में किया जाएगा. विभागाध्यक्ष सभी पाठ्यक्रमों के संबंध में सतत आंतरिक मूल्यांकन की उपाधियों की सूची डीन के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक को रिपोर्ट करेंगे।सतत आंतरिक मूल्यांकन विभागाध्यक्ष तथा विद्यालय के डीन की देखरेख में संबंधित शिक्षक द्वारा किया जाएगा। विभागाध्यक्ष सभी पाठ्यक्रमों के संबंध में सतत आंतरिक मूल्यांकन की रिपोर्ट डीन के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक को प्रेषित करेंगे (दिनांक 06.01.2014 को आयोजित कार्यकारी परिषद की 12वीं बैठक की मद संख्या ईसी 12.7 के संशोधन के अनुसार)

13.6 यदि कोई विद्यार्थी चिकित्सीय कारण से अथवा किसी अन्य असामान्य परिस्थिति के कारण (सहयोगी दस्तावेजी साक्ष्य के साथ) सतत आंतरिक मूल्यांकन से जुड़ी किसी गतिविधि में भाग नहीं ले पाता है तो, उस गतिविधि के लिए संबंधित विभाग द्वारा सेमेस्टर के अंत में ली जाने वाली परीक्षा से पूर्व अलग से परीक्षा आयोजित की जा सकती है।

13.7 सेमेस्टर के अंत में ली जाने वाली परीक्षा को परीक्षा नियंत्रक द्वारा आयोजित किया जाएगा, इस परीक्षा में कुलपति द्वारा नियुक्त परीक्षक मूल्यांकन का कार्य करेंगे।

13.8 इसके तहत कुल चार सेमेस्टरों के अंत में परीक्षा आयोजित की जाएगी, प्रथम सेमेस्टर परीक्षा प्रथम अकादमिक वर्ष के मध्य में आयोजित की जाएगी तथा दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा प्रथम अकादमिक वर्ष के अंत में आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार तीसरे व चौथे सेमेस्टर की परीक्षा दूसरे अकादमिक वर्ष में क्रमशः प्रारंभ व मध्य में आयोजित की जाएँगी।

13.9 सेमेस्टर के अंत में ली जाने वाली परीक्षा 3 घण्टे की होगी जो कि प्रत्येक कोर्स के लिए 60% अंकों की होगी जिसमें कोर्स के लिए निर्धारित पूरा पाठ्यक्रम कवर किया जाएगा।

13.10 सेमेस्टर के अंत में लिए जाने वाली प्रायोगिक परीक्षा (जहाँ भी लागू हो) सामान्य तौर पर सैद्धांतिक परीक्षाओं से पहले आयोजित की जाएगी।

13.11 परीक्षा नियमावली के प्रबंधों के अनुसार, निर्धारित परीक्षा फॉर्म भरने के पश्चात और निर्धारित परीक्षा शुल्क के भुगतान तथा उपस्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने पर व योग्यता हेतु अन्य मानदण्डों को पूरा करने पर विद्यार्थी को सेमेस्टर के अंत में ली जाने वाली परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी ।

13.12 किसी भी कोर्स के सेमेस्टर के अंत में ली जाने वाली परीक्षा में बैठने के लिए विद्यार्थी को सतत आंतरिक मूल्यांकन में न्यूनत 50% अंक लाने अनिवार्य हैं।

13.13 सेमेस्टर के अंत में ली जाने वाली परीक्षा के प्रश्नपत्रों का पैटर्न संबंधित विद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

13.14 जब तक किसी विशेष कार्यक्रम के बारे में अध्यादेश तथा परीक्षा योजना में निर्धारित नहीं किया जाए तब तक प्रत्येक प्रत्येक विद्यार्थी जो प्रत्येक सैद्धांतिक/ प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम में 50% अंक, और कुल 50% अंक(आंतरिक मूल्यांकन और सेमेस्टर के अंत में ली जाने वाली परीक्षा में) अथवा निम्नलिखित छह बिन्दु पैमाने पर आँकी गई 'बी' ग्रेड लाता है तो माना जाएगा कि उसने अपना कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया है।

अंक	ग्रेड बिन्दु	लैटर ग्रेड	श्रेणी
75-100	4.50-6.00	O	उत्कृष्ट
65-<75	3.90-<4.50	A+	उच्च प्रथम
60-<65	3.60-<3.90	A	प्रथम
55-<60	3.30-<3.60	B+	उच्च द्वितीय
50-<55	3.00-<3.30	B	द्वितीय
00-<50	0.00-<3.00	F	अनुत्तीर्ण

सही ग्रेड बिन्दु की गणना करने के लिए 0.06 का गुणांक लागू किया जाएगा।तथापि यदि सीबीसीएस ग्रेड बिन्दुओं जब भी यथा आवश्यकतानुसार अपनाया जाता है तो उपरोक्त छः बिन्दु पैमाने को उनसे बदला / परिवर्तित किया जा सकता है।

13.15 यदि कोई विद्यार्थी किसी सेमेस्टर के निर्धारित कोर्स के 50% से कम में अनुत्तीर्ण हो जाता है या किसी कोर्स में उसकी उपस्थिति कम हो जाती है तो उसे संबंधित सेमेस्टर के अंत में होने वाली परीक्षा में नियमित विद्यार्थियों के साथ पूर्व विद्यार्थी के रूप में उस कोर्स में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे विद्यार्थियों के लिए कोई भी अलग से/पूरक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी । तथापि कुलपति ऐसे विद्यार्थियों के लिए विशेष परीक्षा (सीआईए/ईएसई) की अनुमति दे सकते हैं जिनके अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद तक कुल 4 बैकलॉग रहे हों। ऐसे मामलों में सभी आंतरिक मूल्यांकन अंक आगे स्थानांतरित किए जाएँगे।

13.16 किसी सेमेस्टर के 50% से अधिक कोर्स में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को उचित सेमेस्टर में एक नियमित विद्यार्थी के रूप में पुनः प्रवेश लेना होगा।

13.17 बैकलॉग वाला कोई भी विद्यार्थी अगली नियमित सेमेस्टर परीक्षा में अतिरिक्त उपस्थिति दर्ज किए बिना किसी भी कोर्स के सेमेस्टर के अंत में होने वाली परीक्षा में अधिकतम तीन बार दोबारा बैठ सकता है, इसमें पहली बार शामिल होने को नहीं गिना जाएगा। विद्यार्थी के परिणाम की घोषणा करते समय विद्यार्थी द्वारा अर्जित आंतरिक मूल्यांकन अंक आगे स्थानांतरित कर दिए जाएँगे।

13.18 कोई भी विद्यार्थी अपना परिणाम घोषित होने के पश्चात सात दिनों की अवधि के भीतर निर्धारित शुल्क भरकर निर्धारित प्रपत्र में सेमेस्टर के अंत में होने वाली परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की प्रति माँगने के लिए आवेदन कर सकता है।

13.19 पुनर्मूल्यांकन हेतु प्रावधान -

(क) यदि कोई विद्यार्थी सेमेस्टर के अंत में होने वाली परीक्षा के परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो वह परिणाम घोषित होने के 15 दिनों की अवधि के भीतर निर्धारित शुल्क अदा करके पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकता है।

(ख) पुनर्मूल्यांकन के अंक मिलने पश्चात मूल्यांकनकर्ता तथा पुनर्मूल्यांकनकर्ता के अंकों का औसत लिया जाएगा।

(ग) यदि प्रथम मूल्यांकनकर्ता तथा द्वितीय मूल्यांकनकर्ता के अंकों में 20% से अधिक का अंतर है तो उत्तर पुस्तिका को तीसरे मूल्यांकनकर्ता के पास भेजा जाएगा तथा तीनों मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा दिए गए अंकों का औसत निकाल कर परिणाम घोषित किया जाएगा।

14. सुधार हेतु परीक्षा देना

14.1 वे विद्यार्थी जो सैद्धांतिक पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों में पास हो चुके हैं उन्हें अपने अंकों में सुधार लाने के लिए प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने से लेकर 10 सेमेस्टरों की अधिकतम अवधि के दौरान अधिकतम 4 पाठ्यक्रमों में केवल एक बार या तो सम अथवा विषम सेमेस्टर के नियमित विद्यार्थियों के साथ पुनः परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे विद्यार्थियों के लिए कोई भी अलग से/पूरक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।

14.2 ऐसे विद्यार्थियों को अपने अंकों/डिवीजन में सुधार लाने के लिए अंतिम परिणाम घोषित होने की तिथि से एक माह के भीतर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा तथा समय-समय पर निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

14.3 यदि विद्यार्थी के अंकों में सुधार होता है तो उसे उपाधिप्रदान करने के लिए उसके बढ़े हुए अंकों को लिया जाएगा तथा पुराने ग्रेड कार्ड को जमा करने पर उसे नया ग्रेड कार्ड जारी कर दिया जाएगा। पुरस्कार/मेडल, रैंक और डिस्टिंक्शन प्रदान करते समय इस प्रकार से बढ़े हुए अंकों पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि विद्यार्थी के अंकों में सुधार नहीं आता है तो उसके पुराने अंक ही मान्य होंगे।

14.4 प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, मौखिक परीक्षा, फील्ड वर्क में प्राप्त अंकों को सुधारने की अनुमति किसी भी विद्यार्थी को नहीं होगी।

15. अंक तालिका एवं डिग्री प्रदान करना

15.1 प्रत्येक सेमेस्टर परीक्षा को सफलता पूर्वक पूरा करने पर विद्यार्थी को उस सेमेस्टर के अंक प्रदान किए जाएँगे जिसके साथ पिछले सेमेस्टर(रों) में प्राप्त अंक भी दर्शाए जाएँगे।

15.2 कार्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर की अंक तालिका में सभी सेमेस्टरों के अंक दर्शाए जाएँगे जिसमें डिवीजन/कक्षा/लैटर ग्रेड, प्रत्येक कोर्स में अर्जित क्रेडिट, ग्रेड बिन्दुओं का औसत (GPA), भारित औसत अंक (WAM), संचयी ग्रेड बिन्दु औसत (CGPA)तथा सेमेस्टर के सभी पाठ्यक्रमों के सकल भारित प्रतिशत अंक (OWPM) दर्शाए जाएँगे।

15.3 सफल अभ्यर्थियों को अधिनियम एवं संविधि के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के तहत संबंधित विषय में टीचर एजूकेशन डिग्री (बी.एड. और एम.एड.) प्रदान की जाएगी एवं प्रवेश दिया जाएगा;

(क) उसने निर्धारित अवधि में स्वंय को पंजीकृत कराया हो, पाठ्यक्रम पूरा किया हो तथा आवश्यक न्यूनतम क्रेडित अर्जित किए हों;

(ख) कक्षा में आवश्यक उपस्थिति दर्ज की हो ;

(ग) विश्वविद्यालय, हॉस्टल अथवा पुस्तकालय को कुछ भी देना बाकी ना हो ;

(घ) उसके विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित ना हो; और

(ड.) नियमों के तहत ऐसी अन्य सभी शर्तें पूरा/पूरी करता/करती हो

16. किसी भी परेशानी को दूर करने की शक्ति

अध्यादेश में किए गए प्रावधानों के बावजूद, अकादमिक परिषद/कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष अपवादस्वरूप परिस्थितियों में तथा संबंधित विद्यालय बोर्ड अथवा किसी उपयुक्त समिति की अनुशंसा पर सीजीपीए की आवश्यकताओं से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर किसी भी अन्य प्रावधान के संबंध में किसी भी व्यक्ति के योग्य मामले पर पर विचार करते हुए उसे छूट दे सकते हैं, इस प्रकार के मामलों में छूट देने का कारण रिकॉर्ड में रखा जाएगा।

प्रो. मुहम्मद अफजल जरगर, कुल सचिव (कश्मीर केन्द्रीय़ विश्वविद्यालय)

[विज्ञापन-III/4/असा./23/17]

CENTRAL UNIVERSITY OF KASHMIR

(A Central University established by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

Srinagar, the 19th April, 2017

No. CUKmr/Admin/F.No.385/14/3522.—It is notified that in exercise of powers vested with the Visitor (in case of Statutes) & the Executive Council (in case of 1st Ordinances) of the Central University of Kashmir under Section-27 & 28 of the Central Universities Act 2009 respectively, the Central University of Kashmir has made amendment to the Statute 10 (5) & framed Ordinances (Ordinance nos. 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26 & 29). As provided under Section-43 of Central Universities Act 2009, the above mentioned Statute & Ordinances are hereby notified in the official Gazette of India.

PROPOSED AMENDMENT TO STATUTE 10 (5) OF THE CENTRAL UNIVERSITIES ACT, 2009

Existing Provision of Statute 10 (5)	To read after amendment
Eleven members of the Court shall form a quorum for a meeting of the Court.	(1) The Court shall consist of the following members, namely: (a) the Chancellor, ex-officio, (b) the Vice- Chancellor ex-officio, (c) the Pro Vice Chancellor, ex-officio, (d) two members of the Executive Council nominated by EC (e) Five persons nominated by the Visitor from amongst persons who are men of standing in public life or have special knowledge or practical experience in education or have rendered eminent services in the cause of education, social service etc. (f) Five persons being Deans/Heads/Co-ordinator/Principals of the constituent colleges of the University to be nominated by the Chancellor on rotation basis. (g) two persons, being Professors from Departments of Studies or Colleges of the University, nominated by the Chancellor on rotation basis. (h) two persons from among teachers of the University, other than Professors, nominated by the Chancellor on rotation basis. (i) Two employees, one each from Group A & Group B/C non-teaching staff to be nominated by the Chancellor on rotation basis. (j) Vice-Chancellor, Central University of Jammu, ex-officio. (k) Vice-Chancellor, University of Kashmir, ex-officio (l) Five persons from Industry/Judiciary/Civil society etc. to be nominated by the Chancellor (m) Three class representatives of the student community to be nominated by the Chancellor on rotation basis. (n) Registrar – Member Secretary (2) One half of the members of the Court shall form the quorum (3) All members of the Court, other than ex-officio members shall hold office for a term of three years.

ORDINANCE 3

Assignment of Departments to the Schools of Studies

(*As stipulated under Statute 15 (5) (a) of the Central Universities Act, 2009*).

(Approved by the Executive Council at its second meeting held on 26.06.2010)

Schools	Departments
School of Education	1. Department of Education 2. Department of Physical Education 3. Department of Special Education 4. Such other Departments as may be established and assigned from time to time.
School of Languages	1. Department of English 2. Department of Urdu 3. Department of Hindi 4. Department of Kashmiri 5. Department of Arabic 6. Department of Sanskrit 7. Department of Punjabi 8. Department of Linguistics 9. Department of Foreign Languages, and 10. Such other Departments as may be established and assigned from time to time.
School of Social Sciences	1. Department of Economics 2. Department of Politics and Governance 3. Department of History 4. Department of Social Work 5. Department of Anthropology 6. Department of Buddhist Studies, 7. Department of Religious Studies* and 8. Such other Departments as may be established and assigned from time to time.
School of Physical & Chemical Sciences	1. Department of Physics 2. Department of Chemistry 3. Department of Mathematics 4. Department of Nanoscience, and 5. Such other Departments as may be established and assigned from time to time.
School of Life Sciences	1. Department of Plant Sciences 2. Department of Animal Sciences 3. Department of Biotechnology 4. Department of Microbiology, and 5. Such other Departments as may be established and assigned from time to time.
School of Environmental Sciences	1. Department of Environmental Sciences, and 2. Such other Departments as may be established and assigned from time to time.
School of Business Studies	1. Department of Management Studies 2. Department of Commerce 3. Department of Tourism Studies, and 4. Such other Departments as may be established and assigned from time to time.
School of Legal Studies	1. Department of Law, and 2. Such other Departments as may be

* Approved by H.E. the Visitor *Refer MHRD Letter No. F.No. 10-6/2014-CU.III Dated 20.03.2015*

	established and assigned from time to time.
School of Media Studies	1. Department of Convergent Journalism, and 2. Such other Departments as may be established and assigned from time to time.
School of Performing Arts	1. Department of Music and Fine Arts, and 2. Such other Departments as may be established and assigned from time to time.
School of Engineering & Technology	1. Department of Information Technology, and 2. Such other Departments as may be established and assigned from time to time.
School of Medical Sciences	1. Department of Medicine 2. Department of Dentistry 3. Department of Pharmacy 4. Department of Physiotherapy 5. Department of Nursing 6. Department of Human Genetics 7. Department of Medical Technology, and 8. Such other Departments as may be established and assigned from time to time.

ORDINANCE 4

Admission of Students to the University

{Sub – section (1) (a) of Section 28 of the Central Universities Act, 2009}

(Approved by the Executive Council at its second meeting held on 26.06.2010)

1. TITLE AND COMMENCEMENT

1.1 This Ordinance shall be called the Ordinance for the Admission of Students in the University and shall be applicable to all the academic programmes unless otherwise stated

1.2 Subject to the overall control of the Academic Council, admission of students in the University shall be administered by the concerned School Board.

1.3 This Ordinance shall come into force from the Academic Session 2010-2011.

2. ELIGIBILITY FOR ADMISSION

2.1 Without prejudice to the provisions of the Act and the Statutes, and other Rules of the University, no student shall be eligible for admission to any programme of study in the University unless he/she has passed the examination or examinations prescribed by the University for admission to the concerned programme.

2.2 The policy of the Govt. of India and the guidelines of the UGC, regarding the reservation of seats for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, OBCs and also for Differently abled candidates shall be implemented.

2.3 Foreign nationals either residing in India or abroad or Indian nationals residing abroad may be admitted to a programme according to the policy guidelines laid down by the Government of India/ statutory authorities of the University from time to time.

2.4 Admission of a candidate to any programme would be made only in its first semester. He/she shall be promoted to the subsequent semesters of the programme after completing necessary formalities as prescribed for each programme.

2.5 In exceptional cases lateral entry of a candidate, shall be considered for admission to a later semester of any programme on the recommendations of the concerned School Board.

2.6 No Student shall ordinarily be admitted to more than one programme at a time unless otherwise provided

2.7 No candidate admitted to any programme shall undertake any employment before completing the minimum residency period prescribed for a programme.

2.8 In-service candidates sponsored by their employers shall be considered for admission to a programme only if they get study leave to fulfill residency requirements of the programme.

2.9 If a student admitted to any programme is found at any stage medically unfit, his / her admission shall be cancelled after following the due process.

2.10 If at any time it is discovered that a candidate has made a false or incorrect statement or other fraudulent means have been used for securing admission his/her name shall be removed from the rolls of the University.

3. PROCEDURE FOR ADMISSION

3.1 Admission for every Programme shall be advertised in leading newspapers at the national level and also in the University's website.

3.2 Application for admission to the University shall be submitted to the Dean of the concerned School in such a form as may be prescribed and within the last date fixed in respect of each programme.

3.3 The applications so received shall be forwarded by the Dean to the Admission Committee of the Schools / Departments concerned as may be constituted by the Vice-Chancellor.

3.4 The processing of admission in respect of each programme shall be completed by the Admission Committee concerned as per prescribed procedure and the list of candidates recommended for admission shall be forwarded to the Vice-Chancellor for approval.

3.5 The admission to every Programme shall be made on the basis of the Entrance test to be conducted by the university as per a schedule to be notified for the purpose or through any such criteria as mentioned in the Admission Rules of a particular programme or as decided by the statutory bodies of the University. The Entrance Test shall be conducted at national level at the designated centers to be decided by the University, depending upon the number of students opting for a centre. The syllabus for the same shall ordinarily be devised by a committee to be formed by the Vice Chancellor and the paper set by expert (s) in the field.

3.6 Admission to the programmes leading to the Degree of Master of Philosophy (M Phil) and Doctor of Philosophy (Ph D) shall be governed by the concerned Ordinance.

3.7 A candidate shall be admitted to a programme on his / her enrollment as a student of the University after paying the fee prescribed by the University.

4. DURATION

4.1 The minimum and maximum duration for the programmes offered by the University shall be prescribed by the Academic Council

4.2 In respect of candidates who had discontinued for a valid reason and are readmitted to the programme by the School, the period for which such candidates had discontinued shall not be counted while calculating the maximum period of a programme.

4.3 A semester / year may be declared a zero semester / year in case of a student who could not continue with a programme during that period due to illness and hospitalization or due to accepting a foreign scholarship/ fellowship subject to the fulfillment of requirements as laid down by the relevant rules. Such zero semester /year shall not be counted for calculation of the duration of the programme in case of such a student.

5. NUMBER OF SEATS

5.1 The number of seats in each of the Masters and Bachelors Degree Programmes shall be thirty (30)

and fifty (50) respectively or as approved by the Academic Council from time to time.

5.2 In respect of Master of Philosophy (M Phil) and Doctor of Philosophy (Ph D) Programmes the student intake in each Department/Centre shall be regulated as per the availability of research supervisors.

6. POWER TO REMOVE ANY DIFFICULTY

Notwithstanding what is contained in the Ordinance, the Chairperson, Academic Council /Executive Council may in exceptional circumstances and on the recommendations of the School Board concerned or an appropriate Committee as well as on the merits of each individual case consider, for reasons to be recorded, relaxation of any of the provisions except those prescribing CGPA requirements.

ORDINANCE 5
Master's Degree Programme

{Sub – section (1) (b) of Section 28 of the Central Universities Act, 2009}

(Approved by the Executive Council at its second meeting held on 26.06.2010)

1. TITLE AND COMMENCEMENT

1.1 This Ordinance shall be called the Ordinance for the award of the Postgraduate Degree Programmes, hereinafter referred as the Programme, and shall be applicable to all the Masters Degree programmes unless otherwise stated.

1.2 Subject to the overall control of the Academic Council, the programme shall be administered by the concerned School Board.

1.3 This Ordinance shall come into force from the Academic Session 2010-2011.

2. DURATION

2.1 *Unless otherwise provided in the statutes governing a Masters programme the minimum duration for completion of each Master's Degree Programme shall be 04 semesters (2 Academic Years) and the maximum duration 10 semesters (5 Academic Years).

2.2 **In respect of candidates who had discontinued for a valid reason and are readmitted to the programme by the School, the period for which such candidates had discontinued shall not be counted while calculating the period of five years prescribed in clause 2.1.

2.3 A semester / year may be declared a zero semester / year in case of a student who could not continue with the programme during that period due to illness and hospitalization or due to accepting a foreign scholarship/ fellowship subject to the fulfilment of requirements as laid down by the relevant rules. Such zero semester /year shall not be counted for calculation of the duration of the programme in case of such a student.

3 NUMBER OF SEATS

**The number of the seats shall be as approved by the statutory bodies of University from time to time.

4. ADMISSION CRITERIA

4.1 Admission of a candidate to the programme should be made only in its first semester. He/she shall be promoted to the subsequent semesters of the programme after completing necessary formalities as specified under clause 8.

4.2 Foreign nationals either residing in India or abroad or Indian nationals residing abroad may be admitted to this programme according to the policy guidelines laid down by the Government of India/ statutory authorities of the University from time to time.

4.3 No candidate shall be eligible for admission to the Programme if he/she is already registered for any full time Programme of this University or any other University/Institute.

4.4 No candidate admitted to this programme shall undertake any employment or join any other course of study before completing the minimum residency period.

4.5 The University may consider launching of Integrated UG-PG Programme (with exit option after UG programme).

5. ELIGIBILITY FOR ADMISSION

5.1 *A candidate shall be eligible for admission to the programme in any discipline provided he/she has qualified for the award of Bachelors Degree under 10+2+3 pattern in the concerned subject or in an allied subject (to be determined by the School Board) of any recognized University or a degree recognized by the University for this purpose with a minimum of 50% marks or its equivalent on Grading scale of respective Universities or as approved by the statutory bodies of the University.

5.2 For SC/ST, Physically Handicapped & Visually Challenged candidates a concession of 5 percent of marks shall be given in the minimum eligibility marks.

5.3 The policy of the Govt. of India and the guidelines of the UGC, regarding the reservation of seats for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, OBCs and also for Differently-abled candidates shall be implemented.

** Amended by the Executive Council vide item EC 12.7 at its 12th meeting held on 06.01.2014*

*** Amended by the Executive Council vide item EC 15.24 at its 15th meeting held on 19.09.2015*

6. PROCEDURE FOR ADMISSION

6.1 As per an Academic Calendar the University shall invite applications from the eligible candidates for admission to the Programme in each academic session, giving details regarding the academic calendar, number of seats available, eligibility criteria, prescribed fees etc.

6.2 Admission for the Programme shall be advertised in leading newspapers at the national level and also in the University's website.

6.3 The admission to the Programme shall be made on the basis of the Entrance test to be conducted by the university as per a schedule to be notified for the purpose or through any such criteria as mentioned in the Admission Rules of a particular programme or as decided by the statutory bodies of the University. The Entrance Test shall be conducted at national level at the designated centres to be decided by the University, depending upon the number of students opting for a centre.

6.4 The selected candidate shall submit the prescribed fee and other relevant documents to the Department concerned within the stipulated time.

7. PROGRAMME STRUCTURE

7.1 University shall follow a Choice Based Credit System (CBCS) in all its Masters Programmes. During the programme a student shall have to take Core, Elective, Supportive (soft and life skill) and Social Orientation Courses subject to a minimum of 80 credits unless otherwise stated in the Ordinances of any particular programme. Whereas the Core and Elective Courses will be offered in the Department offering the Programme, the Supportive and Social Orientation Courses may be offered either in the same or other Department(s) of the University. Students may be offered choice in Elective, Supportive and Social Orientation courses.

7.2 Subject to the approval of the Academic Council, the syllabus for the courses and the methodology and instructional designs to be used shall be prepared/prescribed and published by the respective School Boards.

8. REGISTRATION AND PROMOTION TO THE NEXT SEMESTER

8.1. Every student admitted to the programme shall get registered at the beginning of the 1st semester of the programme in the Department/School by completing the necessary formalities;

8.2. A student shall be promoted and permitted to get registered in the next semester provided he/she:

I. Fulfils the requirements of continuous internal assessment/project/practical work

II. Passes at least 50% of courses in the semester concerned

III. Puts in required attendance in each course/semester as provided in clause 9.1

8.3. A student found not eligible to appear in the End- Semester Examination of a Semester of the programme due to shortage of attendance **or** those who fail in more than 50% of the prescribed courses in any Semester shall be required to repeat and take readmission in respective semester of the programme in the following academic year*.

8.4. A student shall not be permitted to register himself/herself in a subsequent semester of a programme unless he/she has been a registered student of the immediate earlier semester and has pursued the course of that semester as a regular student;

8.5 In each semester, a last date shall be fixed and notified in the beginning of the semester after which admissions/re-admissions/promotion/registration shall not be ordinarily made;

8.6 Under special circumstances, the students may be allowed late registration by a specified date, by paying a late fee fixed for the purpose, along with the prescribed fees.

9. ATTENDANCE

9.1 A candidate to be eligible to appear in the internal continuous assessment/end semester examination of a course or a complete semester shall have to put in a minimum of 75% attendance in that course/semester in addition to satisfying all other relevant conditions laid down in the Regulations.

9.2 The Dean of School, on the recommendation of the HOD concerned, shall condone the shortage of attendance to a maximum of 5% if the claim is justified and supported by valid documents.

* In case of odd number of courses, 50% should be interpreted as the next higher number (i.e., 3 in case of 5 courses, 4 in case of 7 courses and so on) for promotion to the next semester.
– Ref Item No.2.8 Second meeting of the Academic Council held on June 20, 2011.

9.3 The Vice Chancellor, on the recommendation of the HOD and Dean of the Faculty shall condone shortage beyond 5% but only up to 10% for valid reasons (to be supported by documentary evidence).

9.4 *However, no student shall be allowed to avail of the concession provided under Clause 9.2 & 9.3 in more than 50% of the total semesters of the programme.

9.5 *The teacher concerned shall be responsible for maintaining the record of attendance of the students registered for the course.

10. SUSPENSION/WITHDRAWAL

*A student suspended or debarred from attending the classes due to any reason, whatsoever, or having withdrawn from a semester/year on medical grounds or for any other cogent reason, shall have to seek re-admission in the appropriate semester in the next academic session as a regular student. Such students shall have to meet the requirement of 75% attendance in each course in a semester and shall have to complete the programme within its maximum time limit as specified in the Regulations (period of suspension/rustication **included**).

11. FEES TO BE PAID

The amount and mode of payment of fees payable at the time of admission, registration during subsequent semesters and at the time of examination and refund of fee under special circumstances will be governed by the relevant Ordinances of the University in this regard.

12. MEDIUM OF INSTRUCTION AND EXAMINATION

12.1 The language for the instruction and examination shall be English.

12.2 In cases where the programme pertains to any language other than English, the instruction and examination could be in that language.

13. EXAMINATION AND EVALUATION

13.1 A student shall be continuously evaluated for his/her academic performance in a course through Continuous Internal Assessment (tutorials, practicals, home assignments, class assignment, term papers, field work, Seminars, Periodical Tests) and the End-Semester Examination, as prescribed in the examination scheme of the respective course and duly approved by the authority concerned.

13.2 The distribution of weightage for each component of assessment shall be decided by the School Board concerned and announced by the Head of the Department before the start of the semester.

13.3 Unless provided otherwise the marks distribution for each course shall be as under;

End Semester Examination (ESE)	:	60 Marks
Continuous Internal Assessment (CIA)	:	40 Marks

13.4 Unless provided otherwise the breakup of Continuous Internal Assessment shall be as below:

Best of 2 tests out of 3	:	20 Marks
Attendance*	:	05 Marks
Assignments/Term paper	:	05 Marks
Seminars/Presentations	:	10 Marks
		40 Marks

*Marks break-up for Attendance

Below 75 %	:	No marks
76% to 80%	:	1 mark
81% to 85%	:	2 marks
86% to 90%	:	3 marks
91% to 95%	:	4 marks
96% to 100%	:	5 marks

13.5 The continuous internal assessment shall be conducted by the teacher concerned under the overall supervision of the HOD and Dean of the School. The Head of the Department shall report the award list of CIA in respect of all courses to the Controller of Examination through the Dean.

13.6 In case of a student who could not appear in any of the components of the CIA due to medical reasons or for extraordinary circumstances(supported by documentary evidence), a separate examination in that component may be arranged by the Department concerned before the end semester examination.

13.7 The end semester examination shall be organised by the Controller of Examination, with the evaluation to be undertaken by the examiners to be appointed by the Vice Chancellor.

13.8 There shall be four End Semester Examinations, first semester examination at the middle of the first academic year and the second semester examination at the end of the first academic year. Similarly the third and fourth semester examinations will be held at the middle and the end of the second academic year respectively.

13.9 There shall be one End semester examination of 3 hours duration carrying 60% of Marks in each course covering the entire syllabus prescribed for the course.

13.10 End Semester Practical Examinations (wherever applicable) shall ordinarily be held before the theory examinations.

13.11 A student shall be permitted to appear in the End-semester examination as per the Conduct of Examination Rules after filling up the prescribed examination form, payment of the prescribed Examination Fee, satisfying the attendance requirement and fulfilling other eligibility criteria.

13.12 To be eligible to appear in the End Semester Examination of a course the student shall have to clear the CIA with a minimum of 50% marks.

13.13 The question paper pattern of End Semester Examination shall be prescribed by the School concerned.

13.14 Unless prescribed in the Regulation and Scheme of examination of a particular programme a candidate shall be deemed to have completed his/her courses successfully if he/she obtains at least 50% marks in each of the theory / practical course, and 50% marks in aggregate (Internal Assessment and End-semester evaluation) or 'B' Grade, measured on the following six point scale*.

Marks	Grade Point	Letter Grade	Class
75-100	4.50-6.00	O	Outstanding
65-<75	3.90-<4.50	A+	High First
60-<65	3.60-<3.90	A	First
55-<60	3.30-<3.60	B+	High Second
50-<55	3.00-<3.30	B	Second
00-<50	0.00-<3.00	F	Fail

The multiplication factor of 0.06 shall be applied in calculating the exact Grade Point.

13.15 *If a student fails in less than 50 % of prescribed courses of a semester or falls short of attendance in a course he/she shall be allowed to appear in that course(s) as ex-student during the End-Semester Examination of the corresponding semester with the regular students. No separate/supplementary examination shall be arranged for such students. However, the Vice Chancellor may authorize special examination (CIA/ESE) for students who have total of up to 4 backlogs after the declaration of last semester result. The marks of all internal assessment as applicable shall however, be carried forward in such cases.

13.16 Students failing in more than 50% of the courses in a semester shall have to seek readmission in the appropriate semester as a regular student.

13.17 *A student with a backlog can repeat End Semester Examinations of a course for a maximum of three chances, excluding the 1st appearance, in the subsequent regular End Semester Examinations without putting in any additional attendance. The internal assessments marks obtained by the student shall be carried over for declaring the result.

13.18 *A student after declaration of his/her results can request for providing of photocopies of answer sheets of End Semester Examinations within a period of 7 days on the prescribed format and on payment of prescribed fees.

** Amended by the Executive Council vide item EC 12.7. at its12th meeting held on 06.01.2014*

13.19 *Provisions for reevaluation-:

(a) In case a student is not satisfied with the End Semester evaluation, he/she can apply for reevaluation on payment of prescribed fee within a period of 15 days after the declaration of the results.

(b) After the award of reevaluation is received, average of the scores given by the evaluator and the reevaluator shall be taken.

(c) In case the difference of marks given by the 1st evaluator and the 2nd evaluator is more than 20%, the answer script will be sent to the 3rd evaluator for evaluation and the result shall be compiled by taking average of marks of all the three evaluators.

14. APPEARANCE FOR IMPROVEMENT

14.1 *Students who have passed in a theory course / courses shall be allowed to repeat a maximum of 4 courses only once in order to improve his/her marks, within a maximum period of 10 semesters from his/her admission to the first semester along with regular students of either odd or even semesters. No separate/supplementary examination would be arranged for such students.

14.2 Such students shall have to apply for marks/division improvement within one month of declaration of the final result in a prescribed form and pay the fees prescribed from time to time.

14.3 If the candidate improves his marks, then his improved marks shall be taken into account for working out his revised award and a revised grade card shall be issued to him/her on the surrender of the earlier grade card. Such improved marks will not be counted for the award of Prizes / Medals, Rank and Distinction. If the candidate does not show improvement in the marks, his/her previous marks will continue to be taken into account.

14.4 No candidate will be allowed to improve marks in the Practical, Project, Viva-voce, Field work.

15. AWARD OF MARKS-SHEET & DEGREES

15.1 On successful Completion of each semester examination, the student shall be awarded marks for that semester indicating simultaneously the marks obtained in the previous semester(s).

15.2 The Marks-Sheet of last semester of the Programme shall indicate the consolidated marks of all the semesters, along with the Division/Class/ letter Grade, the credits earned for each course, Grade Point Average (GPA), Weighted Average Marks (WAM), Cumulative Grade Point Average (CGPA) and Overall Weighted Percentage Marks (OWPM) of all the courses of a semester.

15.3 The Successful candidates shall be admitted to and conferred upon the Masters Degree in the respective subject as per provisions of the Act and Statutes provided he/she has:

- Registered, undergone and earned the required minimum number of credits within the stipulated time;
- Put in the required attendance;
- No dues to the University, Hostel or Library outstanding;
- No disciplinary action pending against him/her
- Fulfilled such other conditions as prescribed under rules

15.4 **The student shall be eligible for issuance of Rank Certificate/Merit Certificate subject to the fulfillment of following conditions :

(i) The student shall have passed all the courses in a programme without any break.

(ii) The student shall have passed each paper in first attempt

(iii) No disciplinary action has been initiated against the student.

16. POWER TO REMOVE ANY DIFFICULTY

Notwithstanding what is contained in the Ordinance, Chairperson, Academic Council /Executive Council may in exceptional circumstances and on the recommendations of the School Board concerned or an appropriate Committee on the merits of each individual case consider, and for reasons to be recorded, relaxation of any of the provisions except those prescribing CGPA requirements.

** Amended by the Executive Council vide item EC 12.7. at its12th meeting held on 06.01.2014*

** Amended by the Executive Council vide item EC 15.21. at its 15th meeting held on 19.09.2015*

17. **If a candidate has sought or is seeking admission to an academic/professional institution or is seeking employment in or outside the state on the basis of an examination taken by him from this University, his result may be communicated by the Controller of Examination confidentially to the Head of that institution before the declaration of the result of the said examination on payment of prescribed fee by the applicant. The said fee as decided by the Vice chancellor from time to time shall be payable by the applicant separately for each institution/appointing authority to which the result is to be communicated

*** Amended by the Executive Council vide item EC 15.30. at its 15th meeting held on 19.09.2015*

ORDINANCE NO. 7

Fees Payable by the Students of the University

{Sub – section (1) (e) of Section 28 of the Central Universities Act, 2009}

(Approved by the Executive Council at its 2nd meeting held on 26.06.2010)

1. The Executive Council on the recommendations of the Academic Council shall, from time to time prescribe the fees payable by students of the University**.
2. Students admitted to various programmes of study shall pay the fees as prescribed.

3. <u>Due date and mode of payment:</u>

3.1 The students shall deposit fees as prescribed by the University from time to time.

3.2 Fees shall be paid on or before the date fixed by the University.

3.3 The mode of payment of fee (Cash/DD/Cheque/IPO/e-payment) will be prescribed by the University from time to time and will be notified in the admission notification.

4 <u>Delay or default in payment:</u>

4.1 Except in case of first semester of an academic programme, where no delay in payment of fee will be allowed, fine will be imposed on delayed payment of fee as follows:

i. 15% of the fees for the first 10 days after the due date.
ii. 25% of the fees for the next 10 days
iii. 50% of the fees for the next 10 days.

4.2 The Vice-Chancellor or any other officer to whom this power has been delegated may on the recommendations of the Dean of the School concerned, relax any of the conditions for delayed payment of fees in special cases provided the student concerned submits a written application statingRs the reasons for late payment of fee. Such applications should be submitted well ahead of the due dates, so that a decision may be taken and communicated to the students concerned on time.

4.3 Names of the defaulters shall be removed from the rolls of the University after the expiry of one month of the last day of payment of fee as originally fixed.

4.4 A student whose name has been struck off from rolls of the University may be re-admitted by the Vice-Chancellor on the recommendations of the Dean of the School concerned and on payment of arrears of fees in full and other dues, together with a re-admission fee as fixed by the University.

4.5 Whenever a student proposes to withdraw from the University, he shall submit an application to the Dean of the School concerned through the Head of the Department/Centre intimating the date of his/her withdrawal. If he fails to do so, his/her name shall continue to be kept on the rolls of the

University for maximum period of one month following the month up to which he has paid the fees. He shall also be required to pay all fees/charges that may fall due during this period.

5. **'Visually challenged students with serious impairment' exempted:**

'Visually challenged students with serious impairment' shall be exempted from payment of all the tuition fees.

6. **Concession in fee:**

6.1 The Dean of the School, on the recommendations of a Committee consisting of the following, shall grant free-ships up to the percentage which may be prescribed by the University Grants Commission.

i. Dean – Chairman
ii. Three Heads of Department/Centres nominated by the Vice Chancellor.
iii. Three students of the Department/Centre concerned nominated by the Vice-Chancellor.

6.2 If the number of applicants for free-ships is more than the number of free- ships available, the committee referred to in sub-clause (1) may recommend half free-ships to some of the applicants so that the total of free-ships does not exceed the prescribed percentage.

*** Amended by the Executive Council vide item EC 4.12 at its 4th meeting held on 02.07.2011*

6.3 Applications for concession in fees shall be submitted on the prescribed form to the Dean of the School concerned through the Head of the Department/Centre by such dates as may be specified by the Dean. Applications received after that date shall not ordinarily be entertained.

6.4 The following factors shall be taken into account while making recommendations on the applications of students for grant of free-ships:

i. Academic record of the student;
ii. His/her progress in studies in the case of renewal of free-ships;
iii. His/her financial position; and
iv. Any other factor, which shall also be recorded.

6.5 Free-ships granted during the academic year/semester shall not be renewed automatically in the following year/semester. The Students in need of such concession shall submit fresh applications every year/semester, which shall be considered along with new applications received.

6.6 A free ship granted to a student may be cancelled if his/her conduct or progress in studies is found to be unsatisfactory or if his/her financial condition improves and no longer justifies such concession.

6.7 Fees concession for SC/ST and any other category of students shall be applicable as per Govt. of India directives.

7. Refund of fees, security deposit etc.:

7.1 Security deposit is refundable, on an application from the student on his/her leaving the University, after deducting all dues, fines and other claims against him.

7.2 If any student does not claim the refund of any amount lying to his/her credit within two calendar years of his/her leaving the University, it shall be considered to have been donated by him to the Students' Aid Fund. The period of two years shall be reckoned from the date of announcement of the result of the examination taken by the student or the date from which his/her name is struck off from the rolls of the University.

7.3 If, after having paid the fees, a candidate desires his/her admission to be cancelled, he/she shall be refunded all fees and deposits except Tuition fee of one month and Admission Fee in full (subject to a maximum deduction of Rs.1000/-), provided his/her application for withdrawal is received by the Registrar not later than five clear days after the commencement of the academic session concerned or within fifteen clear days after the completion of admission whichever is later.***

7.4 If, after having paid his/her fees a candidate does not join the University, only the Sports Fee and Security Deposit shall be refunded to him/her, provided his/her application for withdrawal is received by the Registrar not later than 30 clear days after the commencement of the class work.**

7.5 Application for withdrawal received after the expiry of 30 days from the commencement of the academic session would entitle a student for the refund of Security Deposit only.***

7.6 If a Student owes any money to the University on account of any damage he may have caused to the University property, it shall be, along with outstanding Tuition Fee and fines, if any deducted from the Security Deposit due to him.

8. Students shall not be issued Hall Tickets or allowed to appear at the Examinations unless they have cleared their dues and paid the examination fee.

9. **Fees for re-checking Examination results:**

Fee of Rs 50 per answer script will be charged for re-checking. The fees shall be refunded to the candidate if on re-checking the results, any error or omission is discovered in the results notified by the University.

**** Amended by the Executive Council vide item EC 6.5 at its 6th meeting held on 22.04.2012*

*** Amended by the Executive Council vide item EC 15.24 at its156th meeting held on 19.09.2015*

10. **Fees for the supply of Statement of Marks:**

10.1 Every candidate shall pay along with the examination fee, a fee as fixed by the University for the supply of statement of marks for each examination.

10.2 The statement of marks shall be sent to the candidates through the Head of the Department/Centre concerned.

10.3 Duplicate copies of Statement of Marks shall be supplied on payment of Rs 100 as fee for each statement of marks.

11. **Fees for issuing transfer, provisional and other certificates:**

11.1 The following shall be the fees for issuing Transfer/Provisional and other Certificates and for duplicate copies thereof.

a.	Transfer Certificate Duplicate copy of the Transfer Certificate	Rs. 100 Rs. 50
b.	Provisional Certificate of having passed an examination of the University Duplicate copy of the above	Rs 100 Rs 50
c.	Degree Certificate (In-Person) Degree Certificate (In-absentia) Duplicate copy of Degree	Rs 500 Rs 200 Rs 200
d.	Bonafide Certificate	Rs 50

11.2 A student or candidate, who wishes to add or to alter his/her name as originally recorded in the University Registers shall pay fee of Rs 500. Such addition or alteration shall be made to his/her original name as alias in the University Enrollment Register after he has fulfilled the necessary formalities laid down for the purpose.

11.3 A student who applies for alteration of the record of his/her date of birth as entered in the University Registers shall pay Rs 200 and also shall satisfy other conditions laid down by the University.

ORDINANCE 9

Constitution, Powers and Functions etc of the School Board

{Statute 15(3) & (4) of the Central Universities Act, 2009}

(Approved by the Executive Council at its second meeting held on 26.06.2010)

Constitution of School Board:

(1) Each School Board shall consist of the following members:

(i) Dean of the School who shall be the Chairman (Ex-officio);

(ii) Heads of the Departments in the School (Ex-officio):

(iii) All Professors in the School;

(iv) One Associate Professor and one Assistant Professor by rotation according to seniority from each Department in the School;

(v) One expert for each Department of the School not connected with the University having special knowledge of the subject or subjects concerned nominated by the Academic Council, provided that the number of members to be nominated to each of the School of Studies of single department schools under this sub clause shall be two.

(vi) **Two technical/ Industrial experts wherever applicable, not connected with the University nominated by the Vice-Chancellor on the recommendations of Deans.

(2) The term of the Office of the members other than ex-officio members shall be of three years and they shall be eligible for renomination.

Powers and Functions:

(i) To consider schemes for the advancement of the standards of teaching and research, and to submit such proposals to the Academic Council;

(ii) To recommend the programmes of study;

(iii) *To endorse the names of the examiners and moderators to the Academic Council;

(iv) To consider and recommend to the Academic Council, the M.Phil. / Ph.D. programmes of candidates in the School;

(v) To appoint Supervisors for students enrolled for M.Phil./Ph.D. Programmes on the recommendation of the Department /Centre of the school concerned;

(vi) To consider applications for admission to the programmes of research leading to M. Phil./ Ph. D. Degrees;

(vii) To co-ordinate the time-tables of the Department of the School;

(viii) To appoint committees to organize the teaching and research work in subjects or areas which are of interest to more than one Department or School, or which do not fall within the spheres of any Department or School, and to supervise the work of such Committees. The composition, powers and functions of such Committees shall be prescribed by the regulations;

(ix) To frame general rules/mode for the evaluation of Continuous Internal Assessment;

(x) To consider and act on proposals regarding the welfare of the students of the School;

(xi) To recommend to the Academic Council the panel of examiners for the evaluation of thesis submitted by the candidates for research degrees;

(xii) To recommend the award of University Research Scholarships;

(xiii) To consider and recommend applications for any kind of admissible leave for academic purpose;

(xiv) To recommend to the Academic Council the creation and abolition of teaching posts after considering proposals received from Department/Centre of the School.

(xv) To promote research within the School and to submit reports on research to the Academic Council;

(xvi) To consider and to make such recommendation to the Academic Council on any matter pertaining to its sphere of work;

(xvii) To delegate to the Dean, such general or specific powers as may be decided by the Board from time to time;

(xviii) To constitute committees to consider any matter pertaining to its sphere of work;

(xix) To perform all other functions which may be prescribed by the Act, the Statutes or the Ordinances, and to consider all such matters as may be referred to it by the Academic Council or the Vice- Chancellor.

** Amended by the Executive Council vide item EC 12.7. at its12th meeting held on 06.01.2014*

*** Amended by the Executive Council vide item EC 15.25 at its 15th meeting held on 19.09.2015*

Meetings of the Board:

(i) Meetings of a School Board shall either be ordinary or special.

(ii) Ordinarily meetings shall be held at least once in a Semester.

(iii) Special meetings may be called by the Dean of the School at his / her own initiative or shall be called at the suggestion of the Vice-Chancellor or on a written request from at least 50% of the members of the Board. No item other than those notified earlier shall be discussed at the special meeting. All members who have requested for the Special meetings will have to be present for the meeting.

(iv) Notice for a meeting of the Board, other than a special meeting, shall ordinarily be issued at least 10 days before the day fixed for the meeting.

(v) The quorum for a meeting of the Board shall be 50% of its members.

(vi) The rules of the conduct of meetings of the Board shall be prescribed by the regulations.

ORDINANCE 12

Duties of the Departments/Centres of the University

{Section 28(1)(o) of the Central Universities Act, 2009}

(Approved by the Executive Council at its second meeting held on 26.06.2010)

1. In terms of the Provisions of Statute 15(b) of the 1st Statutes contained in Second Schedule of the Act, each Department/Centre shall consist of the following members: -
   (i) Teachers of the Department/Centre
   (ii) Persons conducting research in the Department/Centre
   (iii) Dean of the School
   (iv) Honorary Professors, if any, attached to the Department/Centre and
   (v) Such other persons as may be members of the Department/Centre in accordance with the Provisions of the Ordinances.
2. The duties of a Department/Centre shall be;
   i) to recommend to the Board of the School concerned, names of examiners and moderators in respect of the subjects dealt with by the Department/Centre.
   ii) to recommend application of candidates for admission to the research degree along with details of the courses to be assigned to the candidates and the names of the teachers of the Department/Centre to be appointed as supervisors.
   iii) to recommend the pattern and schedule for evaluation of sessional for each course offered by the Department/Centre.
   iv) to allocate teaching work to the teachers and frame the time table in accordance with the general time table of the School concerned and the University.
   v) to make proposals to the Competent authority regarding projects to be taken up by the members of the Department either individually or in groups.
   vi) to recommend to the Board of Studies concerned, syllabi and courses of studies.
   vii) to recommend text – books for the Courses of studies.
   viii) to perform such other functions as may be assigned to it by the School concerned.

ORDINANCE 13

Powers and Functions of the Heads of Departments / Centres

{Section 28(1)(o) of the Central Universities Act, 2009}

(Approved by the Executive Council at its second meeting held on 26.06.2010)

1. The Head of the Department/ Centre shall be appointed by the Vice -Chancellor from amongst the Professors in the Department/Centre concerned by rotation in order of seniority. In case there is no Professor in the Department/Centre, the Head shall be appointed from amongst the Associate Professors of the Department by rotation in order of seniority till a Professor is appointed in the Department. Provided also that if there is no Associate Professor in a Department, the Vice Chancellor may order the Dean of the School concerned or one of the Heads of the Departments in the School to act as the Head of the Department.

2. The tenure of the Head of the Department/Centre shall be three years or till he/she attains the age of superannuation, whichever be earlier and shall be eligible for re-appointment.
3. The Head of the Department/Centre shall be empowered to convene the meeting of the Board of Studies as and when required.
4. The Head of the Department/Centre shall under the general supervision of the Dean:
   (i) Organize the teaching and research work in the Department/Centre;
   (ii) Frame the time table in conformity with the allocation of the teaching work made by the Department/Centre;
   (iii) Maintain discipline in the class rooms and laboratories through the teachers;
   (iv) Assign to the teachers in the Department/Centre such duties as may be necessary for the proper functioning of the Department/Centre; and assign work to and exercise control over the non-teaching staff in the Department/Centre; and
   (v) Perform such other functions as may be assigned to him by the Dean, the Board of the School concerned, the Academic Council and the Vice-Chancellor.

ORDINANCE 14

Award of Scholarships to the students of the University

(*Section 6(1) (xii), 28(1)f & Statute 12 (2) (xvii) of the Central Universities Act, 2009*)

(Approved by the Executive Council at its third meeting held on 11.12.2010)

1. The University shall institute scholarships in every academic programme to be awarded to the students of the University.
2. Scholarships shall be open for award to fulltime regular students of the University registered for Undergraduate/Postgraduate/Research programmes of study. The scholarship shall be restricted to the two meritorious students (*to be determined on the basis of their end semester result*) in every semester of UG/PG programme. For the first semester, the two meritorious students will be selected on the basis of their overall performance in the entrance test. All research scholars registered with the University shall be eligible for the scholarships as per UGC norms.
3. A scholarship shall be tenable for the minimum prescribed duration of the programme of study concerned for which a student has been registered.
4. The value of the scholarship shall be determined by the University from time to time.

ORDINANCE 15

(Act Section 28(o); Statute 2(6) (iii))

(Approved by the Executive Council at its third meeting held on 11.12.2010)

Emoluments, terms and conditions of service of the Vice-Chancellor

The Vice Chancellor shall be entitled to salary and other benefits as follows :

1) Pay: As notified by the University Grants Commission / Central Government from time to time.
2) Dearness and other /Allowances: As notified by the Central Government from time to time other than House Rent Allowance.
3) The Vice Chancellor shall be entitled to such terminal benefits and allowances as fixed by the Central government from time to time.
4) The Vice Chancellor shall be entitled to leave travel Concession as notified by the Central Government in favour of its officers in equivalent position.

5) The Vice Chancellor shall be entitled to the reimbursement of medical expenses incurred on the medical treatment of himself and his family members as per the rules applicable in the University.

6) The Vice Chancellor shall be entitled to the reimbursement of the expenses on account of T.A., D.A. for himself/herself and his/her family members from his home town to University Campus and back on his/ her assuming office and relinquishing it on the expiry of his/her tenure.

7) The Vice Chancellor shall be entitled to receive Travelling Allowance at the rates as applicable to equivalent positions in the Central Government.

8) Leave:

(a) The Vice Chancellor shall, during the tenure of his office, be entitled to leave on Full Pay at the rate of 30 days in the calendar year. The Leave shall be credited to his account in advance in two half yearly installments of 15 days each on the first day of January and the first day of July every year.

Provided that if the Vice Chancellor assumes or relinquishes the charge of the Office of the Vice Chancellor during the currency of half year, the leave shall be credited proportionately at the rate of 2 ½ days for each completed months of service.

(b) The Leave at the credit of the Vice Chancellor at the close of the previous half year shall be carried forward to the new half year, subject to the condition that the Leave, so carried forward plus the credit for that half year, does not exceed the maximum limit of 300 days.

(c) The Vice Chancellor, on relinquishing the charge of his/her office, shall be entitled for the number of days equivalent of the leave Salary admissible for the number of days of Leave on Full Pay due to him at the time of his relinquishing of charge, subject to a maximum of 300 days, including encashment benefit availed of elsewhere.

(d) The Vice Chancellor shall also be entitled to Half Pay Leave at the rate of 20 days for each completed year of service. The Half-Pay Leave may also be availed of as commuted Leave on production of Medical certificate, provided that when such commuted leave is availed, twice the amount of Half-Pay Leave shall be debited against the Half-Pay Leave due.

(e) The Vice Chancellor shall also be entitled to avail himself of Extra-Ordinary Leave without pay for a maximum period of three months during the full term of five year on medical grounds or otherwise.

(a) In case the Vice Chancellor is appointed for further term, the leave period mentioned above, shall apply separately to each term.

(b) During the period of such Leave, the Vice Chancellor shall be entitled to the same Salary, Honorarium and Allowances and such other facilities of services as may have been provided.

(c) In the case of any absence of the Vice Chancellor occasioned by any call by the Central or State Government, Public Service, or on Deputation on behalf of the University for any public purpose, the period, so spent shall be treated on duty.

(d) Where an employee of the University is appointed as the Vice Chancellor, he/she shall be allowed to avail himself of any Leave at his credit before his/her appointment as the Vice Chancellor. Similarly, on his/her relinquishing the post of the Vice Chancellor and in event of his/her re-joining his/her old post, he /she shall be entitled to carry back the Leave at his/her credit to the new post.

Further he / she may be allowed to contribute to any provident fund of which he / she is a member and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund at the same rate at which the person had been contributing immediately before his / her appointment as Vice Chancellor.

9. If a person, employed in another institution, is appointed the Vice Chancellor on Deputation, he/she shall be entitled to Salary, Allowances, Leave and leave Salary as per deputation Rules of the institution to which he/she was entitled prior to his/her appointment as the Vice Chancellor and till he/she continues to hold his/her lien on this post. The University shall also pay Leave Salary,

Provident Fund, Pension Contributions to the Institution, where he/she permanently employed, as admissible under the Rules.

10. Amenities:

1) The Vice Chancellor shall be entitled to have water, power and rent free furnished residential accommodation with such furniture, as may be approved by the University. The premises of his/her lodging will be maintained by the University.

2) The Vice Chancellor shall be entitled to the facility of a free official car. He shall also be entitled to free telephone (with STD and ISD) service at his/her residence.

3) The Vice Chancellor shall be entitled to one cook, an attendant and a bearer at his/her residence.

ORDINANCE 16

Emoluments, terms and conditions of service of the Pro-Vice Chancellor

(Act Section 28(o); Statute 4(3))

(Approved by the Executive Council at its third meeting held on 11.12.2010)

The Pro Vice Chancellor shall receive a salary as follows:

1) Pay : As notified by the Central Government from time to time.

2) Dearness and other / Allowances : As fixed by the Central Government from time to time

Where an employee of this university or any other Institution is appointed as Pro Vice Chancellor, he/she shall continue to be governed by the same retirement benefit scheme, (namely general Provident Fund/ Contributory Provident Fund/ Pension / Gratuity) to which he was entitled prior to his appointment as Pro Vice Chancellor, and till he/she continues to hold his/her lien on that post.

3) The Pro Vice Chancellor shall be entitled to the reimbursement of medical expenses incurred on the medical treatment of himself and his family members as per the rules applicable in the University.

4) The Pro Vice Chancellor shall be entitled to the reimbursement of the expenses on account of T.A., D.A. for himself/herself and his/her family members from home town to University Campus and back on his/ her assuming office and relinquishing it on the expiry of his/her tenure.

5) The Pro Vice Chancellor shall be entitled to receive Travelling Allowance at the rates as applicable to equivalent positions in the Central Government.

6) The Pro Vice Chancellor shall be entitled to have water, power and rent free furnished residential accommodation. The premises of his/her lodging will be maintained by the University.

7) The Pro Vice Chancellor shall be entitled to the facility of a staff car for journey performed between Office and his/her Residence. He shall also be entitled to free telephone service (with STD service) at his/her residence.

8) The Pro Vice Chancellor shall be entitled to one cook, an attendant and a bearer at his/her residence.

9) Leave:

a. The Pro Vice Chancellor shall be entitled to leave on Full Pay at the rate of 30 days in the calendar year. The Leave shall be credited to his/her account in advance in two half yearly installments of 15 days each on the first day of January and the first day of July every year.

Provided that if the Pro Vice Chancellor assumes or relinquishes the charge of the Office of the Pro Vice Chancellor during the currency of half year, the leave shall be credited proportionately at the rate of 2 ½ days for each completed month of service.

b. The Leave at the credit of the Pro Vice Chancellor at the close of the previous half year shall be carried forward to the new half year, subject to the condition that the Leave, so carried forward plus the credit for that half year, does not exceed the maximum limit of 300 days.

c. The Pro Vice Chancellor, on relinquishing the charge of his/her office, shall be entitled to receive a sum equivalent of the Leave Salary admissible for the number of days of Leave on Full Pay due to him at the time of his relinquishing of charge, subject to a maximum of 300 days, including encashment benefit availed of elsewhere.

d. The Pro Vice Chancellor shall also be entitled to Half Pay Leave at the rate of 20 days for each completed year of service. The Half-Pay Leave may also be availed of as commuted Leave on production of Medical certificate, provided that when such commuted leave is availed of is availed, twice the amount of Half-Pay Leave shall be debited against the Half-Pay Leave due.

e. In case the Pro Vice Chancellor is appointed for further term, the leave period mentioned above, shall apply separately to each term.

f. During the period of such Leave, the Pro Vice Chancellor shall be entitled to the same Salary, Honorarium and Allowances and such other facilities of services as many have been provided.

g. In the case of any absence of the Pro Vice Chancellor occasioned by any call by the Central or State Government, Public Service, or on Deputation on behalf of the University for any public purpose, the period, so spent shall be treated as on duty.

h. Where an employee of the University is appointed as the Vice Chancellor, he/she shall be allowed to avail himself of any Leave at his credit before his/her appointment as the Vice Chancellor. Similarly, on his/her relinquishing the post of the Vice Chancellor and in event of his/her re-joining his/her old post, he /she shall be entitled to carry back the Leave at his/her credit to the new post.

   Further he / she may be allowed to contribute to any provident fund of which he/she is a member and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund at the same rate at which the person had been contributing immediately before his / her appointment as Vice Chancellor.

i. If a person, employed in another institution, is appointed the Pro Vice Chancellor on Deputation, he/she shall be entitled to Salary, Allowances, Leave and leave Salary as per deputation Rules of the institution to which he/she was entitled prior to his/her appointment as the Pro Vice Chancellor and till he/she continues to hold his/her lien on this post. The University shall also pay Leave Salary, Provident Fund, and Pension Contributions to the Institution, where he/she permanently employed, as admissible under the Rules.

ORDINANCE 17

Emoluments, terms and conditions of service of the Registrar

(Act Section 28(o); Statute 6(3))

(Approved by the Executive Council at its third meeting held on 11.12.2010)

1. The Registrar shall be appointed on the basis of direct recruitment for tenure of five years which can be renewed for a similar term by the Executive Council and shall be placed in the scale of pay as recommended by the University Grants Commission and adopted by the Executive Council from time to time.

2. The terms and conditions of service of the Registrar shall be such as prescribed for other non vacational employees of the University.

3. If the services of the Registrar are borrowed from Government or any other organization / Institution, the terms and conditions of his/her service shall be governed by the Deputation Rules of the Government of India.

4. A Registrar on Deputation may be repatriated earlier than the stipulated period by the Executive Council on the recommendations of the Vice Chancellor.
5. The Registrar shall be entitled to a rent, water, power, free unfurnished residential accommodation as also a free telephone service (with STD facility) at his/her residence. The Registrar shall also be entitled to the services of an attendant/bearer at his/her residence.
6. The Registrar shall be entitled to such Leave, Allowances, Provident Fund and other, terminal benefits as prescribed by the University from time to time for its non-vacational staff.
7. The Registrar shall be entitled to the facility of staff car between the Office and his/her residence.

ORDINANCE 18

Emoluments, terms and conditions of service of the Finance Officer

(Act Section 28(o); Statute 7(3))

(Approved by the Executive Council at its third meeting held on 11.12.2010)

1. The Finance Officer shall be appointed on the basis of direct recruitment for tenure of five years which can be renewed for a similar term by the Executive Council and shall be placed in the scale of pay as recommended by the University Grants Commission and adopted by the Executive Council from time to time.
2. The terms and conditions of service of the Finance Officer shall be such as prescribed for other non vacational employees of the University.
3. If the services of the Finance Officer are borrowed from Government or any other organization/ Institution, the terms and conditions of his/her service shall be governed by the Deputation Rules of the Government of India.
4. A Finance Officer on Deputation may be repatriated earlier than the stipulated period by the Executive Council on the recommendations of the Vice Chancellor.
5. The Finance Officer shall be entitled to a rent, water, power, free unfurnished residential accommodation as also a free telephone service (with STD facility) at his/her residence. The Finance Officer shall also be entitled to the services of an attendant/bearer at his/her residence.
6. The Finance Officer shall be entitled to such Leave, Allowances, Provident Fund and other, terminal benefits as prescribed by the University from time to time for its non-vacational staff.
7. The Finance Officer shall be entitled to the facility of staff car between the Office and his/her residence.

ORDINANCE 20

Five Year Integrated B.A. LLB Degree Course

{Sub – section (1) (b) of Section 28}of the Central Universities Act, 2009

(Approved by the Executive Council at its 4th meeting held on 02.07.2011)

1. **TITLE & COMMENCEMENT**

(a) This ordinance shall be called the ordinance for the award of Five Year Integrated B.A L.L.B Programme.

(b) Subject to the overall control of the Academic Council, the programme shall be governed by the guidelines prescribed by the Bar Council of India and administered by the concerned School Board

(c) The ordinance shall come into force from the Academic Session 2011.

2. **DURATION**

(a) The Integrated B.A. L.L.B. Degree Programme under the University shall be full time course of study spread over a period of five academic years. Each academic year shall comprise of two semesters.

(b) *The minimum duration for completion of said Programme shall be 10 semesters (5 Academic Years) and the maximum duration 16 semesters (8 Academic Years).

(c) A semester or a year may be declared as Zero Semester/Year in case a student who could not continue with the programme during that period due to illness and hospitalization or due to accepting a foreign scholarship/fellowship subject to the fulfillment of the requirements as laid down by the relevant rules. Such zero semester/year shall not be counted for calculation of the duration.

3. **ELIGIBILITY**

**A candidate seeking admission into the programme must have passed the 10+2 examination in any stream from recognized Board/University securing at least 50% marks (*relaxable by 5% in case of SC /ST candidates*).

4. **ADMISSION**

Admission to B.A. L.L.B. Programme shall be made to the First Semester only on the basis of the following procedure :

(i) An entrance test to be conducted each year by the University, subject to the fulfillment of all other criteria as specified in the Act, Statues and Ordinances of the University in the manner prescribed by the University and on this basis merit list will be drawn. Admission will be made according to the merit list.

(ii) The standards of admission test will be Class 12 (*10+2 System*) of the Board/CBSE or its equivalent.

(iii) Reservation of seats for the candidates belonging to SC's, ST's, and OBC's and also for Differently abled candidates shall be in accordance with the Government of India Rules and guidelines of UGC.

5. **NUMBER OF SEATS**

The total number of seats shall be 50 or as approved by the statutory bodies of the University.

6. **PROGRAMME STRUCTURE**

(a) University shall follow Choice Based Credit System (CBCS) in Integrated B.A L.L.B Programme. During the programme, the student shall have to take Core, Elective, Supportive (*Soft Skill/ Life Skill*) and Socially Orientated course. Whereas the core and elective courses will be offered by the department offering the programme, the Supportive and Socially Orientation

** Amended by the Executive Council vide item EC 12.7 at its12th meeting held on 06.01.2014*

*** Amended by the Executive Council vide item EC 15.24 at its 15th meeting held on 19.09.2015*

courses may be offered either in the same or other Department(s) of the University. Students may be offered choice in Elective, Supportive and Social Orientation Courses.

(b) Subject to the approval of the Academic Council, the syllabus for the courses and the methodology and instructional designs to be used shall be prepared/prescribed and published by the respective School Boards.

7. **ATTENDANCE**

(a) A candidate to be eligible to appear in the Continuous Internal Assessment/End Semester Examination of a course or a complete semester shall have to put in a minimum of 75% attendance in that course/semester in addition to satisfying all other relevant conditions laid down in the Regulations.

(b) Provided in exceptional cases, the Dean of the School, on the recommendations of the HOD concerned, shall condone the shortage of attendance to a maximum of 5% if the claim is justified and supported by valid documents.

(c) Condonation of shortage of more than 5% & up to 10% may be recommended by the Dean of the School to the Vice Chancellor with full justification whose decision shall be final.

(d) *However, no student shall be allowed to avail of the concession provided under Clause b & c in more than 50% of the total semesters of the programme.

(e) *The teacher concerned shall be responsible for maintaining the record of attendance of the students registered for the course

8. **EXAMINATION & EVALUATION**

(a) A student shall be continuously evaluated for his/her academic performance in a course through Continuous Internal Assessment (CIA) [*tutorials, practicals, home assignments, class assignment, term papers, field work, seminars, periodical tests etc.*] and End Semester Examination, as prescribed in the examination scheme of the respective course duly approved by the authority concerned. The distribution of marks for specialized papers like ***Clinical Courses*** and ***Project Work*** shall be prescribed by the concerned School Board.

(b) The distribution of weightage for each component of assessment shall be decided by the School Board concerned and announced by the Head of the Department before the start of the semester.

(c) Unless provided otherwise the marks distribution for theory courses shall be as under :

End Semester Examination (ESE)	**:**	**60 Marks**
Continuous Internal Assessment (CIA)	**:**	**35 Marks**
Attendance*	**:**	**05 Marks**

(d) Unless provided, otherwise, the breakup of Continuous Internal Assessment (CIA) shall be as follows

Best of 2 out of 3 Tests/ Legal Assignments	:	20 Marks
Assignments/Term Paper	:	05 Marks
Seminars/Presentations/External Viva	:	10 Marks
		35 Marks

*Marks break-up for Attendance

Upto 75%	:	No Marks
76% to 80%	:	1 Mark
81% to 85%	:	2 Marks
86% to 90%	:	3 Marks
91% to 95%	:	4 Marks

** Amended by the Executive Council vide item EC 12.7 at its12th meeting held on 06.01.2014*

96% to 100% : 5 Marks

(e) The continuous internal assessment shall be conducted by the teacher concerned under the overall supervision of the HOD and Dean of the School. The Head of the Department shall report the award list of CIA in respect of all courses to the Controller of Examination through the Dean.

(f) In case of a student who could not appear in any of the components of the CIA due to medical reasons or for extraordinary circumstances(supported by documentary evidence), a separate examination in that component may be arranged by the Department concerned before the end semester examination.

(g) To be eligible to appear in the End Semester Examination of a course the student shall have to clear the CIA with a minimum of 50% marks. The minimum pass percentage for the end semester examination is also 50%.

(h) A candidate shall be deemed to have completed his/her courses successfully if he/she obtains at least 50% marks in each of the theory / practical course, and 50% marks in aggregate (Internal Assessment and End-semester evaluation) or 'B' Grade, measured on the following six point scale*.

Marks	Grade Point	Letter Grade	Class
75-100	4.50-6.00	O	Outstanding
65-<75	3.90-<4.50	A+	High First
60-<65	3.60-<3.90	A	First
55-<60	3.30-<3.60	B+	High Second
50-<55	3.00-<3.30	B	Second
00-<50	0.00-<3.00	F	Fail

(i) The multiplication factor of 0.06 shall be applied in calculating the exact Grade Point.

(j) The details of the practical training (Moot Court etc.) to be imparted as per the syllabus and the dates for the same will be notified by the HOD from time to time.

9. **PROMOTION TO THE NEXT SEMESTER**

(a) A student shall have to pass at least 50% of the courses in a semester for being eligible for promotion to the next semester subject to the condition that at any time the total backlogs for all the previous semesters does not exceed 10.

(b) *If a student fails in less than 50 % of prescribed courses of a semester or falls short of attendance in a course he/she shall be allowed to appear in that course(s) as ex-student during the End-Semester Examination of the corresponding semester with the regular students. No separate/supplementary examination shall be arranged for such students. However, the Vice Chancellor may authorize special examination (CIA/ESE) for students who have total of up to 4 backlogs after the declaration of last semester result. The marks of all internal assessment as applicable shall however, be carried forward in such cases.

(c) A student found not eligible to appear in the End- Semester examination of a Semester of the programme due to shortage of attendance or those who fail in more than 50% of the prescribed courses in any Semester shall be required to repeat and take readmission in respective semester of the programme in the following academic year as a regular student.

(d) **A student after declaration of his/her results can request for providing of photocopies of answer sheets of End Semester Examinations within a period of 7 days on the prescribed format and on payment of prescribed fees.

(e) *Provisions for reevaluation-:

(i) In case a student is not satisfied with the End Semester evaluation, he/she can apply for reevaluation on payment of prescribed fee within a period of 15 days after the declaration of the results.

** Amended by the Executive Council vide item EC 12.7 at its 12th meeting held on 06.01.2014*

(ii) After the award of reevaluation is received, average of the scores given by the evaluator and the reevaluator shall be taken.

(iii) In case the difference of marks given by the 1st evaluator and the 2nd evaluator is more than 20%, the answer script will be sent to the 3rd evaluator for evaluation and the result shall be compiled by taking average of marks of all the three evaluators.

10. **APPEARANCE & IMPROVEMENT**

(a) *A student with a backlog can repeat End Semester Examinations of a course for a maximum of three chances, excluding the 1st appearance, in the subsequent regular End Semester Examinations without putting in any additional attendance. The internal assessments marks obtained by the student shall be carried over for declaring the result.

(b) Students who have passed in a theory course/courses shall be allowed to repeat a maximum of 10 courses within 02 years of completing the Integrated B.A., LLB Degree along with the regular students. No separate / supplementary examination shall be arranged for such students.

(c) If the candidate improves his/her marks, then the improved marks shall be taken into account for working out his revised award and a revised grade card shall be issued to him/her on surrender of the earlier grade card. Such improved marks will not be counted for the award of Prizes/Medals, Rank and Distinction. If the candidate does not show improvement in the marks, his/her previous marks will continue to be taken into account.

(d) No candidate will be allowed to improve marks in Clinical Courses, Practical, Project, Viva-voce Field Work.

11. **ELIGIBILITY FOR THE AWARD OF THE DEGREE**

(a) The award of Marks Sheet and Degree shall be governed by the relevant ordinance of the University.

(b) A candidate shall have to clear all the prescribed courses within 07 years from the date of admission in first semester in order to obtain the B.A, L.L.B. Degree.

** Amended by the Executive Council vide item EC 12.7 at its 12th meeting held on 06.01.2014*

ORDINANCE 22

DISCIPLINE OF STUDENTS OF THE UNIVERSITY

{Section 6 [1 (xxii)], Statute14 (d) of Schedule II of the Central Universities Act, 2009}

(Approved by the Executive Council at its 4th meeting held on 02.07.2011)

1. **TITLE AND COMMENCEMENT**

1.1 This Ordinance shall be called the Ordinance for the Discipline of Students of the University and shall be applicable to all the students of the University

1.2 This Ordinance shall come into force from the Academic Session 2011 onwards

2. **DISCIPLINE**

2.1 Discipline includes the observance of good conduct and orderly behaviour by the students of the University

2.2 The following and such other rules as framed by the University from time to time, shall strictly be observed by the students of the University

(a) Every student of the University shall maintain discipline and consider it his/her duty to behave decently at all places

(b) No student shall visit the places or areas declared by University as "OUT OF BOUNDS" for the students

(c) Every student shall always carry his/her Identity Card issued by the competent authority.

(d) Every student who has been issued the Identity Card, shall have to produce or surrender the Identity Card, as and when required by the University.

(e) Any student found guilty of impersonation or of giving a false name shall be liable to disciplinary action.

3. **INDISCIPLINE**

Any of the following acts shall be considered as Indiscipline:

3.1 Causing disturbance to a Class, or the Office or the Library, the auditorium, the Play Ground etc.

3.2 Dis-obeying the instructions of teachers or the authorities.

3.3 Misconduct or misbehaviour of any nature at the time of elections to the student bodies or at meetings or during curricular or extra-curricular activities of the University

3.4 Misconduct or misbehaviour of any nature at the Examination Centre.

3.5 Misconduct or misbehaviour of any nature towards a teacher or any employee of the University or any Visitor to the University.

3.6 Causing damage, spoiling or dis-figuring to the property/equipment of the University.

3.7 Inciting any other person to do any of the aforesaid acts.

3.8 Giving publicity to misleading accounts or rumours amongst the students.

3.9 Mischief, misbehaviour and or nuisance committed by the residents of the hostels.

3.10 Visiting places or areas declared as "OUT OF BOUNDS" for the students.

3.11 Refusing to produce or surrender the Identity Card as and when required by the Proctorial and other staff of the University.

3.12 Any act of sexual harassment

3.13 Any act of ragging

3.14 Any act of discrimination on the basis of caste, category, residence, religion or race

3.15 Engaging in unlawful activities that includes membership of banned organizations, organizing meetings and processions without due permission of the competent authorities.

3.16 Any other conduct which is considered to be unbecoming of a student.

4. **POWER TO TAKE DISCIPLINARY ACTION**

All powers relating to discipline and disciplinary action in relation to students of the university shall vest in the vice-chancellor. However, the Vice chancellor may delegate all or any of his powers as he deems proper to the Discipline Committee or any functionary of the University.

5. **DISCIPLINE COMMITTEE**

5.1 There shall be a Discipline Committee to be constituted by the Vice-Chancellor which shall perform such functions and exercise such powers as may be delegated to it by the Vice Chancellor from time to time. Unless provided otherwise, the Discipline Committee shall comprise of the following members :

(i) Vice Chancellor's Nominee

(ii) Dean Student Welfare

(iii)Deans of Schools

(iv)Warden, who shall be invited, when the matter concerning his/her Hall of Residence is required to be placed before the committee for consideration

(v) Proctor (Member/Secretary)

5.2 The said committee shall, make such RULES as it deems fit for the performance of its functions and these Rules and any other Orders under them shall be binding on all the students of the University.

5.3 Any appeal against the decision of the Vice Chancellor will be dealt in accordance with the provisions of Section 34 of the Central Universities Act, 2009.

5.4 One third of the total members shall constitute the quorum for a meeting of the said committee.

5.5 A student would come within the disciplinary jurisdiction of the University at the time of his/her indulging in activities as stipulated at *clause 3*and he/she shall be subject to any penalty that may be imposed by the Competent Authority of the University for having committed such in disciplinary act.

5.6 The Discipline Committee may inflict the following punishment(s) :

(i) Suspension

(ii) Expulsion

(iii) Rustication for a specified period

(iv) Denial of admission to courses of study in the University

(v) Denial of admission to the hostel maintained by the University

(vi) Withdrawal of scholarship or Free-ship

(vii) Fine for an amount to be specified by order or any other amount which the competent authority deems fit and proper in the circumstances of the case.

Provided that the Discipline Committee shall not inflict any such punishment before satisfying themselves fully and giving the student(s) an adequate opportunity of being heard and considering such representation as may be made on behalf of the student(s). This shall not, however, preclude the Vice Chancellor from suspending an erring student during the pendency of disciplinary proceedings against him /her.

6 **PROHIBITION OF AND PUNISHMENT FOR RAGGING**

6.1 Ragging for the purposes of this Ordinance, ordinarily means any act, conduct or practice by which dominant power or status of senior students is brought to bear on students freshly enrolled or students who are in any way considered junior or inferior by other students and includes individual or collective acts or practices that -

a) involve physical assault or threat to use of physical force;

b) violate the status, dignity and honour of women students;

c) violate the status, dignity and honour of students belonging to the scheduled castes and tribes;

d) expose students to ridicule and contempt and affect their self-esteem;

e) entail verbal abuse and aggression, indecent gestures and obscene behavior

6.2 Any individual or collective act or practice of ragging constitutes gross indiscipline and shall be dealt with under this Ordinance.

6.3 Ragging in any form is strictly prohibited, within the premises of the University Departments or Hostels and any segment of the University as well as on public transport.

6.4 The Head of the Department of the University or warden/In-charge of the University hostel shall take immediate action on any information of the occurrence of ragging and submit a report on the incident to the Vice-Chancellor.

6.5 The concerned authority mentioned in clause 6.4 above may also conduct suo moto enquiry into any incident of ragging and make a report to the Vice-Chancellor of the identity of those who have allegedly engaged in ragging and the nature of the incident.

6.6 If Head of the Department or Warden/In-charge of University hostel is satisfied that for some reason, to be recorded in writing, it is not reasonably practical to hold such an enquiry, he/she may so advise the Vice-Chancellor accordingly.

6.7 When the Vice-Chancellor is satisfied that it is not expedient to hold such an enquiry, he may take a decision based on the available facts and circumstances and his decision shall be final.

6.8 On the receipt of a report under Clause 6.4 or 6.5 or a determination by the relevant authority under Clause 6.6 disclosing the occurrence of ragging incidents described in Clause (6.1), the Vice Chancellor may direct or order rustication of a student or students for a specific number of semesters/years.

6.9 The Vice-Chancellor may in other cases of ragging order or direct that any student or students be expelled or be not admitted for a stated period to a course of study in a departmental examination for one or more years or that the results of the student or students concerned in the examination or examinations in which they appeared be cancelled.

6.10 In case any students who have obtained degrees of Central University of Kashmir are found guilty under this Ordinance appropriate action for withdrawal of degrees conferred by the University may be initiated.

6.11 For the purpose of this Ordinance, abetment to ragging whether by way of any act, practice or incitement of ragging will also amount to ragging.

All disciplinary action in relation to the students of the University shall be taken in accordance with the procedure outlined in the Act and Regulations made from time to time.

ORDINANCE 23

CONVOCATION FOR CONFERRING DEGREES

{ Section 28 1(O) of the Central Universities Act, 2009}

(Approved by the Executive Council at its 6th meeting held on 22.04.2012

1. **ANNUAL CONVOCATION**

1.1 Convocation for the purpose of conferring Degrees shall be held on such date and place as may be fixed by the Vice Chancellor with prior approval of the Visitor.

1.2 The convocation shall consist of the body corporate of the University.

1.3 The Chancellor shall, preside over the convocations of the University held for conferring degrees. However, in absence of the Chancellor, the Vice- Chancellor shall, preside over the convocations held for conferring degrees.*

2. **SPECIAL CONVOCATION**

A special convocation may be held at such time as may be decided by the Executive Council for the purpose of conferring Honorary Degrees in accordance with the procedure or for the purpose of conferring other Degrees under special circumstances on the recommendations of the Academic Council.

3. **NOTICE**

3.1 Not less than four weeks notice shall be given by the Registrar for meetings of the relevant statutory authorities for the convocation.

3.2 The officer concerned shall, with the notice, issue to each member of the convocation, a programme of the procedure to be observed thereat.

4. **ADMISSION TO CONVOCATION**

4.1 The candidates who have passed their examinations in the years since the last convocation shall be eligible to be admitted to the convocation.

4.2 Provided also that in case the convocation could not be held in a particular year, the Vice Chancellor shall be competent to admit candidates to the respective degrees without waiting for formal convocation but on payment of prescribed fees.

4.3 Such recipients of degree shall, however sign the usual exhortation which they are required to do while convocation ceremony is normally held.

4.4 Provided also that in case the convocation is not held in a particular year, the Vice Chancellor shall be competent to authorize admission of all those eligible candidates, who so wish to obtain their degrees through a convocation, to the next convocation and confer on them the respective degrees on payment of the prescribed fees.

4.5 Provided further that those who wish to obtain their degrees in absentia when convocation is held regularly, may also do so after payment of usual fees.

4.6 Provided further that the Vice Chancellor on convincing grounds may authorize the admission of eligible candidate(s) to a degree without waiting for formal convocation and he/she shall be awarded the degree on payment of prescribed fee

5. **APPLICATION**

5.1 A candidate for the Degree must submit to the Controller of Examination his/her application on or before the date prescribed for the purpose for admission to the Degree at the convocation in person along with the prescribed fee.

5.2 Such candidates who are unable to present themselves in person at the convocation shall be admitted to the Degree in absentia by the Visitor/Vice Chancellor and their Degree shall be given by the Controller of Examinations on application and payment of the prescribed fee.

6. **FEES**

The Fees for admission to the Degree at the convocation in person and in absentia shall be fixed by the University from time to time.

** Amended by the Vice-Chancellor vide NP 3 F.No. CUKmr/Acad/Mod-Ord/12/42*

7. **HONORARY DEGREES**

7.1 Honorary Degree shall be conferred at convocation/special convocation and may be taken in person or in absentia.

7.2 The presentation of the persons at the convocation on whom Honorary Degrees are to be conferred shall be made by the Vice Chancellor or by a person nominated by him.

8. **ACADEMIC DRESS**

Candidates at the convocation shall wear Academic Dress (Gowns) appropriate to their respective degrees as specified by the University. No candidate shall be admitted to the convocation who is not in proper Academic Dress as prescribed by the University.

9. **CONVOCATION PROCEDURE**

The convocation procedure shall be laid down in the Regulations.

ORDINANCE 24
Emoluments, terms and conditions of service of the Controller of Examinations

(Act Section 28(o); Statute 8(3))

(Approved by the Executive Council at its 11th meeting held on 09.11.2013)

1. The Controller of Examinations shall be appointed on the basis of direct recruitment for tenure of five years which can be renewed for a similar term by the Executive Council and shall be placed in the scale of pay as recommended by the University Grants Commission and adopted by the Executive Council from time to time.
2. The terms and conditions of service of the Controller of Examinations shall be such as prescribed for other non-vacational employees of the University.
3. If the services of the Controller of Examinations are borrowed from Government or any other organization / Institution, the terms and conditions of his/her service shall be governed by the Deputation Rules of the Government of India.
4. A Controller of Examinations on Deputation may be repatriated earlier than the stipulated period by the Executive Council on the recommendations of the Vice-Chancellor.
5. The Controller of Examinations shall be entitled to unfurnished residential accommodation for which he/she shall pay the prescribed license fees as applicable to the category of the quarter/house. Further, he/she shall also be entitled to free telephone service (with STD facility) at his/her residence.
6. The Controller of Examinations shall be entitled to such Leave, Allowances, Provident Fund and other, terminal benefits as prescribed by the University from time to time for its non-vacational staff.
7. The Controller of Examinations shall be entitled to the facility of staff car between the Office and his/her residence.
8. Subject to the provision of the Act, Statutes and Ordinance, the Controller of Examinations shall perform the duties in regard to the examinations and shall perform such other duties and functions as may be assigned to him from time to time by the Executive Council or Vice-Chancellor.

ORDINANCE 26
Five Year Integrated B.A-M.A & B.Sc-MSc Degree Programme

{Sub – section (1) (b) of Section 28} of the Central Universities Act, 2009

(Adopted by the Executive Council at its 15th meeting held on 19.09.2015)

(a) This ordinance shall be called the ordinance for the award of Five Year Integrated B.A-M.A & B.Sc-MSc Degree Programme

(b) The ordinance shall come into force from the Academic Session 2015.

1. **DURATION**

(a) The Integrated B.A-M.A & B.Sc.-MSc Degree Programme under the University shall be full time course of study spread over a period of five academic years. Each academic year shall comprise of two semesters.

(b) The minimum duration for completion of said Programme shall be 10 semesters (5 Academic Years) and the maximum duration 16 semesters (8 Academic Years).

(c) The student shall have an exit option after three years (6 semesters) to leave the programme and in that case he/she shall be awarded a B.A/BSc Degree in the concerned programme. The programme shall have an option of lateral entry in the 7th semester leading to the award of M.A/Msc Degree.

(d) A semester or a year may be declared as Zero Semester/Year in case a student who could not continue with the programme during that period due to illness and hospitalization or due to accepting a foreign scholarship/fellowship subject to the fulfillment of the requirements as laid down by the relevant rules. Such zero semester/year shall not be counted for calculation of the duration.

2. **ELIGIBILITY**

2.1 A candidate seeking admission into the five year programme must have passed the 10+2 examination in any stream from recognized Board/University securing at least 50% marks (*relaxable by 5% in case of SC/ST candidates*).

2.2 For lateral entry a candidate should have graduation in the relevant subject and have secured at least 50% marks (*relaxable by 5% in case of SC/ST candidates*).

3. **ADMISSION**

3.1 Admission to B.A-M.A & B.Sc-MSc Degree Programme shall be made to the First Semester only on the basis of the following procedure:

(i) An entrance test to be conducted each year by the University, subject to the fulfillment of all other criteria as specified in the Act, Statues and Ordinances of the University in the manner prescribed by the University and on this basis merit list will be drawn. Admission will be made according to the merit list.

(ii) The standards of admission test will be Class 12 (*10+2 System*) of the Board/CBSE or its equivalent.

(iii) Reservation of seats for the candidates belonging to SC's, ST's, and OBC's and also for Differently abled candidates shall be in accordance with the Government of India Rules and guidelines of UGC.

3.2 Admission for the lateral entry shall be made to 7th semester on the following procedure:

(i) An entrance test to be conducted each year by the University, subject to the fulfillment of all other criteria as specified in the Act, Statues and Ordinances of the University in the manner prescribed by the University and on this basis merit list will be drawn. Admission will be made according to the merit list.

(ii) The standards of admission test will be graduation from the recognized university or its equivalent.

(iii) Reservation of seats for the candidates belonging to SC's, ST's, and OBC's and also for Differently abled candidates shall be in accordance with the Government of India Rules and guidelines of UGC.

4. **NUMBER OF SEATS**

4.1 The number of the seats shall be as approved by the statutory bodies of University from time to time.

4.2 The number of seats arising due to the dropouts/ exit candidates shall be filled up through lateral entry in addition to the intake capacity of the programme, on the basis of entrance test or other criteria laid down by the University.

5. **PROGRAMME STRUCTURE**

(A) University shall follow Choice Based Credit System (CBCS) in Integrated B.A-M.A & B.Sc.-MSc Degree Programme. During the programme, the student shall have to take Core, Generic elective, Ability enhancement elective, Skill enhancement elective offered by the departments/other departments.

6. ATTENDANCE

(a) A candidate to be eligible to appear in the Continuous Internal Assessment/End Semester Examination of a course or a complete semester shall have to put in a minimum of 75% attendance in that course/semester in addition to satisfying all other relevant conditions laid down in the Regulations.

(b) Provided in exceptional cases, the Dean of the School, on the recommendations of the HOD concerned, shall condone the shortage of attendance to a maximum of 5% if the claim is justified and supported by valid documents.

(c) Condonation of shortage of more than 5% & up to 10% may be recommended by the Dean of the School to the Vice Chancellor with full justification whose decision shall be final.

(d) However, no student shall be allowed to avail of the concession provided under Clause b & c in more than 50% of the total semesters of the programme.

(e) The teacher concerned shall be responsible for maintaining the record of attendance of the students registered for the course

7. EXAMINATION & EVALUATION

(a) A student shall be continuously evaluated for his/her academic performance in a course through Continuous Internal Assessment (CIA) [*tutorials, practicals, home assignments, class assignment, term papers, field work, seminars, periodical tests etc.*] and End Semester Examination, as prescribed in the examination scheme of the respective course duly approved by the authority concerned. The distribution of weightage for each component of assessment shall be decided by the School Board concerned and announced by the Head of the Department before the start of the semester.

(b) Unless provided otherwise the marks distribution for theory courses shall be as under :

End Semester Examination (ESE)	**:**	**60 Marks**
Continuous Internal Assessment (CIA):		**35 Marks**
Attendance	**:**	**05 Marks**

(c) Unless provided, otherwise, the breakup of Continuous Internal Assessment (CIA) shall be as follows

Best of 2 out of 3 Tests/	:	20 Marks
Assignments/Term Paper	:	05 Marks
Seminars/Presentations/External Viva	:	<u>10 Marks</u>
		<u>35 Marks</u>

Marks break-up for Attendance

Upto 75%	:	No Marks
76% to 80%	:	1 Mark
81% to 85%	:	2 Marks
86% to 90%	:	3 Marks
91% to 95%	:	4 Marks
96% to 100%	:	5 Marks

(d) The continuous internal assessment shall be conducted by the teacher concerned under the overall supervision of the HOD and Dean of the School. The Head of the Department shall report the award list of CIA in respect of all courses to the Controller of Examination through the Dean.

(e) In case of a student who could not appear in any of the components of the CIA due to medical reasons or for extraordinary circumstances(supported by documentary evidence), a separate examination in that component may be arranged by the Department concerned before the end semester examination.

(f) To be eligible to appear in the End Semester Examination of a course the student shall have to clear the CIA with a minimum of 50% marks. The minimum pass percentage for the end semester examination is also 50%.

(g) A candidate shall be deemed to have completed his/her courses successfully if he/she obtains at least 50% marks in each of the theory / practical course, and 50% marks in aggregate (Internal Assessment and End-semester evaluation) or 'B' Grade, measured on the following six point scale*.

Marks	Grade Point	Letter Grade	Class
75-100	4.50-6.00	O	Outstanding
65-<75	3.90-<4.50	A+	High First
60-<65	3.60-<3.90	A	First
55-<60	3.30-<3.60	B+	High Second
50-<55	3.00-<3.30	B	Second
00-<50	0.00-<3.00	F	Fail

(h) The multiplication factor of 0.06 shall be applied in calculating the exact Grade Point.

8. PROMOTION TO THE NEXT SEMESTER

(a) A student shall have to pass at least 50% of the courses in a semester for being eligible for promotion to the next semester subject to the condition that at any time the total backlogs for all the previous semesters does not exceed 10.

(b) *If a student fails in less than 50 % of prescribed courses of a semester or falls short of attendance in a course he/she shall be allowed to appear in that course(s) as ex-student during the End-Semester Examination of the corresponding semester with the regular students. No separate/supplementary examination shall be arranged for such students. However, the Vice Chancellor may authorize special examination (CIA/ESE) for students who have total of up to 4 backlogs after the declaration of last semester result. The marks of all internal assessment as applicable shall however, be carried forward in such cases.

(c) A student found not eligible to appear in the End- Semester examination of a Semester of the programme due to shortage of attendance or those who fail in more than 50% of the prescribed courses in any Semester shall be required to repeat and take readmission in respective semester of the programme in the following academic year as a regular student.

(d) A student after declaration of his/her results can request for providing of photocopies of answer sheets of End Semester Examinations within a period of 7 days on the prescribed format and on payment of prescribed fees.

(e) Provisions for reevaluation-:

(i) In case a student is not satisfied with the End Semester evaluation, he/she can apply for reevaluation on payment of prescribed fee within a period of 15 days after the declaration of the results.

(ii) After the award of reevaluation is received, average of the scores given by the evaluator and the reevaluator shall be taken.

(iii) In case the difference of marks given by the 1st evaluator and the 2nd evaluator is more than 20%, the answer script will be sent to the 3rd evaluator for evaluation and the result shall be compiled by taking average of marks of all the three evaluators.

9. APPEARANCE & IMPROVEMENT

(a) A student with a backlog can repeat End Semester Examinations of a course for a maximum of three chances, excluding the 1st appearance, in the subsequent regular End Semester Examinations without putting in any additional attendance. The internal assessments marks obtained by the student shall be carried over for declaring the result.

(b) If the candidate improves his/her marks, then the improved marks shall be taken into account for working out his revised award and a revised grade card shall be issued to him/her on surrender of the earlier grade card. Such improved marks will not be counted for the award of Prizes/Medals, Rank and Distinction. If the candidate does not show improvement in the marks, his/her previous marks will continue to be taken into account.

10. ELIGIBILITY FOR THE AWARD OF THE DEGREE

(a) The award of Marks Sheet and Degree shall be governed by the relevant ordinance of the University.

(b) A candidate shall have to clear all the prescribed courses within 08 years from the date of admission in first semester in order to obtain the B.A-M.A & B.Sc-MSc Degree Programme.

ORDINANCE 29

Teacher Education Programmes

{Sub – section (1) (b) of Section 28 of the Central Universities Act, 2009}

(Adopted by the Executive Council at its 15th meeting held on 19.09.2015)

1. TITLE AND COMMENCEMENT

1.1 This Ordinance shall be called the Ordinance for the Teacher Education Programme, hereinafter referred as the Programme, and shall be applicable to all the Teacher Education Programmes unless otherwise stated.

1.2 Subject to the overall control of the Academic Council, the programme shall be administered by the Board of School of Education, CUK.

1.3 This Ordinance shall come into force from the Academic Session 2015-2016 (August September).

2. DURATION

2.1 Unless otherwise provided in the statutes governing various programme, the minimum duration for completion of Master’s Degree Programme (M.Ed) shall be 04 semesters (2 Academic Years) and the duration of under graduate programme (B.Ed) shall also be 04 semesters (2 Academic Years). The maximum duration for Master’s Degree Programme (M.Ed) shall be 10 semesters (5 academic years).The maximum duration for under graduate programme (B.Ed) shall be 10 semesters (5 academic years.

2.2 In respect of candidates who had discontinued for a valid reason and are readmitted to the programme by the School, the period for which such candidates had discontinued shall not be counted.

2.3 A semester / year may be declared a zero semester / year in case of a student who could not continue with the programme during that period due to illness and hospitalization or due to accepting a foreign scholarship/ fellowship subject to the fulfilment of requirements as laid down by the relevant rules. Such zero semester /year shall not be counted for calculation of the duration of the programme in case of such a student.

3. NUMBER OF SEATS

The number of seats in each Teacher Education Programme shall be as under:

- M.Ed: 50 (As per the norms of NCTE)
- B.Ed: 100 (As per the norms of NCTE)
- 50 % of seats shall be reserved for in-service teachers of the state Govt, in case of non-availability of the in -service teacher, the seats shall be offered to pre-service candidates.

However, this intake may be enhanced as and when the regulatory bodies approve the same.

4. ADMISSION CRITERIA

4.1 Admission of a candidate to the programme shall be made only in its first semester. He/she shall be promoted to the subsequent semesters of the programme after completing necessary formalities as specified under clause 8.

4.2 Foreign nationals either residing in India or abroad or Indian nationals residing abroad may be admitted to this programme according to the policy guidelines laid down by the Government of India/ statutory authorities of the University from time to time.

4.3 No candidate shall be eligible for admission to the Programme if he/she is already registered for any full time Programme of this University or any other University/Institute. However, those candidates who have completed any full time programme and have appeared in their university examination in this university or elsewhere shall be eligible for teacher education programmes in this university.

4.4 No candidate admitted to this programme shall undertake any employment or join any other course of study before completing the minimum residency period.

5. ELIGIBILITY FOR ADMISSION

5.1 A candidate shall be eligible for admission to Teacher Education Programme as per the following criteria:

M.Ed: Candidates should have passed their B.Ed examination with at least 50 % marks in aggregate for General Category Candidates.

B.Ed: Candidates should have passed their Bachelors Degree with 10+2+3 pattern in any stream with 50% marks for General Category Candidates .

5.2 For SC/ST, Physically Handicapped & Visually Challenged candidates a concession of 5 percent of marks shall be given in the minimum eligibility marks as mentioned at 5.1 above.

5.3 The policy of the Govt. of India and the guidelines of the UGC, regarding the reservation of seats for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, OBCs and also for Differently-abled candidates shall be implemented.

6. PROCEDURE FOR ADMISSION

6.1 As per the Academic Calendar, the University shall invite applications from the eligible candidates for admission to the Programme in each academic session, giving details regarding the academic calendar, number of seats available, eligibility criteria, prescribed fees etc.

6.2 Admission for the Programme shall be advertised in leading newspapers at the national level and also on the University website.

6.3 The admission to the Programme shall be made on the basis of the Entrance test to be conducted by the university as per a schedule to be notified for the purpose or through any such criteria as mentioned in the Admission Rules of a particular programme or as decided by the statutory bodies of the University. The Entrance Test shall be conducted at national level at the designated centres to be decided by the University, depending upon the number of students opting for a centre.

6.4 The selected candidate shall submit the prescribed fee and other relevant documents to the Department concerned within the stipulated time.

7. PROGRAMME STRUCTURE

7.1 University shall follow a Choice Based Credit System (CBCS) in all its Teacher Education Programmes. During the programme a student shall have to take Core, Elective, foundation compulsory, foundation elective, open elective (Skill Enhancement and Ability Enhancement Courses) subject to a minimum of 96 credits unless otherwise stated in the Ordinances of any particular programme. Whereas the Core and Elective Courses will be offered in the Department offering the Programme, the Skill Enhancement and Ability Enhancement Courses may be offered either in the same or other Department(s) of the University. Students may be offered choice in Electives, Skill Enhancement and Ability Enhancement courses.

7.2 Subject to the approval of the Academic Council, the syllabus for the courses and the methodology and instructional designs to be used shall be prepared/prescribed and published by the respective School Boards.

8. REGISTRATION AND PROMOTION TO THE NEXT SEMESTER

8.1 Every student admitted to the programme shall get registered at the beginning of the 1st semester of the programme in the Department/School by completing the necessary formalities.

8.2 A student shall be promoted and permitted to get registered in the next semester provided him/her:

a. Fulfils the requirements of continuous internal assessment/project/practical work.

b. Passes at least 50% of courses in the semester concerned.

8.3 A student found not eligible to appear in the End- Semester Examination of a Semester of the programme due to shortage of attendance or those who fail in more than 50% of the prescribed courses in any Semester shall be required to repeat and take readmission in respective semester of the programme in the following academic year.

8.4 A student shall not be permitted to register himself/herself in a subsequent semester of a programme unless he/she has been a registered student of the immediate earlier semester and has pursued the course of that semester as a regular student.

8.5 In each semester, a last date shall be fixed and notified in the beginning of the semester after which admissions/re-admissions/promotion/registration shall not be ordinarily made.

8.6 Under special circumstances, the students may be allowed late registration by a specified date, by paying a late fee fixed for the purpose, along with the prescribed fees.

9. ATTENDANCE

9.1 A candidate to be eligible to appear in the continuous internal assessment/end semester examination of a course or a complete semester shall have to put in a minimum of 75% attendance in that course/semester in addition to satisfying all other relevant conditions laid down in the Regulations.

9.2 The Dean of School, on the recommendation of the HOD concerned, shall condone the shortage of attendance to a maximum of 5% if the claim is justified and supported by valid documents. In case of odd number of courses, 50% should be interpreted as the next higher number (i.e., 3 in case of 5 courses, 4 in case of 7 courses and so on) for promotion to the next semester. (Ref. Item No.2.8 Second meeting of the Academic Council held on June 20, 2011.)

9.3 The Vice Chancellor, on the recommendation of the HOD and Dean of the Faculty shall condone shortage beyond 5% but only up to 10% for valid reasons (to be supported by documentary evidence).

9.4 However, no student shall be allowed to avail of the concession provided under Clause 9.2 &

9.3 in more than 50% of the total semesters of the programme.

9.5 The teacher concerned shall be responsible for maintaining the record of attendance of the students registered for the course.

10. SUSPENSION/WITHDRAWAL

A student suspended or debarred from attending the classes due to any reason, whatsoever, or having withdrawn from a semester/year on medical grounds or for any other cogent reason, shall have to seek re-admission in the appropriate semester in the next academic session as a regular student. Such students shall have to meet the requirement of 75% attendance in each course in a semester and shall have to complete the programme within its maximum time limit as specified in the Regulations (period of suspension/rustication included).

11. FEES TO BE PAID

The amount and mode of payment of fees payable at the time of admission, registration during subsequent semesters and at the time of examination and refund of fee under special circumstances will be governed by the relevant Ordinances of the University in this regard.

12. MEDIUM OF INSTRUCTION AND EXAMINATION

12.1 The language for the instruction and examination shall be English.

12.2 In cases where the programme pertains to any language other than English, the instruction and examination could be in that language.

13. EXAMINATION AND EVALUATION

13.1 A student shall be continuously evaluated for his/her academic performance in a course through Continuous Internal Assessment (tutorials, practical, home assignments, class assignment, term papers, field work, Seminars, Periodical Tests) and the End-Semester Examination, as prescribed in the examination scheme of the respective course and duly approved by the authority concerned.

13.2 The distribution of weightage for each component of assessment shall be decided by the School Board concerned and announced by the Head of the Department before the start of the semester.

13.3 Unless provided otherwise the marks distribution for each course shall be as under:

End Semester Examination (ESE) : 60% of total Marks

Continuous Internal Assessment (CIA) : 40% of total Marks

13.4 Unless provided otherwise the breakup of Continuous Internal Assessment shall be as below:

- 2 class tests: 20 Marks
- Assignments/Term paper: 05 Marks
- Seminars/Presentations: 10 Marks
- Attendance: 05 Marks

(40 Marks)

Marks break-up for Attendance

Below 75 %	:	No marks
76% to 80%	:	1 mark
81% to 85%	:	2 marks
86% to 90%	:	3 marks
91% to 95%	:	4 marks
96% to 100%	:	5 marks

13.5 The continuous internal assessment shall be conducted by the teacher concerned under the overall supervision of the HOD and Dean of the School. The Head of the Department shall (Amended by the Executive Council vide item EC 12.7. at its 12th meeting held on 06.01.2014) report the award list of CIA in respect of all courses to the Controller of Examination through the Dean.

13.6 In case of a student who could not appear in any of the components of the CIA due to medical reasons or for extraordinary circumstances(supported by documentary evidence), a separate examination in that component may be arranged by the Department concerned before the end semester examination.

13.7 The end semester examination shall be organised by the Controller of Examination, with the evaluation to be undertaken by the examiners to be appointed by the Vice Chancellor.

13.8 There shall be four End Semester Examinations, first semester examination at the middle of the first academic year and the second semester examination at the end of the first academic year. Similarly the third and fourth semester examinations will be held at the middle and the end of the second academic year respectively.

13.9 There shall be one End semester examination of 3 hours duration carrying 60% of Marks in each course covering the entire syllabus prescribed for the course.

13.10 End Semester Practical Examinations (wherever applicable) shall ordinarily be held before the theory examinations.

13.11 A student shall be permitted to appear in the End-semester examination as per the Conduct of Examination Rules after filling up the prescribed examination form, payment of the prescribed Examination Fee, satisfying the attendance requirement and fulfilling other eligibility criteria.

13.12 To be eligible to appear in the End Semester Examination of a course the student shall have to clear the CIA with a minimum of 50% marks.

13.13 The question paper pattern of End Semester Examination shall be prescribed by the School concerned.

13.14 Unless prescribed in the Regulation and Scheme of examination of a particular programme a candidate shall be deemed to have completed his/her courses successfully if he/she obtains at least

50% marks in each of the theory / practical course, and 50% marks in aggregate (Internal Assessment and End-semester evaluation) or 'B' Grade, measured on the following six point scale.

Marks	Grade Point	Letter Grade	Class
75-100	4.50-6.00	O	Outstanding
65- <75	3.90-<4.50	A+	High First
60- <65	3.60-<3.90	A	First
55-<60	3.30-<3.60	B+	High Second
50-<55	3.00-<3.30	B	Second
00-<50	0.00-<3.00	F	Fail

The multiplication factor of 0.06 shall be applied in calculating the exact Grade Point. The six point scale shown above may however be altered / changed in accordance with the CBCS grade point scale as and when it is adapted.

13.15 If a student fails in less than 50 % of prescribed courses of a semester or falls short of attendance in a course he/she shall be allowed to appear in that course(s) as ex-student during the End-Semester Examination of the corresponding semester with the regular students. No separate/supplementary examination shall be arranged for such students. However, the Vice Chancellor may authorize special examination (CIA/ESE) for students who have total of up to 4 backlogs after the declaration of last semester result. The marks of all internal assessment as applicable shall however, be carried forward in such cases.

13.16 Students failing in more than 50% of the courses in a semester shall have to seek readmission in the appropriate semester as a regular student.

13.17 A student with a backlog can repeat End Semester Examinations of a course for a maximum of three chances, excluding the 1st appearance, in the subsequent regular End Semester Examinations without putting in any additional attendance. The internal assessments marks obtained by the student shall be carried over for declaring the result.

13.18 A student after declaration of his/her results can request for providing of photocopies of answer sheets of End Semester Examinations within a period of 7 days on the prescribed format and on payment of prescribed fees.

13.19 Provisions for re-evaluation-:

(a) In case a student is not satisfied with the End Semester evaluation, he/she can apply for re-evaluation on payment of prescribed fee within a period of 15 days after the declaration of the results.

(b) After the award of re-evaluation is received, average of the scores given by the evaluator and the re-evaluator shall be taken.

(c) In case the difference of marks given by the 1st evaluator and the 2nd evaluator is more than 20%, the answer script will be sent to the 3rd evaluator for evaluation and the result shall be compiled by taking average of marks of all the three evaluators.

14. APPEARANCE FOR IMPROVEMENT

14.1 Students who have passed in a theory course / courses shall be allowed to repeat a maximum of 4 courses only once in order to improve his/her marks, within a maximum period of 10 semesters

from his/her admission to the first semester along with regular students of either odd or even semesters. No separate/supplementary examination would be arranged for such students.

14.2 Such students shall have to apply for marks/division improvement within one month of declaration of the final result in a prescribed form and pay the fees prescribed from time to time.

14.3 If the candidate improves his marks, then his improved marks shall be taken into account for working out his revised award and a revised grade card shall be issued to him/her on the surrender of the earlier grade card. Such improved marks will not be counted for the award of Prizes / Medals, Rank and Distinction. If the candidate does not show improvement in the marks, his/her previous marks will continue to be taken into account.

14.4 No candidate will be allowed to improve marks in the Practical, Project, Viva-voce, Field work.

15. AWARD OF MARKS-SHEET & DEGREES

15.1 On successful Completion of each semester examination, the student shall be awarded marks for that semester indicating simultaneously the marks obtained in the previous semester(s).

15.2 The Marks-Sheet of last semester of the Programme shall indicate the consolidated marks of all the semesters, along with the Division/Class/ letter Grade, the credits earned for each course, Grade Point Average (GPA), Weighted Average Marks (WAM), Cumulative Grade Point Average (CGPA) and Overall Weighted Percentage Marks (OWPM) of all the courses of a semester.

15.3 The Successful candidates shall be admitted to and conferred upon the Teacher Education Degree (B.Ed and M.Ed) in the respective subject as per provisions of the Act and Statutes provided he/she has:

a. Registered, undergone and earned the required minimum number of credits within the stipulated time;
b. Put in the required attendance;
c. No dues to the University, Hostel or Library outstanding;
d. No disciplinary action pending against him/her; and
e. Fulfilled such other conditions as prescribed under rules.

16. **POWER TO REMOVE ANY DIFFICULTY**

Notwithstanding what is contained in the Ordinance, Chairperson, Academic Council /Executive Council may in exceptional circumstances and on the recommendations of the School Board concerned or an appropriate Committee on the merits of each individual case consider, and for reasons to be recorded, relaxation of any of the provisions except those prescribing CGPA requirements.

Prof. MOHAMMAD AFZAL ZARGAR, Registrar

[Advt.-III/4/Exty./23/17]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.04.29 17:44:23 +05'30'